खण्ड-315, अंक-6
मंगलवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1897
(8 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	551–555
प्रश्नोत्तर	555–594
जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	594–595
कतिपय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	595
श्री खूबचन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा कांग्रेस (शासन) दल में सम्मिलित होने की सूचना	595
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	595–601
अनुदानों से सम्बन्धित साहित्य विलम्ब से मिलने पर आपत्ति	601–607
1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 9––भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 35––नगर विकास, अनुदान संख्या 63––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या 88––ऋण और अग्रिम–स्वायत शासन (स्वीकृत)	607–655
इलाहाबाद में क्रिकेट मैच में पुलिस द्वारा लाठी, आंसू गैस व गोलियों की वर्षा के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	656–662
फर्रुखाबाद जनपद की मंडी में विभिन्न प्रकार के आलू की कीमतों में भारी मंदी के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	662–668
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	669
नत्थियां	670–678

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—361

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगाजैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेतली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री

बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद ,श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह,श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवदी, श्री
रमापंत, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
रावबेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री

राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह संगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उसमानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री

सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:---स्वायत्त शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले की रीवर साइड पावर हाउस की राखी का ठेका

** 1--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर) तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रीवरसाइड पावर हाउस, कानपुर से संबंधित राखी की खरीदारी और उठवाई के ठेके के सिलसिले में कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर के अधिकारियों ने जनवरी, फरवरी, 1975 में ठेके की दर को 5555 रु0 प्रतिदिन से 3,333 रु0 प्रति दिन घटा दिया है और इस प्रकार सरकार तथा एडमिनिस्ट्रेशन का लगभग 6 लाख रुपये का नुकसान हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त मामले की जांच का आदेश देते हुये प्रश्नगत टेन्डर के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही स्थगित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 670 पर)

श्री केशरी लाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 11 सितम्बर, 1975 को जो ठेका हुआ था, वह एग्रीमेन्ट क्या था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

एग्रीमेन्ट यह हुआ था कि 5,551 रुपया प्रति एक हजार टन कोयला जलाने पर साल भर के लिये यानी 10 सितम्बर, 75 तक के लिये ठेका दिया।

श्री केशरी लाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 1975 में जो ठेका दिया गया और उसके पहले जो 1974 में छोड़ कर गया था, वह उसी का सहयोगी है, जो छोड़ कर गया यानी 1974 में जो ट्रक चलते थे वही काम कर रहे हैं, और इस प्रकार कम रेट पर देने से सरकार को 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ तो क्या इसको सरकार रिकवर करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह जो टेंडर और एग्रीमेन्ट होता है, वह निश्चित प्रकार का होता है और अगर कोई एग्रीमेन्ट की शर्त को स्वीकार नहीं करता या लागू नहीं करता है तो फिर वह एग्रीमेन्ट नहीं रहता है। इसने 5,551 रुपया जमा नहीं किये इसलिये 7 फरवरी, 1975 से राखी उठाना मना कर दिया।

श्री केशरी लाल--

एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 1975 में टेंडर हुए थे, पहले 5,551 रुपये पर हुए बाद में घटाकर 3,333 रुपया कर दिया गया और इस प्रकार 22 सौ रुपया प्रति टन सरकार को घाटा हुआ और एक महीने के लिये 4 051 रुपया प्रति एक हजार टन की दर से दिया तो इस तरह से कमी करने का क्या कारण था? और कम दर पर देने का क्या कारण है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नुकसान हो रहा था या नहीं हो रहा था, यह कहना कठिन है क्योंकि जिस पार्टी को 5,551 प्रति एक हजार कोयला जलाने पर ठेका दिया गया था उसने पेमेन्ट ही नहीं किया, भुगतान नहीं किया उसके बाद फिर टेण्डर मांगा वह 3,137 का आया और एक दूसरा 2,100 रुपया का आया। फिर दुबारा बढ़ाने के लिये कहा जो 3,333 रुपया प्रति एक हजार टन का मिला, उसमें यह कहा कि अगर 15 मार्च तक कोटेशन मंजूर कर दिये जायं तो 3,333 रुपया देंगे। इसलिये प्रश्न नहीं उठता है कि नुकसान हुआ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सारे मामले से 6 लाख रुपया का घाटा विद्युत परिषद् को हो रहा है। तो जो पहला निविदा था वह 3,333 रु0 का था उसके बाद 4,051 रुपया और फिर 5,551 रुपया हुआ। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ढाई हजार रुपये का घाटा प्रति दिन के हिसाब से साल भर हुआ, उसके लिये सरकार ने कोई कदम उठाये हैं कि यह घाटा न हो? अगर चार छै दिन उसे नहीं उठाया जाता तो कोई आसमान जमीन पर नहीं गिरने वाला था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य ने जो तथ्य बताये हैं, वह ठीक नहीं है। पहले 5,551 रुपये था, फिर 4,0 1 हुआ और फिर बाद में 3,333 रु0 हुआ। जिस पार्टी ने 4,051 रुपये पर ठेका लिया उसने बाद में मना कर दिया और जिन्होंने 5,551 रुपये पर लिया था उन्होंने पेमेन्ट बंद कर दिया। जहां तक प्रश्न यह है कि 5, 6 दिन तक रोका जा सकता था और आसमान नहीं गिरने वाला था, का प्रश्न है। वह स्वीकार करेंगे कि राखी न हटाने से हजारों टन कोयले से जो राखी बनती वह अगर वहां पड़ी रहती तो ब्वायलर साफ नहीं हो पाते क्योंकि ब्वायलर साफ करना जरूरी है, नहीं तो ब्वायलर फिर चालू नहीं रह सकता है। उसको कांस्टेंटली साफ करने की जरूरत है। इसलिये राखी उठाना जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा बिजली उत्पादन नहीं हो पाता।

श्री केशरी लाल---

क्या यह सही है कि 4,051 रुपये पर जो ठेकेदार को ठेका दिया गया एक महीने के लिये उसने जी0 एम0, कानपुर को लिख कर दिया कि अगर 6 महीने तक उसी रेट पर दें तो वह काम करने को तैयार है, उसके बाद में टेण्डर मांग लिए जांय ताकि गवर्नमेंट को नुकसान न हो तो क्या यह बात सही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना यह है कि मेसर्स विष्णु महेश को ठेका एक मास के लिये दिया गया था।

श्री केशरी लाल---

(अगला प्रश्न लिए जाने पर) क्या मेरी बात को सही मानकर मंत्री इसकी जांच करवा लेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बरेली जिला अस्पताल में ग्राम-मुड़िया तेली के दो बच्चों की मृत्यु

*1--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि जिला अस्पताल, बरेली में डाक्टरों की लापरवाही के कारण ग्राम-मुड़िया तेली, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के दो बच्चों की मृत्यु (राजेन्द्र आयु 5 वर्ष तथा काला देवी आयु 4 वर्ष) अस्पताल के भीतर 9 तथा 10 मार्च, 1975 की तिथियों में दर्दनाक ढंग से हो गई ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में तथा डाक्टरों तथा नर्सों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)--

जी नहीं। बल्कि प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र पाल तथा कुमारी राजकुमारी नामक दो बच्चे जिनकी आयु लगभग 4 वर्ष थी, गन्ने के उबलते हुए रस के कढ़ाव में गिर जाने के कारण अत्यन्त गम्भीर दशा में उक्त अस्पताल में लाए गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। परन्तु उनके उपचार में किसी की लापरवाही नहीं पाई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*2--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

[8 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहबाद नगर महापालिका के चुंगी-भवन का गिराया जाना

*1--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में नूरुल्ला रोड तथा लीडर रोड पर स्थित इलाहाबाद नगरमहापालिका का भवन, जिसमें चुंगी कार्यालय स्थित था, किस कारण से और किसके आदेश से सन् 1973-74 में गिरा दिया गया ? इस भवन में जो नगर-महापालिका की चल सम्पत्ति थी, वह क्या-क्या थी, उसकी भवन सहित कुल कीमत क्या थी और अब वह कहां है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)--

चुंगी भवन सड़क चौड़ी करने हेतु तत्कालीन नगर प्रमुख के आदेशों से गिराया गया था।

उक्त भवन की चल सम्पत्ति का विवरण सलग्नक में दिया है। यह सम्पत्ति इस समय चुंगी भवन के कैम्प आफिस में है।

चुंगी भवन गिराने के पूर्व उसका मूल्यांकन नहीं कराया गया था अतः सम्मिलित कीमत बताना सम्भव नहीं है। वैसे चल सम्पत्ति की कीमत लगभग रु० 1,025 थी।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 671 पर।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगर महापालिका अधिनियम में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसके अन्तर्गत कहीं के नगर प्रमुख को इस प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार हो कि कोई भवन नगर-महापालिका का गिरा दे। चूंकि वह कांग्रेसी नगर प्रमुख थे और इस समय के मुख्य मन्त्री, तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री थे जिनका उन्हें संरक्षण प्राप्त था। इसलिए सारी कानून की मर्यादाएं तोड़कर नगर प्रमुख ने गलत आदेश पारित किए क्योंकि कानून यह है कि कोई भी भवन

गिराया जाए तो उसके पहले उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किन्तु उसका मूल्यांकन नहीं किया गया। तो यदि नगर प्रमुख ने गलत कार्य किया तो उसके और नगर अभियन्ता के विरुद्ध क्या आप कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो वही है जो पहले था-शेष आप अटकल लगाते हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा यह है कि नियम कौन सा है, जिसमें गिरा सकता है, लेकिन उन्होंने स्वयं किसी नियम का हवाला नहीं दिया कि जिसमें मेयर को अधिकार नहीं है गिराने का, स्वीकृति की प्रत्याशा में गिराने का। मेरी ऐसी सूचना है और किताब भी मेरे हाथ में है, उसे अध्ययन करने का प्रयास किया। किन्तु मुझे इसमें कोई ऐसी धारा नहीं मिली कि मेयर विकास के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिये किसी अपनी इमारत को आंशिक रूप से या कुछ हद तक गिराना चाहे तो उसमें उसे कोई रोक हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगर प्रमुख का आदेश किस तारीख का था और भवन किस तारीख को गिराया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

यह आदेश 13 अगस्त, 1974 का है कि नगर प्रमुख, श्रीराम द्विवेदी ने स्वीकृति की प्रत्याशा में इस भवन को गिराने की स्वीकृति प्रदान की परन्तु यह गिराया किस दिन गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या नगर प्रमुख को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी भवन को जो उनको महापालिका की अचल सम्पत्ति हो, गिरा सके ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो इन्होंने दे दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इसका उन्होंने उल्टा जवाब दिया मैं तो नेगेटिव पूछना चाहता हूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, जब नियम में कोई ऐसी धारा नहीं है जो मेयर को मना करती है, ऐसा करने से रोकती है। तो यदि आवश्यक समझे जनहित में तो वह गिरा सकता है। यह जनहित की बात है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि जो चुंगी का भवन गिराया गया, क्या कारण है कि इसका मूल्य नहीं आंका गया, गिराने के पूर्व ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, कहीं बेचा नहीं जा रहा था, हस्तांतरित नहीं किया जा रहा था। चुंगी में ही उसका प्रयोग हो रहा था। चुंगी के हित में सड़क को चौड़ा करने के लिए प्लिंथ एरिया के अनुसार। अब प्लिन्थ एरिया के अनुसार उसका मूल्य 13 हजार 959 रुपये है। पहले आंका नहीं गया था। जरूरी नहीं समझा होगा।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि जब से बिल्डिंग तोड़ी गयी है क्या वह सड़क चौड़ी हो गयी है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मेरी सूचना ऐसी है कि हो रही है या हो गयी है।

लखनऊ शहर की श्रीमती सरला भार्गव द्वारा अनधिकृत रूप से भवन निर्माण एवं उसके तावान का निर्धारण

*2—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विनियमित क्षेत्र लखनऊ में अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण के 1,16,800 रुपया के बजाय 584 रुपये तावान शुल्क लेकर कम्पाउन्ड करने के मामले के सम्बन्ध में शासन को दिनांक 29 सितम्बर, 1974 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां, शासन को जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए नगरमहापालिका, लखनऊ को 22 अक्तूबर, 1974 को भेज दिया गया था। यह बतलाया गया है कि यह पत्र नगर महापालिका कार्यालय में मिल नहीं रहा है। मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि श्रीमती सरला भार्गव ने एक गोदाम और दुछत्ती नियत प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना बना लिया था। उसको गिराने का आदेश तत्कालीन नियत प्राधिकारी ने दिनांक 4 जनवरी, 1971 को दिया था। उस पर श्रीमती सरला भार्गव की तरफ से प्रार्थना-पत्र दाखिल हुआ कि उनके मामले को कम्पाउन्ड कर लिया जाए। नियत प्राधिकारी के कार्यालय ने कम्पाउन्डिंग फीस 2,841 रुपया आंकी। श्रीमती सरला भार्गव ने फिर दरख्वास्त दी कि यह तावान अधिक है इसलिए नियत प्राधिकारी ने इसे घटाकर अपने आदेश दिनांक 18-6-71 द्वारा 584.00 रु० कर दिया। पहली बात यह है कि नियत प्राधिकारी को आर० बी० ओ० ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पाउन्ड करने का अधिकार उस समय तक नहीं था और यह अधिकार केवल नियन्त्रक प्राधिकारी को था। दूसरी बात यह है कि नियमानुसार इसका तावान रु० 3,835.00 लगना चाहिए था और चूंकि श्रीमती सरला भार्गव ने तीसरी बार अवैध निर्माण किया था इसलिए उस पर 10 गुना तावान लगाना चाहिए था। उस समय श्री एम० पी० जैन, नगर अभियन्ता (भवन) थे और उन्हीं की संस्तुति पर कार्यवाहक नियत प्राधिकारी ने आदेश दिए थे। श्री एम० पी० जैन निलम्बित किए जा चुके हैं। उनको चार्ज शीट किया गया है।

अल्मोड़ा नगरपालिका के सदस्य द्वारा अनियमित रूप से भवन निर्माण

*3—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि अल्मोड़ा नगरपालिका के किसी सदस्य ने नगरपालिका की उपविधियों एवं राजकीय आदेशों का उल्लंघन कर मोटर मार्ग के किनारे कोई मकान बनाया तथा उस अतिक्रमण को राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 6476/11-2-100(3)-72, दिनांक 28 जनवरी, 1974 द्वारा हटाने के आदेश प्रसारित किए गए ? यदि हां, तो उक्त आदेश का कार्यान्वयन कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं। वास्तविकता यह है कि अल्मोड़ा नगरपालिका के एक सदस्य द्वारा अल्मोड़ा, बरेली मोटर मार्ग के किनारे अपने मकान के बगल में कुछ अतिरिक्त निर्माण कराए जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 6476/11-2-100(4)/72, दिनांक 29 जनवरी, 1973 में जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा को यह आदेश दिए गए थे कि वे अध्यक्ष, नगरपालिका, अल्मोड़ा को यह निर्देशित करें कि वे इस सम्बन्ध में नियमानुसार अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करें। बाद में जांच से मालूम हुआ कि उक्त सदस्य ने सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया किन्तु केवल नगरपालिका की उपविधियों के विरुद्ध निर्माण कराया। इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जमीन किस की थी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जमीन सरकारी नहीं थी। इनक्वायरी के बाद पता चला कि उन्होंने कोई इनक्रोचमेंट नहीं किया था। अपनी जमीन पर बनाया लेकिन बाईलाज के खिलाफ है। उसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या यह सही है कि जब कोई म्युनिसिपैलिटी का सदस्य म्युनिसिपल बाईलाज के खिलाफ काम करता है तो म्युनिसिपल रूल्स के मुताबिक उसका रिमूवल होता है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

कोई नगरपालिका सदस्य बाईलाज का उल्लंघन करें तो उसको साधारण से अधिक गम्भीर मानना चाहिए और साधारण से अधिक कार्यवाही करनी चाहिए। वैसे नियमों में ऐसा प्राविधान नहीं है कि अगर कोई सदस्य करें तो, और दन्ड होगा और साधारण व्यक्ति करें तो, और दन्ड होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कड़ाई से कार्यवाही करवा रहा हूं और करवाऊंगा, इसमें नगरपालिका के सदस्य ने उल्लंघन किया।

इलाहाबाद नगरमहापालिका द्वारा बाघम्बरी योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स का निर्माण एवं आवंटन

*4---श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद नगरमहापालिका द्वारा अल्लापुर (बाघम्बरी योजना), बस्ती में 192 छोटे-छोटे आवासीय फ्लैट (निम्न आय वर्ग के लिए) बन कर तैयार हो गए हैं ? यदि हां, तो कब तथा उनको आवंटित न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जून, 1974 तक बाघम्बरी योजना में 192 अल्प आय वर्गीय भवनों का केवल इमारती कार्य (स्ट्रक्चरल वर्क) पूरा हुआ है बिजली फिटिंग्स का कार्य अंशत: ही पूरा हुआ है सैनिटरी फिटिंग्स का कार्य होना बाकी है।

कुछ मकान आबंटित कर दिए गए हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगभग दस माह हो चुका है 192 फ्लैट्स को बने हुए, आवासीय भवनों की बहुत कमी है। बिजली की फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स के लगाने में इतना विलम्ब हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जिम्मेदार तो हैं स्थितियां। सैनिटरी फिटिंग्स में देर का कारण यह है कि सैनिटरी फिटिंग्स के लिए टेंडर स्वीकार किए गए। परन्तु ठेकेदारों ने काम नहीं किया। फलस्वरूप जमानत जब्त कर ली गयी। इसके अलावा सैनिटरी फिटिंग्स के लिए टेंडर दिनांक 10 फरवरी, 1973 को मांगे गए। टेंडर स्वीकृत हो चुका था। कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था। ठेकेदारों ने मिल कर काम नहीं किया। उसकी वजह से विलम्ब हुआ दोबारा टेंडर मांगे गए और अब काम प्रारम्भ कर रहे हैं। इसलिए विलम्ब हुआ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कितने मकान आबंटित हुए हैं ? किराये के आधार पर हुए हैं या हायर परचेज के आधार पर हुए हैं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

26 हुए हैं। अभी हायर परचेज पर हुए हैं।

मोहन मीकिन ब्रिवरीज लि०, लखनऊ को अनियमित रूप से दिया गया एफ० एल०-2 का लाइसेन्स

*5--श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मोहन मिकिन ब्रि0 लि0, लखनऊ में आबकारी मैनुअल के विपरीत फैक्टरी के अन्दर ही एक एफ0 एल0-2 के अन्तर्गत बिक्री की दूकान (एजेन्सी) खुली है ? यदि हां, तो यह इजाजत उन्हें किसने दी और सरकार इस अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)--

मोहन मीकिन ब्रि0 लि0, लखनऊ की फैक्टरी के अन्दर एक एफ0 एल0-2 का लाइसेंस चला आ रहा था जिसे फैक्टरी के परिसर के बाहर हटा लेने के लिए जिला अधिकारी, लखनऊ ने आदेश दिए थे और ऐसा न करने पर उनके इस लाइसेन्स का नवीकरण नहीं किया तथा अन्यथा आदेश होने तक एफ0 एल0-2 अनुज्ञापत्र के अधीन कारोबार तुरन्त बन्द कर देने को कहा। इसके विरुद्ध डिस्ट्रिलर्स ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और वहां से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। रिट याचिका अभी भी विचाराधीन है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जो कापी हमको प्रश्नोत्तर की दे दी जाती है वह पढ़ने में नहीं आती है। जो दुकान चलती है उसके रीजनल डायरेक्टर मोहन के मामा हैं, और जिस मकान में वह रहते हैं, उसके नीचे दुकान चलती है तो यह बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसका कब चेकिंग किया और रिट कब दाखिल हुई ?

डाक्टर चरण सिंह--

मान्यवर, मोहन मीकिन पहले डायर मीकिन के नाम से थी। जो लाइसेन्स एफ0 एल0-2 का दिया गया था वह नायर मीकिन के नाम से था। 1967 में जब मोहन मीकिन नाम हुआ तो डायर मीकिन का नाम चेंज हुआ। माननीय सदस्य ने फरमाया है कि किस तरीके से और किसने लाइसेन्स दिया है, तो यह देखकर बताया जा सकता है क्योंकि डायर मीकिन बहुत पुरानी संस्था थी, और जिसमें यह लाइसेंस दिया गया था उस पत्र को देख कर बताया जा सकता है। दुर्भाग्य से वह मिल नहीं रहा है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि एफ0 एल0-2 की जो दुकान है जिसको मोहन के मामा दत्ता साहब चलाते हैं। जिस मकान में वह रहते हैं उसके नीचे ही वह दुकान है तो यह बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस दुकान की कब चेकिंग की और हाई कोर्ट में रिट कब दाखिल हुई ?

डाक्टर चरण सिंह--

दिनांक 17 जनवरी, 1972, में डिप्टी कमिश्नर ने लिखा कि यह दुकान वहां नहीं चलनी चाहिए।

श्री मधुकर दिघे--

एफ0 एल0-2 की दुकान कब से चल रही है, दूसरे इसकी चेकिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कब की और तीसरे हाई कोर्ट में रिट कब दाखिल की ?

डाक्टर चरण सिंह--

मान्यवर, यह दुकान बहुत पुरानी है। इसका ओरीजनल पेपर हमारे सामने नहीं है। ओरीजनल पत्र हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं बता सकते हैं। उन्होंने चूंकि आदेश की कम्पलायेंस नहीं की थी लिहाजा दिनांक 23 मार्च, 1973 को आदेश दिया गया कि उनका कारोबार बन्द कर दिया जाय। चूंकि लाइसेन्स रिन्यू नहीं हुए थे। दिनांक 29 मार्च, 1973 को हाई कोर्ट में यह गए हैं।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मन्त्री जी को फिर से मौका दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, इस खेदोक्तन पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वह न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राम अधार ---

मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आया।

*6---श्री मधुकर दिघे---

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

बदायूं जिले की ग्राम सभा, वजीरगंज में औद्योगिक इकाई की स्थापना

*7---श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं के ब्लाक, वजीरगंज की ग्राम सभा वजीरगंज में कोई औद्योगिक इकाई डनलप कार्ट बनाने हेतु 11,000 रुपए की लागत से गत अक्तूबर, 1973 से चालू की गई थी और इसका ठेका भी दिया गया तथा ठेकेदार को गाड़ी बनाने हेतु लकड़ी अग्रिम दे दी गई थी और वह ठेकेदार मय लकड़ी के अब गायब हो गया है ? यदि हां तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

ग्राम सभा वजीरगंज ने डनलप कार्ट बनाने का पंचायत उद्योग दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से गांव फण्ड से 11,025 रु0 निकाल कर प्रारम्भ किया। दिनांक 8 जुलाई, 1974 को उद्योग के स्टोर का सत्यापन कराने पर 1988 62पैसे का सामान कम पाया गया जो इस कार्य के लिए रखा गया मिस्तरी लेकर लापता हो गया। मिस्तरी के विरुद्ध दिनांक 11 जुलाई, 1974 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर जांच अभी जारी है। उक्त हानि के लिए ग्राम सभा प्रधान, पंचायत सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उनका स्पष्टीकरण मांगा गया जो अब प्राप्त हो गया है तथा विचाराधीन है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उनका जवाब मांगा गया वह क्या जवाब उन्होंने दिया है ? यदि जवाब दिया है, तो कब आया है, जवाब ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, उनके स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे मोटे तौर पर जानकारी जो हुई है, उससे मुझे यह लगता है कि वह अपने को निर्दोष बताते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, स्पष्टीकरण कब आया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, यह तिथि मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, जहां मैं रहता हूं उससे दो मील दूर का यह मामला है। मैंने इस सवाल की तीन बार नोटिस दिया था, परन्तु तीनों बार प्रोरोम हो जाने की वजह से

निकाल दिया गया इसलिए यह सवाल अब दिया गया है तो अब तक स्पष्टीकरण आया कि नहीं और अगर आ गया है तो निर्णय क्यों नहीं हुआ अब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, उनका जवाब जिले में आया है यहां वह जबाब नहीं है। जो नियुक्ति अधिकारी है उसी के पास जिला नियोजन अधिकारी या जिला पंचायत राज, उनके समक्ष उनका उत्तर आया है, वह उसको देख रहे हैं और उसके बाद तब उस पर कार्यवाही करेंगे। यहां हमारे पास नहीं आया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, क्या यह सही है कि उनको यह मौका दिया जा रहा है कि वह अपनी सहादत ऐसी तैयार करें कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध न हो ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो मैंने उत्तर पढ़ा, कुछ लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया जा रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, अब तक किन-किन तिथियों में पुलिस अधीक्षक और वहां के एस0 ओ0 का आदेश दिया गया है और मान्यवर अब तक चार्जशीट क्यों नहीं लगी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, दिनांक 3 मार्च, 1975 को, 10 मार्च, 1975 को और 23 मार्च, 1975 को बराबर लिखा गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, पहले सरकार ने या विभाग ने क्यों नहीं कार्यवाही की ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

डिप्टी स्पीकर, आप होते तो पता नहीं आप क्या करते ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

रामपाल सिंह जी आप जब कांग्रेस म चले जायं तब असरार को पीस देना।

मान्यवर, मैं यह माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं कोशिश की गई कि इस मामले में चार्जशीट लगाई जाय और मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मुलजिम अब तक पकड़ा गया कि नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह रिपोर्ट जो थाने पर दर्ज करायी गयी, वह दिनांक 11 जुलाई, 1974 को दर्ज करायी गयी और उसकी छानबीन हो रही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

चार्ज शीट क्यों नहीं लगायी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जांच चल रही है। हमने तो 3 बार पुलिस को लिखकर दिया है कि जो कुछ उनको मालूम हुआ है, वह लिखकर भेज दें ताकि हम कार्यवाही करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इन्होंने क्या कार्यवाही की। जानबझ कर सरकार ने क्यों दबाया ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है और वह मुलजिम अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि आपने कार्यवाही क्यों नहीं की और आपका कहना है कि उसी दिन से हो रही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आपने कहा सन् 1975 यानी सवाल की नोटिस के बाद। पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? विभाग ने क्या कोशिश की?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह पंचायत उद्योग पंचायत के प्रस्ताव द्वारा शु किया गया। जला पंचायत राज अधिकारी के आदेश से इस उद्योग पर खर्च किया गया। जब निरीक्षक मौके पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि 1988.65 रुपए का सामान कम है तो रिपोर्ट लिखायी गयी और पुलिस जांच कर रही है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। आज की स्थिति में यह कहना कि अमुक अधिकारी के ऊपर उत्तरदायित्व है, यह सम्भव नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जिम्मेदारी नहीं रखी जा सकती है।

*8--श्री मोहम्मद रफी खां--

[6वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 70 पर स्थानान्तरित।]

कानपुर जिले की सिठमरा से बाणेश्वर-बनीपारा तक सड़क का निर्माण

*9--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला परिषद् की ओर से सिठमरा से बाणेश्वर-बनीपारा तक सड़क निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां तो इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब दी गयी, इसकी लम्बाई और अनुमानित लागत क्या है तथा इसे कब तक बन जाना चाहिए था? क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण में जानबूझ कर विलम्ब किया गया? यदि हां, तो क्यों, अब कब तक बन कर तैयार हो जाएगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा 2 नवम्बर, 1972 को दी गई थी। इसकी लम्बाई 3.75 कि0 मी0 है तथा अनुमानित लागत रु0 2,62,047 है। इसे दिनांक 31 मार्च, 1975 तक बन जाना चाहिए था। यह सही नहीं है कि इसके निर्माण में जानबूझकर विलम्ब किया गया है। इसके बरसात के पूर्व तैयार हो जाने की सम्भावना है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क पौने चार किलो-मीटर की है और 3 वर्ष से बन रही है? मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक किस तरह का काम और कितना पैसा खर्च हो गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

2 नवम्बर, 1972 को शासन से इस सड़क को बनाने की स्वीकृति दी गयी। 31 मार्च, 1975 तक इस सड़क को पूर्ण हो जाना चाहिए था, परन्तु बीच-बीच में कहीं पर ईंटा ढोने वाले ठेकेदार छोड़कर चले गए, कभी कम दर्जे का ईंटा आ गया तो उसको बदल-वाना पड़ा। मिट्टी का कार्य, 6 पुलियों का निर्माण, ईंटा की कुटाई और पत्थर की कुटाई आदि हो गयी है। इस पर 2,37,867 रुपया व्यय हो चुका है। अब इस पर जो बाकी काम है, वह बरसात के पूर्व ही समाप्त हो जायगा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर इस्तेमाल होने वाले तारकोल के 52 ड्रम जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कुछ कम है, चोरी चले गये? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को क्या-क्या सजायें दी गईं?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कुल 52 ड्रम थे जो चोरी चले गए और जिनकी कीमत केवल 5,688 रुपए थी। यह मामला पुलिस को जांच के लिए दे दिया गया है। सड़क को पक्की करने के लिए शेष रुपए का प्रबन्ध कर दिया गया है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

जो इम चोरी चले गए तो उसके लिए जिला परिषद् के जो इन्जीनियर या ओवरसियर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जब तक यह साबित नहीं होता है, कि किसकी गलती से यह चोरी हुई है, तब तक पहले से ही सजा देना उचित न होगा।

कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास कमिश्नर द्वारा उर्दू दैनिक "कौमी आवाज" को अनिवार्य रूप से मंगाये जाने का आदेश

*10---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास कमिश्नर के कार्यालय से 3 अक्तूबर, 1974 में इस आशय का कोई निर्देश समस्त खंड विकास अधिकारियों को जारी किया गया कि कुछ अवधि तक के लिए अपने कार्यालय में लखनऊ में प्रकाशित उर्दू दैनिक "कौमी आवाज" को अनिवार्य रूप से मंगावें ? यदि हां, तो पूर्ण आदेश क्या हैं तथा क्यों जारी किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां।

निदेश की प्रति संलग्न है। यह निदेश कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्य-क्रमों को इस समाचार-पत्र से प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू भाषा-भाषियों को समाचार-पत्र पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 672 पर।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मुझे जो इस प्रश्न का उत्तर मिला ऐसा लगता है कि भूल से जिस संलग्नक का जिक्र किया गया है, वह मेरे पास नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसी उर्दू के दैनिक पत्र को क्यों निदेश दिया गया ? किसी और उर्दू के दैनिक पत्र को इस सम्बन्ध में आदेश क्यों नहीं दिया गया ? दूसरा कांग्रेसी नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है देहात में विकास के कार्यों---कृषि के उत्पादन के कार्यों के सम्बन्ध में इस उर्दू के दैनिक पत्र में इस तरह के लेख आते रहते हैं। इसी उद्देश्य से इस अखबार को विकास खंडों में भेजने का निदेश दिया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या यह अखबार विकास खंड के दफ्तर में जो जायेंगे उनको दफ्तर वाले पढ़ेंगे क्योंकि गांव वाले उर्दू के अखबार बहुत कम पढ़ पाते हैं क्योंकि उर्दू में उनकी शिक्षा बहुत कम होती है। इसका उतना उपयोग वहां पर नहीं है जितना कि शहरों में है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों केवल इसी उर्दू के अखबार को निदेश दिलवाए ? यह एक कांग्रेसीपत्र है और इससे कांग्रेस को भी सहायता मिलेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

ऐसा नहीं है। एक बार बाराबंकी जिले में देवा विकास खंड में एक गोष्ठी हुई थी। उसमें हमारी केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव ने भी भाग लिया था। वहां पर उनसे लोगों ने कहा कि उर्दू के भाषा-भाषियों को यह शिकायत है कि उर्दू की कोई मैगजीन या अखबार देहात में नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि जो उर्दू जानने वाले हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 9 अगस्त, 1974 की यह बात है। 13 अगस्त, 1974 को कानपुर में इलाहाबाद मन्डल के जिलाधिकारी, नियोजन अधिकारी तथा दूसरे जो भी और प्रतिनिधि हैं, उनकी एक कानफ्रेंस हुई। उसमें इसकी चर्चा

कालेजों में जहां पर उर्दू के भाषा-भाषी लोग रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए उर्दू अखबार नहीं मिलता है, अतः उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य को सामने रखकर "कौमी आवाज" को खरीदने के लिए आदेश प्रसारित किए गए थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझे इस बात का एतराज नहीं है कि उर्दू के अखबार के लिये क्यों निदेश दिए गए यद्यपि मैं जानता हूं कि देहात में उर्दू पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसी पेपर को क्यों प्रोत्साहन दिया गया और किसी उर्दू के अखबार को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मैंने बता दिया कि लखनऊ में "कौमी आवाज" ही एक प्रमुख पेपर है जो कि पूरे सूबे में जाता है। इस दृष्टि से जिसका ज्यादा प्रसार है उसी को भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष---

"निदेश की प्रति संलग्न है", तो यह हमारे पास तो नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

न त्रिपाठी जी के पास है। भेजा ही नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

संलग्नक भेजा क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आपने तो उठाया नहीं है। आपने बुद्धि नहीं लगायी। मैंने उठाया है तो समझने दीजिए कि क्या मामला है। माननीय माधव प्रसाद जी, आपको भी नहीं मिला ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझको नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---

यह असावधानता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हमको कहा संलग्नक है। इनके इस गलत बोलने पर मैं एक सूचना देता हूं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए। एक प्रश्न और कर लूं। आपने ऐसा कोई आदेश हिन्दी अखबारों के बारे में भी निकाला है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

हिन्दी के कुछ अखबारों के लिए ऐसा आदेश निकाला गया है।

पंचायती राज कर्णिक संघ की मांगें

*11---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज कर्णिक संघ की ओर से कोई 9 सूत्री मांग-पत्र दिसम्बर, 1974 अथवा जनवरी, 1975 में उन्हें मिला ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां, मांगें संलग्न सूची में दी हुई हैं। यह मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 673 पर।)

श्री बाबू लाल वर्मा---

यह मांगें क्या हैं और आपको यह मांगें कब प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें। ये 9 मांगें हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा---

यह 9 मांगे जो आपको प्राप्त हुईं वह कौन-कौन सी हैं और शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष---

मांगें तो लिखी हुई हैं। कब प्राप्त हुईं यह बता दें मन्त्री जी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है कि किस तिथि को यह मांगें शासन को प्राप्त हुई थीं ?

श्री बाबू लाल वर्मा---

इसके पहले भी कोई इस तरह की मांगें आपको प्राप्त हुई थीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मेरे सामने तो शासन को जो प्रस्तुत हुई हैं वह 9 मांगें हैं। इससे पहले कोई और मांगे उन्होंने की हों वह मेरे सामने नहीं हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा---

पंचायती राज कर्णिक संघ की ओर से जो आपको 9 मांगें प्राप्त हुई हैं इस सम्बन्ध में आपने उत्तर दिया कि विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आपका विचार पूरा हो जाएगा और इन मांगों को कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जो मैंने पहले उत्तर दिया था उसको मैं जरा ठीक करना चाहता हूं। दिनांक 12 दिसम्बर, 1974 को मुख्य सचिव को उनकी मांगें प्राप्त हुई थीं। उन्होंने सामुदायिक विकास विभाग को भेजा है। जो मांगें उन्होंने प्रस्तुत की हैं, उनमें से मांग 2, 3 और 4 जिनका सम्बन्ध वेतन से है, उन पर वेतन आयोग ने अपना निर्णय दे दिया था और उसके मुताबिक पुनरीक्षित वेतन के आदेश जारी कर दिए गए थे। फिर उस पर एक असंगति समिति बैठी हुई है, उन्होंने असंगति समिति के समक्ष इन मांगों को प्रस्तुत किया हुआ है। असंगति समिति उस पर सम्भवत : विचार कर रही है। शेष कुछ मांगें ऐसी हैं जो जिलास्तर की हैं। उन पर प्रदेश के स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री बाबू लाल वर्मा---

इस समय उनको क्या वेतन मान मिल रहा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

वेतन आयोग ने जो वेतनमान निर्धारित किया है, उसी के बारे में मैंने कहा कि पुनरीक्षित किए गए वेतनमान दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

*12---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

सैनेटरी सुपरवाइजर एशोसिएशन, स्वास्थ्य विभाग की मांगें

*13---श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सैनीटरी सुपरवाइजर एसोशिएशन, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से अन्य विभागों के सुपरवाइजरों की भांति न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन बढ़ाने व मार्ग भत्ता देने के बारे में 1974 में कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रभु नारायण---

सेनेटरी सुपरवाइजर एसोशिएशन स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 1974 में शासन को जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था उसमें मुख्य रूप से वेतन आयोग द्वारा नया वेतनमान निर्धारित कराए जाने तथा सेनेटरी सुपरवाइजर के पद की अर्हता छठी कक्षा से हाई स्कूल

करने की मांग की गई थी। उससें मार्ग भत्ता दिए जाने की मांग का उल्लेख नहीं था। जहां तक नया वेतन मान निर्धारित किए जाने का प्रश्न है, शासन द्वारा आवश्यक आदेश दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 को जारी किए जा चुके हैं।

हरदोई जिले की नगरपालिका, पिहानी के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*14—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी द्वारा अपने कर्मचारियों को 1954 में संशोधित वेतन की अवशेष धनराशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया तथा उनमें से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि सेवा निवृत्त हो गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनका भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करेगी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

नगरपालिका, पिहानी को सन् 1954 से बढ़े वेतन का अपने कर्मचारियों को बकाया देना था जिसमें से 1964 से प्रत्येक पिछले एक वर्ष का decreasing order में बकाया वेतन प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान होता रहा है। अब पालिका को सन् 1954 से सितम्बर, 1957 तक का बकाया बढ़ा वेतन decreasing order में भुगतान करना है जिसको पालिका प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले एक वर्ष की दर से भुगतान करने की व्यवस्था कर रही है।

जिन कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान होना है उनमें से 2 कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं और उनका बकाया भी पालिका भुगतान करने की व्यवस्था कर रही है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

बकाये वेतन का भुगतान कब तक हो जाएगा?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

आज ही सुबह मैंने इस बात के आदेश कर दिए हैं कि बहुत जल्द भुगतान किया जाए और अधिक विलम्ब न हो।

देवरिया जिले के डाक्टरों के स्थानान्तरण में तथाकथित अनियमितताएं

*15—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया के एक विधायक द्वारा जनपद देवरिया के डाक्टरों के स्थानान्तरण में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं तथा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में देवरिया के कतिपय विधायकों द्वारा दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, मुख्य शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूचना निम्नलिखित है:—

(1) जिला देवरिया में पी0 एच0 सी0 फाजिल नगर के डाक्टर का स्थानान्तरण दो वर्ष बाद कर दिया गया।

(2) जिला देवरिया के पी0 एच0 सी0 कुबेर नाथ के चिकित्साधिकारी, जिनके विरुद्ध शिकायतें थीं और जिनका स्थानान्तरण गोरखपुर हुआ था देवरिया के पी0एच0 सी0 सुखरौली किया गया और सुखरौली के एक डाक्टर का स्थानान्तरण हटा कर कर दिया गया।

(3) देवरिया में पी0 एच0 सी0 तरयासुजान के डाक्टर का स्थानान्तरण पी0 एच0 सी0 नौरंगिया देवरिया में किया गया जब कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था और सामान्यतया उन्हें जिले के बाहर जाना चाहिए था।

(4) पी0एच0सी0 परतावल, गोरखपुर के डाक्टर का स्थानान्तरण एक वर्ष के अन्दर ही पी0 एच0 सी0 तमखोही देवरिया कर दिया गया तथा तमखोही के

चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण इसलिये किया गया क्योंकि परतावल के डाक्टर जूनियर थे।

(5) कुबेरनाथ पी0 एच0 सी0 के डाक्टर का स्थानातरण केवल 2 वर्ष के भीतर कर दिया गया। इनके विरुद्ध शिकायत थी। अत : इनका स्थायी स्थानान्तरण कर दिया गया।

उपरोक्त सभी डाक्टरों के स्थानान्तरण जनहित में एवं प्रशासनिक कारणों से किए गये। अत : किसी भी स्थानान्तरण में भ्रष्टाचार, पक्षपात व अनियमितता बरते जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जो ज्ञापन-पत्र मिला है वह किस विधायक के खिलाफ था ?

श्री प्रभु नारायण--

यह श्री कृष्णानन्द राय ने दिया है और जो बात उसमें कही गयी है वह श्री रामायण राय जी के विरुद्ध कही गयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि पी0 एच0 सी0 कुबेरनाथ के डाक्टर श्री रामाधार शास्त्री के भाई हैं। और चूंकि श्री रामायण राय के विरुद्ध चुनाव लड़ रहें थे, इसलिए उनको परेशान करने की नीयत से उनका ट्रान्सफर किया गया ?

श्री प्रभु नारायण--

और सभी स्थानान्तरण पहले हुए थे, एक इस समय हुआ है। यह सही है कि पी0 एच0 सी0 कुबेरनाथ के डाक्टर श्री रामाधार शास्त्री के भाई हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मगर वह चुनाव क्षेत्र श्री रामायण राय जी का है, अब उस क्षेत्र में चाहे कोई श्री रामायण राय जी का भाई हो, या चाहे श्री रामाधार शास्त्री का भाई हो, ऐसे समय उसे रखना जब कि चुनाव हो रहा हो, उचित नहीं था। फिर भी चूंकि श्री रामाधार शास्त्री के भाई थे इस बात का खयाल करके उनके विशेष तौर पर एक अच्छे स्थान देवरिया सदर अस्पताल में रखा गया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि कुबेरनाथ पी0 एच0 सी0 पर जो वहां डाक्टर थे--बहुत जोर का हैजा फैला और कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी और जिस आदमी की नियुक्ति की गयी वह एक भूतपूर्व विधायक का भाई था, जिसका घर वहां से 3-4 मील दूर है और उसने अपना एक दवाखाना भी वहां खोल रखा है और क्या यह बात भी सही है कि अस्पताल भूतपूर्व विधायक की पार्टी का अड्डा बना हुआ था और इसका वे पता लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह हो सकता है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं उठता है। और आप लोग जानते हैं।

जिला परिषद् के उपाध्यक्ष के चुनाव की मांग

*16--श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् के उपाध्यक्षों का चुनाव 31 मार्च, 1975 तक कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं। क्योंकि संसद एवं विधान मन्डल का बजट सत्र चल रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह चुनाव कब तक करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

लोक सभा और विधान सभा के अधिवेशनों के तुरन्त बाद चुनाव का कार्य-क्रम है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

31 मई तक करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसा ही विचार है।

सचल खाद्य अपमिश्रण इकाइयों में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के पदों पर नियुक्तियां

*17—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि मन्डलीय स्तर पर मोबाइल फूड स्क्वायड में अब तक खाद्य निरीक्षक के पदों पर सेनेटरी इन्सपेक्टरों के सम्वर्ग से केवल जेष्ठता एवं चरित्र पंजिकाओं के सन्तोषजनक पाए जाने के आधार पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा नियुक्तियां की जाती रही हैं ? अब इस पद्धति को छोड़ कर जूनियर सेनेटरी इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां उक्त महत्वपूर्ण पदों पर की जा रही हैं ? यदि हां, तो पूर्व पद्धति के आधार पर नियुक्तियां जारी रखने में क्या आपत्ति थी और नई पद्धति अपनाने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। प्रदेश के 46 जिलों के लिए मुख्य खाद्य निरीक्षक के 46 पदों के सृजन से पूर्व सेनेटरी इन्सपेक्टरों की प्रोन्नति के लिए केवल सचल खाद्य अपमिश्रण इकाई (मोबाइल फूड स्क्वायड) में चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद उपलब्ध थे इसलिए इसमें सेनेटरी इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां ज्येष्ठता के आधार पर की जाती थीं, किन्तु मुख्य खाद्य निरीक्षक के कथित अतिरिक्त पदों, जिन पर नियुक्तियां "ज्येष्ठता अनुपयुक्तियों को छोड़ कर" के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया, और जिसके लिए चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों पर विचार कर लिया जाता है, के सृजन के पश्चात् सचल खाद्य अपमिश्रण इकाइयों में सेनेटरी इन्सपेक्टरों के पदों पर तैनाती के लिए अलग से वरिष्ठता का आधार रखना आवश्यक नहीं रह जाता।

देवरिया जिले के नौरंगिया ब्लाक में चेचक का कथित प्रकोप

*18—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में नौरंगिया ब्लाक के विजपुर, रायपुर, फलवरिया आदि ग्रामों में इस समय फैले भयंकर चेचक के प्रकोप को रोकने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? सरकार को किन-किन गांवों में चेचक के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री प्रभु नारायण—

जिला देवरिया में नौरंगिया ब्लाक के प्रश्नगत ग्रामों में चेचक की बीमारी नहीं है। अतः उसे अलग से रोकने की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। इस समय देवरिया जनपद में चेचक के प्रकोप की सूचना कहीं से भी नहीं प्राप्त हुई है।

श्री श्रीनारायण—

माननीय अध्यक्ष जी, हम जा के देख अइली हैं कि वहां चेचक से लोग तबाह बा आउर मन्त्री जी कह तानीं कि उहां चेचक नइखे। त के दिहल हई रिपोर्ट। हम गइल रहनीं हैं, हमरा एकदम सूचना बा।

श्री अध्यक्ष---

आप बतला दें कि कहां-कहां पर है?

श्री श्रीनारायण---

हम बतलावत बानी। विजयपुर, फुलवरिया, रायपुर ए सब गांव में चेचक बड़ा भयंकर बा। जेतना रिपोर्ट आइल बा बिलकुल गलत बा। मन्त्री जी एकर जांच कराइव कि इके रिपोर्ट देहल हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप अंग्रेजी भी जानते हैं और हिन्दी भी जानते हैं। अब तक मैं भ्रम में था। आप हिन्दी में बोलें। (हंसी)।

श्री श्रीनारायण---

मान्यवर, उस गांव में कोई भी अधिकारी नहीं गया था, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण---

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने जिस समय इसकी सूचना दी है, उस समय चेचक की बीमारी का प्रश्न नहीं था लेकिन 1974 में जरूर वहां पर स्मालपाक्स फैला था और जरूर उस क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप था लेकिन जिस समय माननीय सदस्य ने प्रश्न दिया है, इस समय चेचक की स्थिति नहीं है।

श्री श्रीनारायण---

इस समय चेचक फैला हुआ है, चल कर उसकी जांच की जाय। जो रिपोर्ट आयी है, बिलकुल गलत है। यह रिपोर्ट किस अधिकारी ने दी है ?

श्री प्रभु नारायण---

इस समय यह भी नियम बना हुआ है कि किसी व्यक्ति द्वारा चेचक की सूचना देने पर उसे 100 रुपये इनाम भी मिलता है।

श्री श्रीनारायण---

मान्यवर, मैं नाम बता रहा हूं। प्रधानाचार्य श्री ब्रह्म देव, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर।

श्री अध्यक्ष---

इसको बाद में दे दीजिएगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 19, श्री हिम्मत सिंह का नाम पुकारने पर)

एक सदस्य---

श्रीमन्, इन्होंने नाम बतलाया है इनको 100 रुपये का इनाम इसलिए मिलना चाहिए।

(हंसी)

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि स्माल पाक्स प्रदेश से करीब-करीब निल हो रही है। कहीं एक आध केस की रिपोर्ट रही है। मैं समझता हूं कि इस अप्रैल के अन्त तक स्माल पाक्स की स्थिति नहीं रह जायगी। मिजिल्स का छोटा मोटा केस हो सकता है। स्माल पाक्स जिससे मृत्यु हो जाती है, जैसा अभी वहां पर बताया गया, यह बीमारी वहां पर नहीं है। और प्रदेश में कहीं पर की सूचना अगर माननीय सदस्य देंगे तो जो कार्यवाही होगी, अवश्य की जायगी ?

श्री राम अधार---

हमारे यहां एक विधायक के यहा बड़े जोरों पर है।

नगरपालिका बुलन्दशहर के चुनाव की मांग

*19—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि नगरपालिका, बुलन्दशहर का चुनाव शीघ्र कराने के सम्बन्ध में जन संघर्ष समिति के संयोजक का कोई पत्र 4 फरवरी, 1975 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां, फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति के सम्बन्ध में ऐक्ट में संशोधन हेतु विधेयक विधान सभा की प्रवर समिति के विचाराधीन है।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह विधेयक सदन के अन्दर कब आ जायगा और कब तक चुनाव कराए जायेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैं क्या निवेदन करूं। माननीय सदस्य खुद बड़े विज्ञ हैं। यह तो विधेयक आ चुका है और प्रवर समिति के विचाराधीन है। समिति अगले सत्र के पहले तक रिपोर्ट दे देगी जब रिपोर्ट आ जायगी .....

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, पास हरने के बाद 4 महीने के अन्दर क्या चुनाव करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले पास होगा, पास करते वक्त आप कहें।

मिर्जापुर जिले के नरायनपुर ब्लाक के अन्तर्गत पुलिया के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि

*20—श्री राम अधार—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1972 को विकास खंड अधिकारी, नरायनपुर, मिर्जापुर ने तत्कालीन जिला अधिकारी, मिर्जापुर की अनुज्ञा से दो लाख रुपया पुलिया बनवाने के लिए निकाला और उसी दिन चेक फरके उपयोग प्रमाण-पत्र दे दिया तथा वर्ष 1972-73 में में दो लाख रुपया उन्हीं पुलियों में पुनः खर्च किया है ? यदि हां, तो खंड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दिनांक 31 मार्च, 1972 को खंड विकास अधिकारी, नरायनपुर ने दो लाख रुपए नहीं निकाले और न इस सम्बन्ध में कोई उपयोग प्रमाण-पत्र ही दिया।

वर्ष 1972-73 में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने दो लाख रुपया दिनांक 31 मार्च, 1973 को पुलिया निर्माण हेतु निकाला अतः उन्हीं पुलियों पर दो बार कोई खर्च नहीं किया गया।

श्री राम अधार —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास खंड, नरायनपुर में विकास खंड अधिकारी ने सन् 1972 में पुलिया के नाम पर कब-कब रुपया निकाला और किस तारीख को और किस पुलिया के लिए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मिर्जापुर जिले से जो सूचना आयी उस सूचना के आधार पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह धन जो खंड विकास अधिकारी ने निकाला है, य सामुदायिक विकास विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह नारायणपुर में टेस्ट वर्क के लिए य

भुगतान किया गया। अतिरिक्त जिला अधिकारी (प्रशासन) ने सूचित किया है कि समस्त अभिलेख सतर्कता आयोग को सौंपे जा चुके हैं। विशेष विवरण नहीं है। विकास खंड अधिकारी, नरायनपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर 2 लाख रुपया पुलिया निर्माण हेतु दिनांक 31 मार्च, 1973 को आहरित किया गया था।

श्री राम अधार---

मान्यवर, यह मन्त्री जी के जवाब से साबित हो गया है कि पुलिया के नाम पर विकास खंड अधिकारी ने घपला किया है। घपले के कारण सतर्कता विभाग को यह जांच दी गयी है। यह साबित हो गया है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर सतर्कता आयोग को जांच दे दिया है और यह विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो आपने इस खंड विकास अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया जबकि इसके विरुद्ध जांच हो रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, पुलिया के निर्माण के लिए रुपया निकाला गया था और पुलिया का निर्माण हुआ है। यह कहीं नहीं कहा गया कि उस धन से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। जब तक सतर्कता आयोग के पूरी छान-बीन होकर रिपोर्ट नहीं आती है तब तक खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री राम अधार---

मान्यवर, यह पूरी रिपोर्ट मन्त्री जी बदल रहे हैं। सही यह है कि वह मामला कलेक्टर के विभाग से सम्बन्धित था और एक पुलिया के लिए दो बार दो-दो लाख रुपया निकाला गया है। क्या मन्त्री जी इसकी पूरी जांच जल्दी कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जांच तो हो रही है इस सारे मामले में और सतर्कता आयोग जांच कर रहा है। दूसरी जांच बिठाना और कहां तक उचित होगा।

सघन पशु विकास प्रायोजना, जिला नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल विकास खंड में किए गए कार्य का विवरण

*21---श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में प्रगाढ़ पशुधन विकास परियोजना (आई० सी० डी० पी०) क्या नैनीताल तहसील में भी कार्य कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो इस तहसील में कब तक इस योजना का कार्य प्रारम्भ होगा ?

पशुपालन मन्त्री (श्री नारायण सिंह)---

जी हां।

परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल तहसील का केवल भीमताल विकास खंड आता है। इस खंड में दिसम्बर, 1974 के अन्त तक किए गए कार्य का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 674 पर।)

श्री बालकृष्ण सनवाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल तहसील में रामगढ़ और ताल घाट विकास खंड जहां पशुओं की बहुतायत है क्या वहां पर भी इस योजना को लागू करने का विचार सरकार का है ? यदि हां, तो कब तक लागू किया जा सकेगा ?

श्री नारायण सिंह---

मान्यवर, नैनीताल में बहुत सी तहसीलें हैं। अभी यह पैसा की कमी से विचार नहीं है कि कहां-कहां किया जाएगा।

---

*नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बालकृष्ण रानवाल---

मान्यवर, मन्त्री जी ने एक लिस्ट दिया है जिसमें कृत्रिम और नैसर्गिक गर्भाधान के केन्द्र बताये हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो गर्भाधान हुए हैं उनमें से कितने कृत्रिम से और कितने नैसर्गिक से गर्भाधान हुए हैं और कितने उसमें किस तरह से सफल हुए हैं ?

श्री नारायण सिंह---

माननीय सदस्य के सामने सूची है कि कितने गर्भाधान हुए हैं--- 1970-71 में 110, 1971-72 में 224, 1972-73 में 259 और यह भी लिखा हुआ है कि 1973-74 में 431, 1974-75 में 407 तथा कितने बच्चे पैदा हुए यह भी सूची में लिखा हुआ है।

श्री बालकृष्ण रानवाल---

मान्यवर, मेरी सूचना है कि कृत्रिम गर्भाधान सफल नहीं होता है। चूंकि इनके इक्यूपमेन्ट नहीं हैं। इसलिए इसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसलिए कितने नैसर्गिक से और कितने कृत्रिम से हुए यह बता दें। क्या कृत्रिम गर्भाधान की सामग्री जो होती है वह उनके पास उपलब्ध है ?

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

प्राकृतिक गर्भाधान के होते हैं कृत्रिम के कहा होंगे ?

श्री नारायण सिंह---

कृत्रिम गर्भाधान से 41 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक कन्सेप्शन होते है, इससे ज्यादा हमेशा फेल हो जाते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, नैनीताल में और हलद्वानी में डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट है और वह अभी तक रिक्त है। यही कारण है कि यह अभियान सफल नहीं होता है क्या मन्त्री जी वहां डिप्टी डाइरेक्टर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह---

मान्यवर, असफल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यदि डिप्टी डाइरेक्टर वहां नहीं है तो वह दूसरा सवाल है। यह बात यदि सही है तो उसको देखेंगे।

*22---श्री मोहन लाल कपूर---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गोरखपुर जिले के कृषि अधिकारी के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट

*23---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के वर्तमान कृषि अधिकारी के विरुद्ध अप्रैल 1974 में संयुक्त निदेशक (ब्यूरो) ने जांच की थी एवं अपनी रिपोर्ट शासन को दी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई और क्या यह भी सच है कि इसके बाद भी कई शिकायतें जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध शासन को मिलीं ? यदि हां, तो इनके विषय में क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

जी हां।

मामला विचाराधीन है।

जी हां, इसके बाद भी शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर जांच कराई गई।

अशोक कोल्ड स्टोरेज, जिला जौनपुर में आलू के सड़ने की शिकायत

*24--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि अशोक कोल्ड स्टोरेज एन्ड जनरल मिल्स मुंगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर के 10 हजार बोरा किसानों के आलू सड़ने की 1974 में जांच जिला कृषि अधिकारी द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या निकला तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सर्वश्री अशोक कोल्ड स्टोरेज, मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में 8,700 बोरे आलू सड़ने की शिकायत प्राप्त हुई। 68 भन्डारणकर्ताओं का रु 044,732.60 पैसे मुआवजा लाइसेन्सिंग अधिकारी (शीतगृह) ने निश्चित कर दिया है। शेष 52 भन्डारणकर्ताओं के विषय में निर्णय लेने के सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ मास्टर प्लान के "राइट अप" की मांग

*25--श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न अंख्या 25 और नत्थी 'ख' के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ मास्टर प्लान का कोई "राईट अप" तैयार किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है और लखनऊ मास्टर प्लान के मानदन्ड और प्रस्ताव क्या-क्या हैं और क्या उन्हें लागू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां, लखनऊ महायोजना का "राइट अप" तैयार किया गया है। मास्टर प्लान की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है। उसमें सब बातें देखी जा सकती हैं।

*26--श्री गजाधर प्रसाद आर्य--

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि लखनऊ मास्टर प्लान के "राइट अप" की प्रतियां बाजार या किसी सरकारी स्टोर में विक्रय के लिए उपलब्ध की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

लखनऊ मास्टर प्लान के राइट अप की प्रतियां जनता की जानकारी हेतु उपलब्ध कराने के लिए विकास प्राधिकरण नगर महापालिका लखनऊ को आदेश दे दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद निदेशक के अधीन आयुर्वेदिक स्नातकों के वेतन मान में अन्तर

*27--श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे आयुर्वेदिक स्नातक जो कि स्वास्थ्य विभाग में सेवा कर रहे हैं उनका वेतन-मान और भत्ता उन आयुर्वेदिक स्नातकों से क्यों कम है जो चिकित्साधिकारी के पद पर आयुर्वेद निदेशक के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

श्री प्रभु नारायण--

क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सेवारत आयुर्वेदिक स्नातकों तथा आयुर्वेद निदेशक के अधीन चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत आयुर्वेदिक स्नातकों के संवर्ग भिन्न-भिन्न हैं तथा उनके कर्त्तव्य भी भिन्न हैं, अत : इनके वेतनमानों की तुलना करना समीचीन न होगा।

जिला परिषद् आगरा के भूतपूर्व सहायक लेखक श्री ईश्वर प्रसाद लवानिया के अवशेष वेतन का भुगतान

*28—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त, आगरा मन्डल, आगरा के आदेश दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 व पृष्ठांकन संख्या 1231/इक्कीस—35/62-63, दिनांक 4 जनवरी, 1975 के सन्दर्भ में जिला परिषद्, आगरा के भूतपूर्व सहायक लेखक स्व0 श्री ईश्वर प्रसाद लवानिया का दिनांक 20 अक्तूबर, 1957 से 29 जून, 1963 तक के निलम्बन काल का अवशेष 2/3 वेतन एवं महंगाई भत्ता उनके वारिसों को अब तक प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि आयुक्त, आगरा मन्डल ने अपने सन्दर्भित आदेशानुसार श्री ईश्वर प्रसाद लवानिया, भूतपूर्व सहायक लेखक, जिला परिषद्, आगरा को दिनांक 20 अक्तूबर, 1957 से 29 जून, 1963 तक उनके निलम्बन की अवधि का दो-तिहाई वेतन देने का निर्णय लिया था। इसका भुगतान इस कारण नहीं हो सका क्योंकि जिला परिषद् के कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड के गबन करने के अन्य आरोपों के विषय में श्री लवानिया के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी। उनके विरुद्ध एक फौजदारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें दिनांक 2 मई, 1968 से पुन : निलम्बित किया गया और अन्त में जनवरी, 1973 में उन्हें जिला परिषद् ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के आदेश में यह कहा गया कि गबन का रुपया इनके वेतन के अवशेषों में से काट लिया जायगा। बर्खास्तगी के इस आदेश के विरुद्ध श्री लवानिया ने अपने सेवाकाल में आयुक्त, आगरा मन्डल के यहां अपील की थी जिस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। इस निर्णय के होने तक उनके अवशेष वेतन का भुगतान रुका हुआ है।

लखनऊ, वाटर वर्क्स विभाग के जूनियर फिटर का वेतन-मान

*29—श्रीमती कैलाश पति (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका लखनऊ के वाटर वर्क्स विभाग में जूनियर पाइप लाइन फिटर के पदों के लिए ट्रेन्ड तथा अन्ट्रेन्ड दो प्रकार के वेतन-मान निर्धारित हैं ? यदि हां, तो इन वेतनमानों के दिए जाने के क्या माप दन्ड हैं ? ट्रेन्ड वेतनमानों का लाभ कितने कर्मचारियों को दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं, नगर महापालिका, लखनऊ में जूनियर पाइप लाइन फिटर का कोई पद नहीं है। जूनियर फिटर नामक 22 पद हैं। इनमें 19 पद भरे हैं। 3 रिक्त हैं। इन सभी 19 पदों के पदधारकों को रु0 168-2-188-3-218 का वेतन-मान दिया जा रहा है।

वाराणसी जिले के ज्ञानपुर अस्पताल के विस्तार की कथित योजना

*30—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर अस्पताल का विस्तार करने की स्कीम विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्कीम क्या है और इसे कब तक लागू किया जायगा ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है ?

वाराणसी जिले के गोपीगंज अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति एवं दवाओं व शय्याएं बढ़ाने की मांग

*31--श्री रामरति बिन्द--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील के गोपीगंज अस्पताल में लेडी डाक्टर रखने तथा वार्षिक दवाओं का भंडार बढ़ाने व बेड बढ़ाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभु नारायण--

गोपीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेडी डाक्टर रखने वा शय्यायें बढ़ाने की इस समय योजना नहीं है।

वर्ष 1974-75 से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उसके उप केन्द्रों के लिये दवाओं का वार्षिक बजट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 28,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के लिपिकों का स्थायीकरण

*32--श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपूर में तत्कालीन निदेशक के आदेश संख्या एच0 ए0-10776-810 स्था0 लिपिक, दिनांक 24-1-75 के द्वारा वरिष्ठ लिपिकों का जो स्थाईकरण किया गया है, उसमें सीनियारिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार स्थाई किये गये लिपिकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम सभा गुताशी के प्रधान को चार्ज न मिलना

*33--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद) तथा श्री अनवार मोहम्मद (जिला फर्रूखाबाद)--

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1972 के ग्राम सभा प्रधानों के निर्वाचन के उपरान्त ग्राम सभा गुताशी, ब्लाक बढ़पुर, जिला फर्रुखाबाद के प्रधान ने अनेक शिकायतें जिला प्रशासन को लिखित दी कि उन्हें पूर्व प्रधान ने चार्ज में पूरा सामान व धन नहीं दिया है ? यदि हां, तो यह बताने का कष्ट करें कि इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ग्राम सभा गुताशी, ब्लाक बढ़पुर के प्रधान श्री बृजनन्दन सिंह ने चार्ज में रु0 2079.09, एक थ्रेशर तथा एक बिछौना न देने सम्बन्धी शिकायती पत्र दिनांक 21-6-73 खंड विकास अधिकारी को दिया था जिस पर खंड विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 25-6-73 द्वारा पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद को भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा।

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील की मिडवाइफों का बकाया वेतन

*34--श्री रामरेखा यादव (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में कितनी ऐसी मिडवाइफों का 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 का वेतन तथा भत्ता इत्यादि बकाया है ? जो अभी (27-9-74) तक भुगतान नहीं किया गया ? वे कौन-कौन हैं तथा उनके बकाये वेतन भत्ते के भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

पांच मिडवाइफों का केवल कुछ अवधि का वेतन तथा भत्ता इत्यादि बकाया है। इनके नाम निम्न हैं :—

(1) श्रीमती एस0 डी0 सेमुअल
(2) कु0 रोजलीन
(3) श्रीमती जैन्तुन निशा
(4) श्रीमती प्रीतीराम हित
(5) श्रीमती फूलपत्ती

इनके बकाया वेतन भत्ते आदि का भुगतान निकट भविष्य में कर दिया जायेगा।

प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों के नए वेतन-मान का निर्धारण

*35—श्री श्याम बिहारी सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि स्नातकोत्तर विकास (प्लास्टिक सर्जरी मेडिकल कालेज, लखनऊ) में सृजित पदों को उत्तर प्रदेश वेतन आयोग 1972 की रिपोर्ट के अनुसार रिवाइज वेतन-मान दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उसका एरियर मिल चुका है? यदि नहीं, तो क्यों, तथा कब तक रिवाइज वेतन-मान एवं एरियर दिये जायेंगे?

श्री प्रभु नारायण—

पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश 24 मार्च, 1975 को रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय को भेज दिये गये हैं जिसके अनुसार संबंधित कर्मचारियों से पुनरीक्षित वेतनमानों के सम्बन्ध में विकल्प मांगा जायेगा और 90 दिन के अन्दर विकल्प प्रस्तुत न करने पर यह माना जायेगा कि कर्मचारी ने नया वेतनक्रम चुन लिया है। इसके पश्चात् लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के बकाये की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही संभव है।

डाक्टर गजाधर त्रिपाठी, मेडिकल आफिसर, गोरखपुर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*36—श्री राम रेखा यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू0 पू0 मेडिकल आफिसर (डा0 गजाधर त्रिपाठी) जो इस समय गोला, जि0 गोरखपुर में हैं, के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन, सरकारी धन के दुरुपयोग इत्यादि गम्भीर आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जा रही है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या-क्या है?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। यह जांच सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

*37—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर जिला गोंडा के संचालक मन्डल के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रखने की मांग

*38—श्री दरश्य सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि कोआपरेटिव बैंक, बलरामपुर, जिला गोंडा के संचालक मंडल का संचालन केवल कोआपरेटिव सदस्यों से ही हो रहा है और उसमें जनता द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य नहीं है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह---

जी हां।

सहकारी नियमों के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल का चुनाव केवल सहकारी सदस्यों द्वारा ही होता है अतः जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य भेजने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाराबंकी जिले के विकास खन्ड रामनगर के अन्तर्गत कोआपरेटिव की वसूल की गयी धनराशि का अपहरण

*39---श्री राम पाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड राम नगर में कोआपरेटिव की बकाया की तीन कुर्क अमीनों द्वारा वसूला हुआ धन लगभग 12,000 रु0 माह नवम्बर, दिसम्बर, 1974 से अब तक ए0 डी0 ओ0, (सहकारिता) ने अपने पास रखा? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

श्री नारायण सिंह---

जी नहीं।

बकाया का वसूल किया हुआ धन ए0डी0ओ0 (सहकारिता) ने नहीं अपितु प्रश्न में उल्लिखित तीन कुर्क अमीनों में से दो कुर्क अमीनों ने रोक रक्खा है। रोकी गयी धनराशि 9851 रुपया 97 पैसा है।

धन के अपहरण का यह मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया है जो अभी पुलिस की विवेचना में है।

मेरठ जिले की टाउन एरिया, किठौर द्वारा नाले का निर्माण

*40---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया किठौर (मेरठ) में नाला बनवाने सम्बन्धी धन कब स्वीकार किया गया था और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

टाउन एरिया किठौर में नाला बनवाने संबंधी धन स्वीकार नहीं किया गया है। ऊपरी सतह की नालियों के लिये शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति नहीं है।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा बरेली पीलीभीत मार्ग पर अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*41---श्री सत्य प्रकाश---

क्या स्वायत्त शासन एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में पीलीभीत मार्ग पर मौजा उदयपुर खास की जो भूमि आवास विकास परिषद् के लिये जुलाई, 1973 में सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो मुआवजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

आवास एवं विकास परिषद् को बरेली-पीलीभीत मार्ग पर भूमि विकास योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का मुआवजा, एवार्ड घोषित होने के पश्चात्, दिया गया है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है जो अर्जन में निहित भूमि पर अपने स्वत्व का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे या जो मुआवजा लेने हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हुए।

*42---श्री शिवचरन लाल---

[13-8-74 के प्रश्न संख्या 20 पर उत्तरित।]

मुरादाबाद जिले में अंग्रेजी शराब व बीयर बार के लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

*43---श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला मुरादाबाद में अंग्रेजी शराब व बीयर बार लाइसेन्स देने के बारे में जिन प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्तियों से 25 रु0 की प्रार्थना-पत्र के हिसाब से जमा कराया गया था उसको लगभग 5 या 6 माह हो चुके हैं परन्तु अभी तक उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया गया ? यदि हां, तो लाइसेन्स देने की व्यवस्था किये जाने में इस देरी का क्या कारण है ?

डाक्टर चरण सिंह---

जी हां।

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने के कारण प्रदेश में नये सृजित किये जाने वाले लाइसेन्सों की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इसी बीच अब यह निर्णय ले लिया गया है कि प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्तियों को 25 रु0 की प्रार्थना पत्र राशि वापस कर दी जाय।

गोरखपुर स्थित सरकारी कृषि कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती में तथा कथित अनियमितता

*44---श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित सरकारी कृषि कालेज में वर्तमान सत्र के अन्तर्गत विद्यार्थियों की भर्ती कार्य में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें हाल ही में मिली थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां।

प्राप्त शिकायतों पर जांच कराने के उपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

बलिया जिले के कोल्ड स्टोरेजों में आलू के सड़ने की शिकायत

*45---श्री निर्भय नरायन सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में इस वर्ष कोल्ड स्टोरेजों में कितना आलू सड़ा है तथा किसानों को नुकसान की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

बलिया जनपद के कोल्ड स्टोरेजों में 585 कुन्तल आलू सड़ने की सूचना प्राप्त हुई है। भंडारणकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के सिलसिले में कार्यवाही हो रही है।

श्री महेन्द्र सिंह भूतपूर्व सेवा निवृत ग्राम सेवक, विकास खन्ड कार्यालय, लखीमपुर के भविष्य निधि का भुगतान

*46---श्री दवोच सिंह (जिला हरदोई)---

31 दिसम्बर, 74 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संदर्भ में क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित श्री महेन्द्र सिंह को उनकी भविष्य निधि का धन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

श्री महेन्द्र सिंह भूतपूर्व सेवा निवृत्त ग्राम सेवक विकास खंड कार्यालय, लखीमपुर के अन्तिम भुगतान जी0 पी0 एफ0 एथार्टी अंक 1263 रु0 की महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से जिला कोषाधिकारी हरदोई के नाम भुगतान हेतु भेज दी गई है तथा श्री सिंह को भुगतान प्राप्त करने हेतु मार्च 24, 1975 को सूचित कर दिया गया है।

पुरुष चिकित्सालय, टिहरी को शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण की आपूर्ति

*47—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि जिला टिहरी गढ़वाल में शल्य चिकित्सक की नियुक्ति राजकीय चिकित्सालय, टिहरी में है परन्तु शल्य चिकित्सा के औजार टिहरी के बजाय नरेन्द्र नगर में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अव्यवस्था को अविलम्ब दूर करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण जो जिला सुमन अस्पताल, नरेन्द्र नगर में थे उनमें से अधिकांश पुरुष चिकित्सालय टिहरी भेजे जा चुके हैं । फिर भी जो कमी अनुभव हो रही है उसे दूर करने के लिये अपेक्षित व्यवस्था की जा रही है ।

*48—श्री श्रीनारायण—

[13-3-75 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर उत्तरित ।]

आदर्श कारागार व जिला कारागार, लखनऊ में बन्दी छात्रों को विशिष्ट श्रेणी दिए जाने की मांग

*49—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श कारागार व जिला कारागार, लखनऊ में दि0 1-3-75 को कितने छात्र विचाराधीन बन्दी हैं ? उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ? उनमें से किस आधार पर कितने को विशिष्ट श्रेणी दी गई और अन्य को क्यों नहीं दी गई ?

कारागार मंत्री (श्री लोक पति)—

आदर्श कारागार तथा जिला कारागार, लखनऊ में 1-3-75 को कुल 27 छात्र विचाराधीन बंदीगण परिरुद्ध थे ।

2—इनमें से जो बंदी अभी भी जेल में हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता की सूची संलग्न है । कारागार में विचाराधीन बन्दियों की शिक्षा योग्यता की सूची नहीं रही जाती है । अतएव जो छात्र विचाराधीन बन्दी मुक्त हो गये हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता की सूचना देना सम्भव नहीं है ।

3—किसी छात्र विचाराधीन बन्दी को जेल में उच्च श्रेणी नहीं दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. 675 पर।)

चिकित्सा विभाग के फार्मेसिस्टों की न्यूनतम योग्यता तथा फार्मेसिस्टों और सेनिटरी इन्स्पेक्टर के वेतनमान में अन्तर

*50—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवा में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है तथा इसकी सेवा क्या शासन ने टेक्निकल सेवा के रूप में स्वीकार किया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण—

फार्मेसिस्टों के पद की न्यूनतम योग्यता इन्टर साइन्स (बायलोजी) के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा है तथा इनकी सेवा को टेक्निकल सेवा के रूप में ही स्वीकार किया गया है ।

*51—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फार्मेसिस्टों और सेनिटरी इन्स्पेक्टर के वेतन-क्रम में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसे शीघ्र दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां।

फार्मेसिस्टों और सेनिटरी इन्स्पेक्टरों के सामान्य कार्यों में भिन्नता के कारण इनके वेतनक्रमों में अन्तर है। यद्यपि इनके वेतन के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

गुरुगोविन्द सिंह मार्ग लखनऊ में श्री सी० एल० अग्रवाल द्वारा अनियमित रूप से भवन का निर्माण

*52--श्री शिव पाल सिंह, श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 फरवरी, 1975 को दिवाकर अभिनन्दन समिति 117-गुरुगोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ के मंत्री का कोई शिकायती-पत्र गुरु गोविन्द सिंह मार्ग पर बने अवैध भवन निर्माण जो बिना नक्शे के मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुये तथा नगरमहापालिका के नजूल भूमि पर भी अनधिकृत कब्जा करने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां।

गुरु गोविन्द सिंह मार्ग पर श्री सी० एल० अग्रवाल द्वारा बिना नक्शा पास कराये भवन का अनधिकृत रूप से निर्माण कराया जा रहा था जिसको रुकवा दिया गया है। अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्री अग्रवाल द्वारा किये जाने वाले अवैध निर्माण में महापालिका अथवा नजूल की भूमि सम्मिलित नहीं है।

*53--श्री अनवार जमील--

[10वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 पर स्थानान्तरित।]

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति का कोटा

*54--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु मार्च, 1975 से प्रारम्भ होने वाले बैच के चुनाव हेतु प्रतियोगात्मक परीक्षा में से विभिन्न केन्द्रों से अनुसूचित जातियों का रिजर्व कोटा निर्धारित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दन्ड देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रभु नारायण--

प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जातियों के लिये कोटा निर्धारित किया गया था। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने तथा उसे दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अलीगढ़ जिले में आवासीय भूखन्डों का निर्माण

*55--श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा अलीगढ़ में बनाये जा रहे आवासीय भूखंडों के निर्माण में भारी तादाद में घोटाला चल रहा है और सीमेन्ट नाम मात्र को तथा बालू अधिक व घटिया ईंटें लगा कर मकान बनाये जा रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि उक्त कारणों से जुलाई, 1974 के पहले पखवारे में मामूली सी वर्षा से एक निर्माणाधीन दीवार गिरी जिसमें चार मजदूर दब कर बुरी तरह घायल हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इन घायल मजदूरों को मुआवजा देने जा रही है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अलीगढ़ में बनाये जा रहे आवासीय भू-खण्डों के निर्माण में निर्धारित मात्रा में सीमेन्ट तथा बालू का प्रयोग किया जा रहा है तथा ईंटें भी उसी किस्म की इस्तेमाल की जा रही हैं। जिनके लिये ठेका दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण में किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो रहा है। परिषद् द्वारा निर्माणाधीन कोई भी दीवार बरसात में नहीं गिरी है। अतः इस सम्बन्ध में आगे कोई प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले के कासगंज के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण की दर

*56--श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा, कासगंज में कोल्ड स्टोर में आलू रखने के प्रति क्विन्टल कितना मूल्य है? क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा कासगंज में कोल्ड स्टोर में प्रति क्विन्टल 18 रु0 चार्ज किया जा रहा है? क्या यह मूल्य कोल्ड स्टोरों के लिये निर्धारित रेट से अधिक है तथा क्या सरकार इन कोल्ड स्टोरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

वर्ष 1975 के सीजन के लिये आलू भंडारण की दर रु0 12.50 प्रति कुन्तल है।

ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर निर्धारित रेट से अधिक चार्ज करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

टिहरी-गढ़वाल जिले के टिहरी नगर में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

*57--श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह विदित है कि जिला टिहरी-गढ़वाल में टिहरी नगर ही जिले का केन्द्रीय एवं सबसे बड़ा नगर है और नरेन्द्र नगर जिले के एक कोने में स्थित है जहां कि केवल कलेक्टरेट के कर्मचारी रहते हैं परन्तु तमाम विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति टिहरी के बजाय नरेन्द्र नगर में ही की जाती है? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है?

श्री प्रभु नारायण---

जिला टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय नरेन्द्र नगर है जहां जिला अस्पताल स्थित है विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्तियां अधिकांशतः जिला अस्पतालों में ही की जाती है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विभागीय संकलकों की प्रोन्नति और संख्या सहायकों के नियुक्ति का आधार

*58--श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के जन्म मृत्यु आंकड़े अनुभाग में संख्या सहायक के सभी पदों को विभागीय संकलकों द्वारा भरे जाने का परामर्श लोक सेवा आयोग ने दिया है किन्तु शासन ने केवल 4 पदों को ही विभागीय संकलकों के लिये आरक्षित किया है? यदि हां, तो क्या शासन शेष पदों को भी विभागीय पदोन्नति द्वारा भरने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है?

श्री प्रभु नारायण--

लोक सेवा आयोग ने चार पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने पर सहमति प्रदान की थी अतः चार पदों को ही विभागीय संकलकों से प्रोन्नति द्वारा भरा गया।

*59--श्री शतरूद्ध प्रकाश---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त अनुभाग में संख्या सहायक के एक पद पर शासन द्वारा एक ऐसे बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति दिनांक 12 सितम्बर,

1974 से की गई है जिसका कोई न तो नियमित चुनाव किया गया और न ही वह विभागीय अभ्यर्थी है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

श्री प्रभु नारायण---

जनवरी, 1971 में दो संख्या सहायकों की सीधी भर्ती के लिये विज्ञापन निकाला गया था जिसके फलस्वरूप चयनोपरान्त एक व्यक्ति की नियुक्ति तदर्थ रूप से कर दी गई थी। तद्पश्चात् जब यह निर्णय लिया गया कि संख्या सहायकों के चार पदों को विभागीयप्रोन्नति द्वारा भरा जाय तब उस व्यक्ति की सेवायें समाप्त कर दी गई। बाद में उसके प्रत्यावेदन पर विचार करने के उरपरान्त पांचवे रिक्त पद पर उसकी तदर्थ रूप से नयी नियुक्ति की गयी।

देवरिया जिले के एक्सरे मशीन रहित राजकीय अस्पताल

*60---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में राजकीय अस्पतालों में कहां-कहां एक्सरे मशीन हैं और कहां-कहीं नहीं है ? जहां एक्सरे मशीन नहीं हैं वहां एक्सरे मशीन की शीघ्र व्यवस्था कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभु नारायण---

देवरिया जनपद में केवल जिला संयुक्त चिकित्सालय तथा टी० बी० क्लीनिक में एक्सरे मशीन उपलब्ध है और जनपद के अन्य अस्पतालों (जिसकी सूची संलग्न है) में एक्सरे मशीन की व्यवस्था नहीं है। सीमित साधनों के कारण अन्य अस्पतालों में एक्सरे मशीन की व्यवस्था करना फिलहाल संभव नहीं है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 676 पर।)

मुरादाबाद जिले के कस्बा नौगांवा सादात की एक महिला द्वारा अस्पताल बनवाने हेतु दान दी गयी धनराशि

*61---श्री मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोटिफाइड एरिया नौगांवा सादात तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद में एक महिला ने 25 हजार रुपये वर्ष 1965 में महिला अस्पताल के लिये सरकार को दिया था और कुछ भूमि भी भवन बनाने के लिये दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण---

कस्बा नौगांवा सादात की एक महिला ने वर्ष 1966 में 25,000 रुपये का दान दिया था। भूमि के सम्बन्ध में केवल आश्वासन दिया था। इसलिये भूमि के अभाव में दान का उपयोग नहीं किया जा सका है। अब उक्त महिला की ओर से 1.07 एकड़ भूमि का दान पत्र आया है जिसका परीक्षण हो रहा है।

कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग दो में पदोन्नति प्राप्त अनुसूचित जाति के सदस्य

*62---श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1974-75 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 व 2 में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं तथा उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग पदोन्नति हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

वर्ग-3 में कोई पदोन्नति नहीं की गई। वर्ग-2 में 195 पदोन्नतियां हुईं, जिनमें 2 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

*63---श्री एदल सिंह---

[6 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील के भवन में वाटर वर्क्स की टंकी का कथित निर्माण

*64—श्री राम पति (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में तरबगंज नामक कस्बा स्थित तहसील भवन की सीमा के भीतर जो वाटर वर्क्स की टंकी बनी हुई है वह कब बनी ? टंकी से कितने क्षेत्र को किस प्रयोजन के लिये पानी देने की योजना थी तथा क्या अब पानी देना प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा पानी देना कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जनपद गोंडा की तरबगंज तहसील के तहसील भवन की सीमा के भीतर कोई वाटर वर्क्स की टंकी नहीं बनी हुई है अतः तहसील भवन की टंकी से पानी देने का प्रश्न नहीं उठता।

*65—श्री इन्द्र पाल सिंह—

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद जिले के ग्राम स्योंडारा के पशु चिकित्सालय का भवन

*66—श्री देवी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद तहसील बिलारी में ग्राम स्योंडारा में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना सन् 1972 मार्च में हुई थी, जिसकी इमारत के लिये 66,000 रु० स्वीकृत हो चुका है तथा ग्राम समाज इस चिकित्सालय के लिये जमीन भी दे चुकी है ? यदि हां, तो चिकित्सालय की इमारत अब तक न बनाने का क्या कारण है और यह इमारत कब तक बनवा दी जायेगी ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1971-72 में तहसील बिलारी के ग्राम स्योंडारा में सघन पशु विकास प्रायोजना के अन्तर्गत एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की गयी थी। उक्त पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। ग्राम समाज स्योंडारा ने उक्त पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु दिनांक 11-10-72 को एक प्रस्ताव भूमि देने के सम्बन्ध में पारित किया है।

योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया था और प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति के कारण उक्त पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण पांचवी योजना काल में संभव नहीं है।

वाराणसी जिले के कृषि विभाग के मिट्टी परीक्षण विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*67—श्री बल्देव (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी जिले के कृषि विभाग के मिट्टी परीक्षण वर्ग में कितने ऐसे कर्मचारी संलग्न हैं जिनका कार्यकाल 3 साल या इससे अधिक हो चुका है परन्तु अस्थायी हैं तथा क्या इनके स्थायीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसे पांच कर्मचारी हैं। इनमें से 2 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के हैं, जिनके बारे में लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

शेष तीन मिनिस्ट्रियल तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो अपने संवर्ग में कनिष्ठ हैं। अतः उनसे ज्येष्ठ कर्मचारियों के स्थायीकरण के बाद ही इनका स्थायीकरण हो सकेगा।

आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल के डाक्डर के० बी० श्रीवास्तव पर घातक हमला

*68—श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़), श्री विश्राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री राम अधार —

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सदर अस्पताल के डाक्टर श्रीवास्तव को दिनांक 3 फरवरी, 1975 को कुछ व्यक्तियों ने अस्पताल के कम्पाउन्ड में जान से मारने की नियत से काफी चोटें पहुंचाई ? यदि हां, तो घटना क्या है और क्या वहां के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा इस अस्पताल में व्याप्त डाक्टरों में आपस में काफी मतभेद की सूचना सरकार को मिली थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रभु नारायण—

दिनांक 2 फरवरी, 1975 को रात्रि में 8.30 बजे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा डा० के० बी० श्रीवास्तव पर घातक हमला किया गया। उक्त घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उक्त अस्पताल में व्याप्त डाक्टरों में आपसी मतभेद होने की सूचना शासन को है। अतः डा० के० बी० श्रीवास्तव को छोड़ कर वहां तैनात समस्त डाक्टरों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

मथुरा जिले की टाउन एरिया सादाबाद के कार्यालय के अभिलेखों का सील किया जाना

*69—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के सादाबाद टाउन एरिया के कार्यालय एवं कागजातों को परगना अधिकारी, सादाबाद ने दिनांक 14 फरवरी, 1975 को सील किया था ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितताये पाई गई एवं सरकार ने उसके लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

परगना अधिकारी, सादाबाद ने टाउन एरिया, सादाबाद के कार्यालय के केवल संदिग्ध अभिलेखों को सील किया था, वस्तुतः कमेटी के कार्यालय को सील नहीं किया गया था।

कैशबुक 3-10-74 से न भरे जाने, चुनाव तथा रिक्तियों की सूचना सक्षम प्राधिकारी को न दिये जाने, कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते न खोले जाने, बजट तथा कर निर्धारण सूची समय पर न तैयार करने, रजिस्टरों का रख रखाव ठीक न होने आदि की अनियमितायें पायी गई। जिलाधिकारी ने विशेष सम्परीक्षण कराये जाने का शासन से अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*70—श्री लक्ष्मी नरायण पांडे—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया।]

जालौन जिले में कृषि बीज गोदाम उरई के उर्वरक की अवैध बिक्री

*71—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में विकास खंड उकोर के कृषि बीज गोदाम उरई में खाद वितरण में बी० डी० ओ० द्वारा अवैध बिक्री की खाद 27 अक्तूबर, 1974 को पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो उस बी० डी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? और क्या यह सत्य है कि जिला कृषि अधिकारी ने उक्त घपले को जांच से बचाने के लिये सत्यापन काल के दौरान बीज गोदाम की पूरी खाद दूसरी जगह भेज दी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां

बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उन्हीं के द्वारा सूचना मिली थी।

दो ट्रक उर्वरक विकास खंड, एट को वहां की आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित की गई थी न कि जांच से बचने के लिये।

प्रश्न ही नहीं उठता।

एम० बी० बी० एस० के प्रदेश से बाहरी छात्रों को इन्टर्नशिप की छात्रवृत्ति मिलना

*72---श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से बाहर एम0 बी0 बी0 एस, की उपाधि प्राप्त करने वाले कितने, किन-किन डाक्टरों को गत तीन वर्षों में शासनादेश से इन्टर्नशिप का वेतन दिया गया है? क्या इस अवधि में कोई ऐसे भी डाक्टर हैं जिनको आवेदन करने के बाद भी इन्टर्नशिप वेतन नहीं दिया गया और न उनके आवेदन का उत्तर ही दिया गया? यदि हां, तो क्यों और उनके क्या नाम हैं?

श्री प्रभु नारायण---

गत तीन वर्षों में (जनवरी, 1972 से मार्च, 1975 तक) किसी भी बाहरी छात्र को शासनादेश द्वारा इन्टर्नशिप की अवधि में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। जिन बाहरी छात्रों को इस दौरान इन्टर्नशिप करने की अनुमति दी गयी थी, उनके आदेशों में उन्हें यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि उनकी इन्टर्नशिप अवैतनिक होगी।

मिर्जापुर जिले की रावर्ट्सगंज तहसील के भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

*73---श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के रावर्ट्सगंज तहसील में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा चलाये जा रहे मेंड़ बन्दी योजना के भ्रष्टाचार के विरुद्ध फरवरी, 1974 में मुख्य मंत्री या डाइरेक्टर, भूमि संरक्षण विभाग, लखनऊ के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया? क्या उसमें यह भी था कि मोती लाल पुत्र तपेश्वरी जिनको मरे 20 वर्ष हो गये, के नाम गलत तौर पर अनुदान की अदायगी की गई है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी नहीं। परन्तु फरवरी, 1975 में एक शिकायती पत्र इसी संदर्भ में प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है।

चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति के चिकित्सकों का आरक्षण

*74---श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चिकित्सा विभाग में अनुसूचित जाति के चिकित्सकों का कोटा पूरा न होने पर भी अभी कुछ दिन पूर्व आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की बहुत बड़ी भर्ती में भी इन जातियों के व्यक्तियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 4827/11-158-1957, दिनांक 6 जनवरी, 1958 एवं संख्या 13 एस-सी 2---बी---9311-64, दिनांक 10 मार्च, 1964 यह प्राविधान भी करती है कि कम से कम योग्यता होने पर भी इनकी नियुक्ति की जाय?

श्री प्रभु नारायण---

जी नहीं। अभी हाल में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के पदों पर कोई नयी भर्ती नहीं की गई है।

कानपुर नगर में जे० के० इन्डस्ट्रियल ग्रुप को लीज पर दी गयी भूमि की अवधि

*75—श्री धर्म वीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर के अन्तर्गत लक्ष्मणबाग की भूमि जो जे० के० इन्डस्ट्रियल ग्रुप के हाथ लीज पर दी गई थी की अवधि समाप्त हो गई है? यदि हां, तो कब? क्या सरकार ने इस भूमि पर मध्यम श्रेणी एवं निम्न श्रेणी की आय वालों के लिये आवास व्यवस्था के लिये योजना बनाई थी और अब उसे समाप्त कर पुनः जे० के० इन्डस्ट्रियल ग्रुप को दिये जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

लीज पर दी गई प्रश्नगत भूमि की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

2—ये सारे मामले शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है।

सेना से वापस हुये पी० एम० एस० मेडिकल आफिसरों के वेतन निर्धारण

*76—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पी० एम० एस० सेवा के जो मेडिकल आफिसर डिपूटेशन पर सेना में गये थे उसमें से कितने डाक्टर जुलाई, 1973 में प्रदेश की पी० एम० एस० सेवा में वापस आ गये? क्या उनका वेतन का निर्धारण नये वेतन-मान में हो गया है? यदि हां, तो कब से? क्या इन डाक्टरों की वरिष्ठता निर्धारित करने में सेना में की गई सेवा का काल जोड़ा गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

तीन अधिकारी।

नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सूचना प्राप्त की जा रही है। अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसार निर्धारित की जाती है। इससे सेना में की गई सेवा काल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों का स्थायीकरण

*77—चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है जब कि हाल ही में शासकीय आदेश हुये कि तीन साल के कार्यरत कर्मचारी को स्थाई किया जाय इस विलम्बता का क्या कारण है?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत सूचना जिला स्तर से एकत्रित की जा रही है।

*78—श्री मंजूर अहमद—

[10वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

मेरठ जिले के ग्राम सेवक के अवशेष वेतन का भुगतान

*79—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के कुछ ग्राम सेवकों का हाल ही में नवम्बर व दिसम्बर, 1974 में स्थानान्तरण किया गया और पुनः उनका स्थानान्तरण निरस्त किया गया? यदि हां, तो उनमें क्या ऐसे भी ग्राम सेवक हैं जिन्हें दिसम्बर, 1974 से वेतन नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां।

एक ग्राम सेवक को दिसम्बर 1974 से वेतन नहीं दिया जा सका क्योंकि स्थानान्तरण के उपरान्त 16-12-74 से अनधिकृत रूप से वह अनुपस्थित रहा तथा उसका व्यक्तिगत अभिलेख स्थानान्तरण के कारण मेरठ से देहरादून भेज दिया गया था जो वापस प्राप्त नहीं हो पाया।

अशोक कोल्ड स्टोरेज, मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में आलू सड़ने की शिकायत

*80---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिना लाइसेन्स प्राप्त किये अशोक कोल्ड स्टोरेज, मुंगरा-बादशाहपुर में जिला जौनपुर ने किसानों का हजारों बोरा आलू, 1974 में रखकर बाद में इसके सड़ जाने की घोषणा की और किसानों के विरोध करने पर शासन ने मामले की जांच कराई तथा जांचकर्त्ता ने 4,31,096 रु0 तथा 26 पैसा मुआवजा देने की सिफारिश करके अपनी रिपोर्ट उद्यान एवं फल निदेशक, उत्तर प्रदेश के पास दिनांक 7 सितम्बर, 1974 को पत्रांक 421-1 सी0 एस0 के द्वारा भेज दी ? यदि हां, तो यह मुआवजा अब तक किसानों को न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में निदेशक फल एवं उद्यान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

सर्वश्री अशोक कोल्ड स्टोरेज मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में 8,700 बोरे आलू सड़ने की शिकायत प्राप्त हुई। 68 भंडारणकर्ताओं का रु0 44732.60 पैसे मुआवजा लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) ने निश्चित कर दिया है। शेष 52 भंडारणकर्ताओं के विषय में निर्णय लेने के सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

1---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

[30-7-74 को तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

गोरखपुर जिले के कतिपय इलाकों के स्वच्छता निरीक्षकों व बेसिक हेल्थ वर्करों के विरुद्ध शिकायतें

2---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदारनगर, खोराबार, ब्रह्मपुर के स्वच्छता निरीक्षकों व बेसिक हेल्थ वर्करों के विरुद्ध जून, 1974 से 8 जनवरी, 1975 तक कितनी शिकायतें जिले व प्रान्त स्तर पर अलग-अलग की गयी तथा अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभु नारायण---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ. 677 पर।)

फर्रुखाबाद जिले में मच्छरों की बढ़ोत्तरी

3---श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फर्रुखाबाद में इस समय मच्छरों की अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो गयी है जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो दुर्घटना से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रभु नारायण--

वर्षाकाल में मच्छरों की संख्या में वृद्धि होनी स्वाभाविक है परन्तु उससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा होने की सूचना नहीं है। मलेरिया का प्रकोप केवल मच्छरों की संख्या पर नहीं बल्कि मलेरिया परजीवी पर भी निर्भर करता है। वैसे मलेरिया का प्रकोप रोकने के लिये की गई कार्यवाही का विवरण मुख्य रूप से निम्न प्रकार है :--

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सर्वेक्षण किया जाता है और बुखार से ग्रसित रोगियों को प्राथमिक उपचार हेतु दवा दी जाती है।

(2) जिन क्षेत्रों में मलेरिया के रोगी मिलते हैं उनका उपचार पूर्ण रूप से 5 दिन किया जाता है।

(3) जिन क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप पाया जाता है वहां आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाता है।

(4) जहां तक शहरी क्षेत्र का प्रश्न है वहां फाइलेरिया नियंत्रण इकाई द्वारा मच्छरों की बढ़ोत्तरी की रोकथाम हेतु मच्छरों के पैदा होने के स्थानों पर दवा का छिड़काव किया जाता है।

बाराबंकी जिले के प्रधानों के चुनाव से सम्बन्धित अनिर्णीत याचिकायें

4--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में पिछले प्रधानों के चुनावों से सम्बन्धित कितनी याचिकायें अनिर्णीत पड़ी हैं और क्यों? कब तक इनके फैसले हो जाने की उम्मीद है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

17 याचिकाएं अभी अनिर्णीत हैं जिनमें साक्ष्य अथवा बहस एवं आदेश विचाराधीन हैं।

न्यायाधिकरणों द्वारा याचिकाओं का निपटारा कब तक हो सकेगा यह बताना शासन के लिये संभव नहीं है।

नगरपालिका, गोरखपुर के रेवेन्यू इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5--श्री चन्द्र शेखर (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सुपरसीडेड नगरपालिका, गोरखपुर के रेवेन्यू इन्सपेक्टरों एवं रेन्ट क्लर्क व प्रधान क्लर्क के खिलाफ जनवरी, 1971 से नवम्बर, 1974 तक कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुई और शासन ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

केवल रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्री लाल जी सिंह के विरुद्ध सर्वश्री शैलजा बल्लभ पाण्डे तथा सन्त प्रसाद शुक्ल के तीन शिकायती पत्र मास सितम्बर 71, जनवरी, 1972 तथा अप्रैल, 1973 में प्राप्त हुये जिन पर जांच कराई गई। 1 सितम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1972 के शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये। अप्रैल, 1973 में प्राप्त शिकायती पत्र पर अभी जांच जारी है।

6--श्री चन्द्र शेखर--

[10वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित।]

7--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त।]

8--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[वित्त विभाग से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

मेरठ जिले के कतिपय ब्लाकों में हरिजनों के लिए कूप-निर्माण

9--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायतराज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ के हस्तिनापुर एवं मवाना ब्लाकों में पेयजल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिये किन-किन ग्रामों में कूयें निर्माण की स्वीकृति गत पंचवर्षीय योजना में हुयी थी और किन-किन ग्रामों में कुयें बने ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 678 पर।)

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10--श्री मधुकर दिघे तथा श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष अगस्त में भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत आदेश दिये थे कि उन अधिकारियों या कर्मचारियों जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं, को निलम्बित या स्थानान्तरित करके तुरन्त निष्पक्ष जांच करायी जाय ? यदि हां, तो इन आदेशों के प्रतिपालन में जिला कृषि अधिकारी, हरदोई को अभी तक, जनपद के 7 विधायकों की फरवरी, 1973 से अब तक आधारभूत शिकायतों पर निलम्बित या स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

6 जुलाई, 1974 को सतर्कता विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जो सरकारी सेवाओं में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने सम्बन्धी पूर्वादेशों की तरफ ध्यान आकर्षित करने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में था।

शिकायती पत्रों पर जांच करा ली गई है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की जेलों में कैदियों के रहने का स्थान

11--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रान्त में किस-किस जेल में कितने-कितने कैदियों और हवालातियों के लिये रहने के लिये स्थान हैं और उनमें से कितने-कितने 31 अक्तूबर, 1974 को इन जेलों में बन्द थे ?

श्री लोक पति--

प्रदेश में जेलों में कैदियों और हवालातियों के रहने के लिये स्थान तथा उनमें 31-10 1974 को परिरुद्ध बंदियों से सम्बन्धित सूचना † तालिका 'क' तथा 'ख' में संलग्न है।

इलाहाबाद जिले के मलेरिया कर्मचारी संघ की मांगें

12--श्री राम रेखा यादव--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मलेरिया कर्मचारी संघ, इलाहाबाद शाखा द्वारा इस आशय का कोई मांग-पत्र उनको वर्ष, 1974 में मिला कि कर्मचारियों को स्थायी किया जाय, गृह भत्ता दिया जाय तथा उनकी सेवा की शर्तें बनायी जायं। यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत संघ की इलाहाबाद शाखा का प्रश्नगत मांग पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता परन्तु संघ की अन्य जिलों की शाखाओं के जो मांग पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें उल्लिखित मुख्य मांगों तथा उनके बारे में वस्तु स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) कर्मचारियों का स्थायीकरण—

पदों के स्थायीकरण के आदेश 7-11-74 को जारी किए जा चुके हैं। पदधारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है।

( ) कर्मचारियों को गृह भत्ता दिया जाना—

शासन के सामान्य आदेशानुसार जिन कर्मचारियों को गृह भत्ता अनुमन्य है उन्हे दिया जाता है।

(ग) सेवा नियमावली की रचना—

नियमावली का आलेख्य तैयार हो चुका है। उसे अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

(घ) प्रोन्नति के द्वार खोले जायं—

अर्हता प्राप्त गृह दर्शकों को सर्वेलेन्स इंसपेक्टर अथवा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर प्रोन्नत करने की पहले से ही व्यवस्था है।

स्थायी किए गए पंचायत सेवकों की संख्या तथा साइकिल भत्ता

13—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 30 मई, 1974 तक प्रदेश में कितने पंचायत सेवक स्थायी किये गये हैं, जनपद वार सूचना दी जाये ? क्या 1 जनवरी, 1974 से पंचायत सेवकों को 15 रुपये प्रतिमाह साइकिल भत्ता देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना समस्त जनपदों से एकत्र की जा रही है। पंचायत सेवकों को जो नियत यात्रिक भत्ता इस समय मिल रहा है उसे बढ़ाने का शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मिर्जापुर जिले के सहकारी बीज भन्डार, बघौड़ा के सहकारी पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण

14—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बीज भंडार, बघौड़ा, जिला मिर्जापुर के वर्तमान सहकारी पर्यवेक्षक कब से कब तक कितनी बार इसी भंडार पर कार्यरत रहे हैं और स्थानान्तरण होने के बावजूद उनके अब तक कार्य मुक्त न होने का क्या कारण है ? उक्त पर्यवेक्षक के विभिन्न कार्य समयों में उपरोक्त बीज भंडार के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितने बीज की कमियां आयीं, उसमें से कितनी वसूली का आदेश दिया गया ? कितनी वसूली की गयी और कितना अब भी अवशेष है ?

श्री नारायण सिंह—

सहकारी बीज भंडार बघौड़ा, जिला मिर्जापुर के वर्तमान पर्यवेक्षक दिनांक 22-4-66 से कार्यरत हैं। जुलाई, 1973 में इनके स्थानान्तरण का आदेश हुआ था किन्तु उसीसे चार्ज लेने वाला पर्यवेक्षक बीमार पड़ गया और छुट्टी पर चला गया अतः स्थानान्तरण आदेश कार्यान्वित नहीं हो सका।

प्रश्नगत पर्यवेक्षक के कार्यकाल में कुल 20,959.09 रु0 के बीज की कमी प्रकाश में आयी। उसमें से 449.82 रु0 की वसूली का आदेश दिया गया जो पूरा वसूल हो गया है।

गाजियाबाद जिला मेरठ के सरकारी जनाना अस्पताल के डाक्टरों का स्थानान्तरण

15—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद (मेरठ) के सरकारी जनाना अस्पताल में इस समय कौन-कौन लेडी डाक्टर कितने-कितने वर्षों से कार्यरत हैं? इनमें से किन-किन के स्थानान्तरण के आदेश गत वर्ष जारी किये गये तथा किन कारणों से पुनः रद्द किये गये ?

श्री प्रभु नारायण—

गाजियाबाद (मेरठ) के सरकारी अस्पताल में इस समय डा० (श्रीमती) जे० के० शर्मा दिनांक 29-6-72 से तथा डा० श्रीमती पी० बाली दिनांक 1-8-74 से कार्य कर रही हैं। डा० (श्रीमती) जे० के० शर्मा के स्थानान्तरण के आदेश गत वर्ष जारी किये गये थे, परन्तु प्रशासनिक कारणों से जनहित में स्थानान्तरण के आदेश निरस्त कर दिये गये।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा शासनादेश का अनुपालन

16—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या पेंशन-जी-2-3994/दस—927-58, दिनांक 10 फरवरी, 1964 तथा पेंशन-9651/दस-264-1963, दिनांक 4 सितम्बर, 1970 में निर्धारित विवरण-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा किस तिथि तक तैयार किये गये हैं? यदि ये तैयार नहीं किये गये हैं तो तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं और ये कब तक तैयार कर के सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये जायेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 1964 के अनुपालन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा 1 जुलाई, 1971 तक की स्थिति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार को भेजा जा चुका है। शासनादेश दिनांक 4 सितम्बर, 1970 के अनुपालन में निदेशक द्वारा 31 दिसम्बर, 1971 तक की स्थिति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जा चुका है। उसके बाद की स्थिति का विवरण तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सतर्कता विभाग तथा अनुसन्धान विभाग के विचाराधीन सरकारी कृषि बीज भंडारों में गबन आदि के मामले

17—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार के कितने कृषि बीज भंडार हैं और उनमें से कितनों पर इस समय गबन तथा अनियमितताओं के मामले अनुसन्धान विभाग तथा सतर्कता विभाग के विचाराधीन हैं और कितनों में रपट दर्ज करायी जा चुकी है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के 2,295 कृषि बीज भंडार हैं। उनमें से 42 कृषि बीज भंडारों पर गबन तथा अनियमितताओं के मामले अनुसंधान विभाग तथा सतर्कता विभाग के विचाराधीन हैं। 302 मामलों में रपट दर्ज कराई जा चुकी है।

18—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[12वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित।]

19—श्री बाबू लाल वर्मा—

[11वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित।]

प्रदेश के जेलों में विभिन्न प्रकार के बन्दियों की संख्या

20—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश की समस्त जेलों में दिनांक 31 नवम्बर, 1974 को कितने-कितने राजनैतिक बन्दी/पोलिटिकल प्रीजनर/बन्द थे और कितने बन्दी मीसा, भारतीय सुरक्षा अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं काला धन के सम्बन्ध में बन्द थे ?

श्री लोकपति—

इस प्रदेश की जेलों में बन्दियों का वर्गीकरण केवल उच्च श्रेणी और साधारण श्रेणी के आधार पर होता है। अतः राजनैतिक आधार पर बन्दियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सिक्योरिटी ऐक्ट, 1971 के अन्तर्गत 68 बन्दी, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत 92 बन्दी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 70 बन्दी प्रदेश की जेलों में 31-11-74 को बन्द थे।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे श्री मुलायम सिंह यादव ने विशेषाधिकार के संबंध में दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव तथा माननीय रघुवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा ने सूचना दी है कि 1 अप्रैल, 1975 को लगभग 9 बजे प्रातः श्री शिवपाल सिंह, सदस्य विधान सभा को परगनाधिकारी, उन्नाव, क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, उन्नाव, थाना कोतवाली इन्चार्ज तथा सब-इन्सपेक्टर ने उनके निवास स्थान पर गिरफ्तार किया और 2 जमानतें लेकर तथा स्वयं के मुचलके पर रिहा किया। परन्तु जिलाधिकारी द्वारा इस गिरफ्तारी की सूचना आजतक सदन को नहीं भेजी गई है और इस प्रकार जिलाधिकारी, उन्नाव तथा ए0 पी0, उन्नाव ने सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है तथा सदन का अवमान किया है।

जिलाधिकारी, उन्नाव ने 1 अप्रैल, 1975 को इस सम्बन्ध मे मेरे पास सूचना भेजी थी कि श्री शिवपाल सिंह, विधायक को अपराध संख्या 192, धारा 332 353/500/504 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत 9 बजे प्रातः उनके निवास स्थान उन्नाव से गिरफ्तार किया गया तथा एक-एक हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके लेकर मुक्त कर दिया गया। यह सूचना 2 अप्रैल, 1975 को मुझे प्राप्त हो गई थी।

लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने दशरथ देव के मामले (1952) में यह निर्णय दिया था कि जहां किसी सदस्य को फौजदारी कानून की क्रियान्विति में गिरफ्तार किया जाता है और तुरन्त जमानत पर रिहा कर दिया जाता तो उस मामले में सम्बद्ध मजिस्ट्रेट के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह सभा को इसकी सूचना दे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 82 में यह प्राविधान है कि यदि कोई सदस्य बन्दी किया जाय और उसकी जमानत पर रिहा होने की सूचना सदन को मूल कारावास की सूचना भेजने से पहले ही प्राप्त हो जाय तो उसके बन्दीकरण तथा बाद में जमानत पर रिहा होने के तथ्य को अध्यक्ष चाहें तो सदन को सूचित न करें। इस प्राविधान के अन्तर्गत मैंने यह सूचना सदन को नहीं दी थी किन्तु श्री शिवपाल सिंह की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना सदस्यों को विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन संख्या 4 द्वारा दी जा रही है। तो जो माननीय मुलायम सिंह यादव तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है उसमें कोई विशेषाधिकार का सवाल अन्तर्निहित नहीं है। फौजदारी के मामलों मे दन्ड विधान प्रक्रिया के अन्तर्गत जुर्म हो सकता है लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री मुलायमसिंह यादव (जिला इटावा)---

मान्यवर, जब सदन चल रहा था और उस समय जिला अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की, तो क्या वे ऐसा कर सकते है। उन्हें आपको पहले सूचना देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सूचना भेजी है और वह हमको मिली है।

कतिपय समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

दूसरी सूचना मुझे आपको यह देनी है कि लोक लेखा समिति एवं अन्य समितियों के सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है--लोक लेखा समिति के लिये 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिये 25 सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये 21 सदस्य, 27 स्थायी समितियों में प्रत्येक के लिये 16 सदस्य तथा महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये 1 सदस्य। इनके निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार है---नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय--सोमवार, 14-4-75 को अपराह्न 3 बजे तक, नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय सोमवार, 14-4-75 को अपराह्न 4 बजे, सचिव, विधान सभा के कमरे में नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय--शनिवार, 19--4--75 के अपराह्न 5 बजे तक तथा निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो--

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के लिये मंगलवार, 22--4--75 को दिन के 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा। और (ख)---27 स्थायी समितियों के लिये बुधवार, 23--4--75 को दिन के 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा।

श्री खूबचन्द, सदस्य, विधान सभा द्वारा कांग्रेस (शासन) दल में सम्मिलित होने की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे यह सदन को सूचना देनी है कि श्री खूबचन्द (सदस्य जिला एटा) जो कि अभी तक भारतीय लोक दल के सदस्य थे, उन्होंने यह सूचित किया है कि वह कांग्रेस (शासन) दल में सम्मिलित हो गए हैं तथा उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

कार्य-स्थगन प्रस्तावों में कांग्रेस के सदस्य श्याम मिश्रा ने एक दिया है, कानपुर के दयानन्द शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कानपुर शिक्षा संस्थाओं के कुछ अध्यापकों को अकारण सेवा मुक्त कर देने से शिक्षक संघ द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल के बारे में।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मैंने भी एक दिया है।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)---

बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

कांग्रेस तथा विरोधी दल दोनों पक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि बहुत गम्भीर मामला है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस के सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)---

यह लोक महत्व का प्रश्न है और कानपुर में 600 अध्यापक स्ट्राइक पर हैं...

(शोरगुल)

श्री त्रिवेणी सहाय ---

उधर से तो प्रस्ताव आया ही है। मैंने भी ऐसा ही प्रस्ताव किया है।

(श्री हरिकेवल के खड़े होने पर तथा शोरगुल के मध्य)

श्री श्याम मिश्रा----

यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष----

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव कभी भी शासक दल के लोग नहीं देते हैं। आप पर कोई कार्यवाही हो जाय तो ताज्जुब नहीं है। आप कृपा कर आसन ग्रहण करें। आप श्री काशी नाथ मिश्र तथा श्री रामायण राय जी से पूछ लें। (व्यवधान तथा शोरगुल)।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)----

पार्टी के अन्दर तो माननीय सदस्य की तारीफ होनी चाहिए।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)----

श्याम मिश्रा ने जो प्रस्ताव दिया उसे आप स्वीकार करें।

श्री श्याम मिश्रा----

सदन में जो कार्य होना अगर उससे ज्यादा जनहित की कोई अन्य बात हो तो कांग्रेस का सदस्य होने पर भी मैं इसे पेश कर सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)----

आप कहते हैं कि यहां का सारा कार्य नियमानुसार होना चाहिए। जहां तक कार्य-स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित नियम है उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि सरकारी सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकता और न इस बारे में ऐसी कोई परम्परा बननी चाहिए। अगर कोई कार्य अत्यधिक लोक महत्व का है तो सारा कार्य रोक कर उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसमें आपको बाधक नहीं होना चाहिए कि ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस दल के सदस्य ने पेश क्यों किया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं बाधक नहीं हूं। मैं तो केवल पूछ रहा हूं क्या उन्होंने सोच समझ कर इसे दिया है?

श्री श्याम मिश्रा----

मैं सदन का सदस्य हूं। मैं जरूरी समझता हूं कि इस पर बहस हो।

श्री अध्यक्ष---

आपने सोच कर दिया है तो मैं इसे रिजर्व करता हूं। यह 51 में आया है। उसे स्वीकार कर लूंगा और 51 के अन्तर्गत उस पर वक्तव्य हो जायगा।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)----

उनका मतलब यह है कि 51 में इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री श्याम मिश्रा---

आप जो व्यवस्था दे रहे हैं वह मुझे शिरोधार्य है। यह लोक महत्व का विषय है। लिहाजा 56 के बजाय 51 में ही आप इसे स्वीकार कर लें। यों तो आपकी आज्ञा, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, परन्तु सदस्य होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं कोई महत्वपूर्ण प्रश्न कार्य-स्थगन के लिए उठा सकता ही हूं।

श्री सत्यपाल मलिक---

(बहुत से सदस्यों द्वारा बोलते रहने के मध्य) उनको पार्टी के अन्दर डिक्टेटरशिप के कारण बात कहने नहीं दी जाती और वह रिवोल्ट करके जब कोई प्रश्न उठाना ही चाहते हैं तो फिर आप उनको अनुमति दे दीजिए, उसमें आपको क्या एतराज हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

यह एक अभूतपूर्व मामला है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है और इसीलिए मुझे अचरज लगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इनको आप ट्रेनिंग तो देते नहीं हैं कि क्या इनको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। यह अपनी ही गलती से जब अपने को फंसा रहे हैं तो हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य तो उसका लाभ उठायेंगे ही, आप इनको समझाने में कसर क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं तो उनको समझाता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

अध्यक्ष जी, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवश्य खेद होगा कि हमारे कुछ अध्यापक वर्ग में कानपुर में कुछ बेचैनी है, डिग्री कालेजेज और कानपुर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत कुछ कालेजेज के अध्यापकों में .....

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

खेद ही है या चिन्ता भी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

खेद और चिन्ता दोनों हैं। यह स्थिति क्यों आयी, इसका तो खेद होता है और स्थिति के निवारण की चिन्ता होती है। तो मैंने मान्यवर, करीब-करीब 2 बजे रात तक अध्यापकों के साथ और जो व्यवस्थापक लोग हैं जिनके साथ उन अध्यापकों का झगड़ा है, उनके साथ बातचीत की है और अभी तक आज सुबह भी इस वक्त भी, हम उसको सुलझाने में ही लगे हुए हैं। इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के जो भाव हैं हम उसका आदर करते हैं। लेकिन इसमें कार्य-स्थगन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्य चालू रखने से ही इसमें ज्यादा काम होगा ताकि मुझे ज्यादा समय मिले कि इसको सुलझा सकूं।

श्री श्याम मिश्रा---

माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद में अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

हमने इसको पहले ही खारिज कर दिया है। अब मैंने यह जो माननीय हरिकेवल ने बहराइच जिले में साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में दिया है, उसको वक्तव्य के लिए पहले स्वीकृत किया है और उस पर वक्तव्य दिनांक 11 अप्रैल, 1975 को होगा।

श्री हरिकेवल---

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें इतना और जोड़ दिया जाय। मेरी जानकारी है कि बहराइच जिले के मिहीपुरवा ग्राम में सुअर काट कर मस्जिद में डाल दिया और उससे वहां साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है हिन्दू, मुसलमानों के बीच और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको विशेष कार्यवाही के लिए मुख्य मन्त्री जी को भेज देवें ताकि कोई कार्यवाही हो जाय और ऐसी परिस्थिति न पैदा होने पाये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो अब हो गया, हम आगे चलते हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

इसी विषय से सम्बन्धित है। मान्यवर, बहराइच जनपद की आज एक विशेष स्थिति हो गयी है। बहराइच के जिलाधीश आज बिलकुल हिन्दू कम्युनिस्टों के हाथ में खेल रहे हैं। दो वाकए हैं। एक तो जब 26/27 की रात में जब उन्होंने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी और जब जनसंघ ने मिहीपुरवा में मीटिंग करने की इजाजत मांगी और उसी रात में मस्जिद में सुअर काट कर लटका हुआ पाया गया तब जिलाधीश ने उस मीटिंग के करने की इजाजत दे दी? इस तरह पर अगर आप आज वहां देखें तो जिलाधीश वहां आज मुसलिम कम्युनिटी को बिलकुल तबाह कर देना चाहते हैं और बाराबंकी (व्यवधान).....प्लान की तहत में हिन्दू मुसलमानों में एक टेन्शन पैदा किया जा रहा है। इसलिए आप सरकार को आदेश दें कि सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही करे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात मुझे कहनी है और उसके लिए मुझे आप आज्ञा दें। अभी जनसंघ के बारे में जो कुछ कहा गया है वह सब सत्य से परे है और गलत है। उसमें कोई बुनियाद नहीं है और असत्य है।

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय कमला प्रसाद जी, आपका जो बहराइच के डाक्टर सुधा खरे की रहस्यमय हत्या के बारे में जो सूचना है उसके बारे में मैं शासन से पूछूंगा कि क्या वह इस पर बयान देगा?

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

(श्री ईश्वरी सिंह के मुख्य मन्त्री जी के पास आकर बात करने पर) जब मुख्य मन्त्री जी को महत्वपूर्ण सवालों पर बातें सुननी होती हैं तो आप अकाज न करें। माननीय कमला प्रसाद वर्मा ने बहराइच जिले के भिनगा अस्पताल में लेडी डाक्टर सुधा खरे की रहस्यमय मृत्यु के बारे में उठाया है। मैं चाहता हूं कि अगर शासन चाहता है तो बयान दे दे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बयान दे देंगे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

जहां पर डा० सुधा खरे हैं उसके स्थान पर राजेश्वरी खरे है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह दिया बयान के लिए।

यह जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का सवाल है इस पर बहस नहीं हो सकती है (व्यवधान) आप पूछ लें चौधरी साहब से। (व्यवधान) यह जो लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के बारे में एक नाम दिया है डा० विश्वम्भर सिंह का तो मैं समझता हूं कि चौधरी साहब बैठे हैं, वह जानते हैं, इस पर कैसे कोई बहस की जा सकती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

नियुक्ति के ऊपर नहीं होगी लेकिन जो काम कर रहे हैं उस पर तो वह कह ही सकते हैं। फिर किस तरह से हम लायें ....

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि प्रश्न तो आप करें कि लोक सेवा आयोग के कौन-कौन सदस्य हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह बहस बेकार है। एक रोयल फैमली के ही लोग हर जगह लिए जायेंगे।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)---

मेरा कहना यह है कि डा0 विश्वम्भर सिंह जब चुनाव हार गए तो उनको वहां रख दिया गया (व्यवधान) वहां पर जो चुनाव हो रहा है वह इनके दबाव पर हो रहे हैं। मन्त्री के पत्रों पर या दबाव पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री के दबाव का क्या है। उसको अधिकार है। (व्यवधान) आप कहते हैं कि दबाव से हो रहा है तो उनको अधिकार है जिस किसी को करें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मेरा क्या आपने काट दिया है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका कानपुर वाला था वह फट गया है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

नाम न आए तो अच्छा है आना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है। एक तो इतने बड़े पद पर नियुक्ति की जाय तो उसके मैरिट्स जो हैं वह मैटीरियल हैं। वह बहुत ज्यादा पब्लिक इन्टरेस्ट में है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कांग्रेस का होना क्या काफी मैरिट नहीं है ?

चौधरी चरण सिंह---

तो यह भी तय हो जाय कि क्या पोलिटिकल आदमी को ही लिया जाय। लेकिन जिस तरह से दबाव दे कर एप्वाइन्ट करा रहे हैं उस पर किस तरीके से बहस की जाय उस पर आपका मशवरा चाहता हूं और इस तरह से नहीं आ सकता है। तो फिर किस वक्त कैसे आ सकता है, वह बतायें ?

श्री अध्यक्ष---

यह माननीय नेता विरोधी दल स्वयं जानते हैं कि कब और कैसे उठाया जाना चाहिए और किस शीर्षक में उठाया जाना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह---

आप बतला दीजिए आसानी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष---

56 में ऐसे सवाल कहीं दूर से भी नहीं आते। आपकी भी यही राय होती कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। दूसरी बात विधान सभा में इस पर बहस हो सकती है या नहीं तो वह आपको सामान्य प्रशासन की डिमांड जब आएगी, उसका बजट जब आएगा उस वक्त मौका है कि किसी चीज के बारे में कहें, गृह मन्त्रालय पर मौका आएगा आप भाषण कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह---

वह ठीक है जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जिस ढंग से काम हो रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा उस वक्त आएगा। और कोई तरीका भी है ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न के जरिए से भी आ सकता है। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह---

प्रश्न के जरिए नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष---

वह आएगा। और फिर लोक सेवा आयोग का जो प्रतिवेदन आएगा उस वक्त आ सकता है।

चौधरी चरण सिंह---

वह साल भर बाद आएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, लोक सेवा आयोग में अगर किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित व्यक्तियों का कभी पहले चयन नहीं हुआ है या अलग-अलग गवर्नमेन्ट ने नहीं कराया हुआ होता तो तब बात थी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तब उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर उस पर राजनैतिक दल के व्यक्तियों की परम्परागत नियुक्ति न होती आई हो। आज उनमें से एक कांग्रेसी और शेष गैर-कांग्रेसी हों, उस समय ऐसी बात उठाना और फिर कांग्रेस का ताल्लुक उस दिन से नहीं रह जाता है, जिस दिन से वह उससे इस्तीफा दे देता है, कुछ उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को यहां उछालना ठीक नहीं है, इस चीज को कितने दिन हुए और अब याद आया ? फिर भी यदि सन्तोष नहीं है तो जिस दिन मेरा बजट आएगा, उस दिन मेरे कुशासन के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, मैं उनका जवाब दूंगा।

चौधरी चरण सिंह---

पार्शियल ट्रुथ है, जो आपने कहा। त्रिपाठी जी ने जब कहा कि क्या कांग्रेसी होना ही मैरिट नहीं है तब ही मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। तो मैं उस स्तर तक नहीं जाता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई न कोई पोलेटिकल ओपीनियन होती है, कोई भी पोलेटिकल ओपीनियन हो सकती है। लेकिन इसमें मूल प्रश्न यह है कि क्या गवर्नमेन्ट को उनके डिस्क्रेशन (discretion) में इन्टरफेयर करना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

ऐब्सोलूटली नाट। उनके डिस्क्रेशन में कोई दखल देने की कतई बात नहीं है। मैं इसे चुनौती देकर कहना चाहता हूं ...

चौधरी चरण सिंह---

लेकिन साबित कैसे हो ....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कम्यूनिकेशन से हो या टेलीफोन से हो। तो सारे बिल्स आप एग्जामिन कर लीजिए। अपोजीशन के सारे मेम्बर्स बैठ जाएं ...

श्री राम अधार---

मुझे पत्र लिखे गए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आप दे देंगे और यदि वह सही हैं, तो मैं उससे इस्तीफा मांग लूंगा। जिस किसी पत्र को भी आप साबित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष---

अब एक प्रश्न इसमें जनार्दन प्रसाद ओझा ने दिया है, इसे वह नियम 51 में दें या इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं। जैसा कि नेता सदन ने कहा है कि यदि किसी मन्त्रि-परिषद् के सदस्य ने पत्र लिखा हो उसे माननीय सदस्य मेरी सेवा में भेज दें, तो मैं उसका इस्तीफा मांग लूंगा, इसी सन्दर्भ में मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि क्या माननीय सदस्य भी पत्र न देने की स्थिति में इस्तीफा देंगे ?

श्री राम अधार---

मान्यवर, मेरे पास इस सिल-सिले में दो-तीन पत्र आए और लोग भी आए (व्यवधान) मैं पत्र दे दूंगा। कई पत्र दूंगा एक नहीं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

आप एक ही पत्र दिखाइए।

श्री रामायण राय---

जिस समय चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने अपने समय में जब डा0 राम लाल और कुंवर महमूद अली को नियुक्त किया था, अपने दल के लोगों को नियुक्त किया था, तब कोई बहस इस पर क्यों नहीं हुई थी। लेकिन डा0 विश्म्भर जैसे विद्वान और योग्य व्यक्ति की नियुक्ति पर इतना शोर, जिन्होंने अपना जीवन ..... (व्यवधान)

(अनुदान प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक आदेश दिया है कि 7 दिन के लिए बिजली की सप्लाई बिलकुल बन्द हो जाएगी। इससे श्रीमन् सारी इन्डस्ट्रीज फेल हो जाएंगी। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। शार्ट नोटिस का जवाब तो एक सप्ताह बाद मिलेगा, तब तक क्या हो जाएगा। आदेश आज पारित हुए हैं कि बिजली किसी को नहीं मिलेगी। प्रदेश की सारी औद्योगिक गतिविधि डेडलाक हो जाएगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः अनुदान प्रस्तुत करने के लिए मंत्री को पुकारे जाने पर।)

अनुदानों से सम्बन्धित साहित्य विलम्ब से मिलने पर आपत्ति

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

इस पर मेरी एक आपत्ति है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी को आज जिन अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करनी हैं, उनके सम्बन्ध में उनके विभाग के कार्य-कलाप से सम्बद्ध सामग्री आज सबेरे 10.30 बजे तक नहीं मिली है। इसको मैंने कल सचिव को लिख कर दिया कल सचिव महोदय से मैं व्यक्तिगत मिला। उसके बाद विधान सभा के सचिव महोदय ने माननीय मन्त्री को सम्पर्क करने का प्रयत्न किया, स्वायत्त शासन के सचिव से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। मैंने स्वयं भी जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। मैं आप का ध्यान नियम 191 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। "कटौती के प्रस्ताव की सूचना, उस अनुदान पर विचार करने के नियत दिन से कम से कम 2 दिन पूर्व दी जाएगी जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।" माननीय चौधरी साहब ने और माननीय असरार अहमद ने ध्यान आकृष्ट किया था और यह व्यवस्था दी गयी थी कि जिस दिन अनुदान पेश हो उसके तीन दिन पूर्व उस विभाग का विवरण आ जाना चाहिए। मान्यवर, आज आपसे भी निवेदन किया। पौने 11 बजे आपने मुझे यह बताया कि कल रात में पीजन होल में रख दिया गया होगा। तो जब विधान सभा में आया करीब दस बजे वहां पर पीजन होल भी देखा था। जितने सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे पुनः

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

सम्पर्क किया। लेकिन विवरण प्राप्त नहीं हुआ। अब जो विवरण प्राप्त हुआ है, 28-29 पृष्ठों का है। ऐसी स्थिति में स्वायत्त शासन मन्त्री को आप अनुज्ञा न दें कि वे कल आज अनुदानों की मांगों का प्रस्ताव रखने की।

श्री अध्यक्ष—

अनुदान के बारे में दूसरी बात है। यह बात सही है कि यह प्रतिवेदन आज 10 बज कर 50 मिनट पर हमारे कार्यालय में मिला। मैं यह समझ सकता हूं कि साहित्य न हो तो बात दूसरी है। पुराने वर्षों में मैंने देखा कि बिना साहित्य के काम चला है। लिहाजा अगर साहित्य बांटना है तो विलम्ब नहीं होना चाहिए।

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आपने उस दिन दूसरी व्यवस्था दी थी माननीय असरार अहमद के उठाने पर।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक आपत्ति की, दस बज कर 50 मिनट पर यह मिला। अब दूसरी बात आप जो कहते हैं, उस पर सोचने की बात है। पूर्व में भी ऐसा हुआ जहां साहित्य नहीं बांटा गया। लेकिन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब बांटना है तो समय से क्यों नहीं बांटते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप दे दें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

मान्यवर, मैं सदन के समक्ष इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि यह देर में बंटा और मैंने प्रयास किया, पहले सोचा जा रहा था मितव्ययता के कारण कि न बांटा जाय। फिर मैंने आदेश दिया कि तैयार हो और कल शाम को तैयार हो कर आया। फिर सदन का समय समाप्त हो चुका था। हमने प्रयास किया कुछ लोगों के घर भी भेजने का। इधर से कुछ लोग कह रहे हैं, कि कुछ लोगों को पहुंचा। फिर सुबह बंटवाया। इससे असुविधा माननीय सदस्यों की हुई है। उस पर क्षमा चाहता हूं। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है इसी विधान सभा का सदस्य रहने से, कई बार ऐसा हुआ है कि कई विभागों के कार्यकलाप छपे ही नहीं। लेकिन यह ठीक है जब छपा तो इससे पहले उपलब्ध हो जाता तो अधिक अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—

नहीं बांटना है तो बात समझ सकते हैं। लेकिन बांटना है तो समय से बांटना चाहिए।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसके लिए मैंने खेद प्रकट किया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय मन्त्री जी ने खेद प्रकट कर दिया। माननीय मन्त्री जी जब अध्यक्ष थे विधान सभा के अपने उस तजुर्बे का भी फायदा उठाया। पहले भी ऐसा होता था कभी-कभी लेकिन सवाल जनहित का है। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय का कहना यह है कि जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करें अब उनको अब तक नहीं मिला, बावजूद उन्होंने कोशिश की। कटौती उन्हें पेश करनी है। क्या कहेंगे, किस आधार पर कहेंगे। इस बात को समझें अगर यह रोज होता रहा, और खेद प्रकाश करते रहे तो बेकार हो गया, यहां का वाद-विवाद।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने कह दिया कि असावधानी है। अब प्रश्न यह है..

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

रोक दिया जाय, पेश न करें।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे हो सकता है ? कार्य-मन्त्रणा समिति ने तय कर दिया है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह पांच किलोग्राम का बजट साहित्य प्रस्तुत किया है। इसमें सारी सूचनायें मौजूद हैं। उन सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस छोटी सी पुस्तिका में कराया गया है, सुविधा के लिए। यह कहना कि उसमें कोई नई सूचना थी या सूचना के अभाव में तैयारी नहीं की जा सकी, तथ्य के परे है। जो सुविधा उनको मिल सकती थी कि उनको इतना न पढ़ना पड़ता वह नहीं मिल सकी उसके लिए मुझे खेद है।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, यह इतना बड़ा है। गवर्नमेन्ट भी आपकी इम्दाद के लिए बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि जब आपका फैल्योर हुआ तो उसका कोई इलाज है या खाली खेद प्रकाशन ही है। इसमें माननीय जगदीश शरण जी का पर्सनली कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह है कि यह सरकार किस तरह से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही है। हम किसके पास जायं। इसका क्या हो ?

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष जी, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है, मैं निवेदन करूंगा कि यह तो एक सिनोपसिस होती है। आपको समय लगेगा। हम आपकी मदद कर देते हैं। अगर हम मदद नहीं कर पाए तो आप उसको अधिकार की तरह से थोड़े ही ले सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह---

अगर आप रख देते हैं तो क्या यह आपका अहसान होता है।

श्री रुद्र प्रसाद---

वह तो एक सिनोपसिस है जो सरकारी पक्ष आपको बनाकर दे देता है।

चौधरी चरण सिंह---

यह दृष्टिकोण है कि हमारी सुविधा के लिए दे देते हैं। यह खाली अपोजीशन का सवाल नहीं है बल्कि उस दल का भी सवाल है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) ---

माफ कीजिए, आपकी ढिलाई के कारण ऐसा होता है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य दोहरायें कि मेरी ढिलाई का क्या मतलब है ? मुझे नियम बताइए जिसके अनुसार मुझे अधिकार हो कि मैं टाल दूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि नियम नहीं है लेकिन औचित्य भी तो कोई चीज है। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो आप किस चीज की दवा हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि आपको इधर ध्यान देना चाहिए। कितनी बार यहां कहा गया है कि साहित्य पहले ही दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

यही तो मैंने कहा। मैं आप से सहमत हूं कि यह समय से दे देना चाहिए एक बार मैंने और कह दिया था कि यह औचित्य नहीं है कि साहित्य समय से न दें। अब मन्त्री जी ने खेद प्रकाश किया इसके बाद ऐसा अधिकार हमें नहीं है कि हम किसी मांग को रोक दें।

चौधरी चरण सिंह---

मैं माननीय त्रिपाठी जी की बात का समर्थन करता हूं आप नियम की बात कह रहे हैं। हो सकता है कि कोई विशेष नियम इसके लिये न हो। इतनी स्थितियां उठ सकती हैं जिनको नियमों में बांधा नहीं जा सकता है। नियम इसलिए होता है कि इस तरह की गलती होती है उसका यह समाधान है। गवर्नमेंट जो गलती करती है उसका पहले से ख्याल नहीं हो सकता है। इसीलिए अध्यक्ष को रैजीडुअरी पावर्स दी जाती हैं। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखा जाय। आप अपनी रेजीडुअरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

नियमावली की धारा 188(2) में साफ है कि अनुदान की मांगें ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेंगी जिसको नेता सदन विरोधी दल के नेता से परामर्श करके नियत करें तो वह उनके परामर्श से नियत हो चुकी है। अब वह कैसे एतराज करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है। आपको धन्यवाद।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, नेता विरोधी दल को इसमें एतराज करने की गुंजाइश नहीं है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, इसके लिए एक तो नियमावली है और दूसरी परम्परा होती है। बजट का साहित्य अगर नहीं मिला है तो क्या उस दिन वह बजट कभी नहीं पेश हुआ है ? अगर चौधरी चरण सिंह जी एक भी प्रमाण इस सदन के अन्दर का दे दें कि साहित्य के अभाव में बजट न पेश हुआ हो, तो बतावें मान्यवर, अनेकों बार चौधरी साहब ने यह कहा है कि हम माफी मांगते हैं और बजट पेश किया गया है। मान्यवर, चौधरी साहब एक भी मर्तबा का ऐसा उदाहरण दिखा दें तो हम मान लें।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है कि मैं कोई पहले का दृष्टांत आपको दिखलाऊं ? मैं इसका जवाब इस तरह से भी दे सकता हूं कि क्या कोई ऐसा दृष्टांत है अध्यक्ष महोदय, कि साहित्य वितरण न होने पर भी बजट पेश हुआ है। अगर पहले नहीं हुआ है और बराबर यह गलती गवर्नमेंट की तरफ से होती रही तो क्या इसका समाधान नहीं हो सकता ? अगर पहले नहीं हुआ है तो आज हो सकता है। रूल 312 देखें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह तो ऐसी परम्परा चाहेंगे कि विरोधी पक्ष कठिनाई में पड़ जाय।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, 312 में लिखा है---"यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।" फिर 313 में लिखा है---"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियम किया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें।" यह रेजीडुअरी पावर्स आपकी रखी गई है। अगर आपका आर्गूमेंट है तो बजट पेश होता रहेगा और अपोजीशन के राइट्स का हनन भी होता रहेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, माननीय राम सुन्दर पाण्डेय उधर से उदाहरण की बात कहते हैं ..

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

मैं तो कहता हूं कि एक भी आप उदाहरण दे दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक तो नियम का और दूसरा परम्परा का तो अगर ऐसी कोई मिसाल नहीं है .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, आप अपनी रूलिंग इस पर दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अब ऐसे कैसे काम चलेगा जब आप बीच-बीच में खड़े होते रहेंगे ? नियम के बारे में जो अभी बात कही गई है वह औचित्य का प्रश्न है और मैंने यह कहा कि साहित्य देना है तो समय से देना चाहिए। औचित्य का प्रश्न है । अच्छा माननीय राम सुन्दर पाण्डेय ने जो परम्परा की बात कही है, तो मैं परम्परा लेकर भी चलता हूं और परम्परा का खण्डन भी करता हूं, अगर आवश्यक होता है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से सहमत हूं मिसाल न हो तो मिसाल पैदा भी की जा सकती है। लेकिन नियम के ऐसे मामलों में जो अनुदान से सम्बन्धित है, नेता विरोधी दल को करीब-करीब वही हैसियत प्राप्त है जो मुख्य मन्त्री को हैसियत गवर्नमेन्ट के सम्बन्ध में प्राप्त है, क्योंकि जो समय तय होता है सदन में, उन्हीं के परामर्श से तय होता है, कार्य-मन्त्रणा समिति करे या कोई भी करे। 188 (1)-- "अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये 24 दिनों में से अनधिक दिन नियत करेंगे।" लेकिन उप नियम (2) में है कि नियम (1) के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जाएगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल से परामर्श करके निश्चित करे। जो कार्य-मन्त्रणा में आपने किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो हमने मान लिया।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

कार्य-मन्त्रणा में लीडर आफ अपोजीशन के प्रतिनिधि और सभी विरोधी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री मधुकर दिघे--

मैं तो निवेदन कर रहा था कि शुरू में आपने माननीय असरार अहमद के प्रश्न पर थोड़े दिन पहले निर्णय दिया था। नियम 191 में है कि कटौती के प्रस्ताव की सूचना कम से कम 2 दिन पूर्व दी जाएगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने स्पष्ट निर्णय दिया कि 3 दिन पहले यह साहित्य बंट जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

नियम की स्पष्ट व्यवस्था है ।

चौधरी चरण सिंह--

फर्ज कर लीजिए कि कल नहीं देते तो आप क्या कीजिएगा ?

श्री अध्यक्ष--

काल्पनिक प्रश्न को नेता विरोधी दल .....

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, आपने तो पहले निर्णय इसी बारे में दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

इसका मतलब यह है कि नेता विरोधी दल ने जो कहा उससे आप सहमत नहीं हैं। कुछ समझदारी के साथ काम करना चाहिए। माननीय नेता, विरोधी दल ने तो कहा कि यह अधिकार मेरे ऊपर है जो आपने स्वयं तय किया है फिर कार्य-मन्त्रणा में तय हुआ। सदन तक मामला आवे, कल आप नहीं कर सकते हैं, यह उपाय आपका है। असहयोग करते हुए अपने तथ्यों का समर्थन कर सकते हैं, अपनी मान्यताओं को स्थिर कर सकते हैं और हमको भी थोड़ी सहायता मिल सकती है। आपने निश्चित कर दिया कि एक दिन भी अवकाश न हो। कार्य-मन्त्रणा में कई बातें कही गयीं जिनको मैं यहां नहीं कहना चाहता। कार्य-मन्त्रणा के अनुसार काम होता रहे तो अच्छा रहता है। जो बिल हमारे पास नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे। कभी-कभी आप नरम हो जाते हैं।

चौधरी चरण सिंह---

कल भी न दिया और परसों भी न दिया तो क्या होगा?

श्री त्रिवेनी---

जब बिल का मामला होता है तो हम लोगों के निवेदन पर माधो बाबू मान जाते हैं। तो कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैं एक पूर्व की व्यवस्था भी .....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पुस्तिका वितरण का कार्य औपचारिक है या आवश्यक है ? अगर आवश्यक है तो कटौती के प्रस्ताव के उपस्थित करने के पहले पहुंचनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 131 पर 39वां है। किसी अनुदान से सम्बन्धित साहित्य यद्यपि पर्याप्त समय पूर्व ही सदस्यों को मिल जाना चाहिए परन्तु उसके अभाव में अनुदान पर विवाद रोका नहीं जा सकता। 24 अप्रैल, 1962 को जब राजस्व मन्त्री भू-राजस्व सम्बन्धी अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे थे तो श्री भीखा लाल ने मांग की कि सम्बन्धित साहित्य के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सदस्य उसे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः विवाद को रोक कर पर्याप्त समय दिया जाय ताकि सदस्यगण उसके विवरण का अध्ययन कर के भाषण दे सकें।

श्री अध्यक्ष ने कहा ---

"मैं यह मानता हूं कि जो साहित्य किसी अनुदान के सम्बन्ध में हो, वह जल्द से जल्द या पर्याप्त समय पूर्व माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए, लेकिन जो विवाद आज के लिए निर्धारित है, उसको रोकना मेरे लिए असम्भव है।"

चौधरी चरण सिंह---

श्रीमन्, यह एप्लीकेबिल नहीं है, नाफिज नहीं है। बजट के सत्र में ही माननीय अध्यक्ष ने आरम्भ में ही यह कहा था जब इस प्रकार का प्रश्न उठा था कि सदस्यों को जो रिपोर्ट या साहित्य दिया जाय वह 3 दिन पूर्व देना चाहिए। मेरी बात तो केवल यह है कि आप इनको तम्बीह कर चुके हैं और फिर भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष---

किसी अनुदान से सम्बन्धित साहित्य उस अनुदान पर विचार के लिए निर्धारित तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व सदस्यों में वितरित हो जाना चाहिए।

28 फरवरी, 1958 को बजट साहित्य के समय से वितरित किए जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी —

"अगर सम्भव हो सके तो जिस मांग पर बहस होने वाली हो उसके कम से कम 1 दिन पहले उसका साहित्य बंट जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आदरणीय सदस्यों को भी उस हालत में उसे सम्भाल कर रखना चाहिए वरना बाद में वे कहेंगे कि साहित्य कल बंटा था, आज नहीं मिल रहा है। साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये, क्योंकि सदस्यगण, उसका उपयोग, उसी दिन अगर मिले तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं समझता हूं, इस बात का ख्याल सब विभागों के मन्त्रिगण रखेंगे।"

चौधरी चरण सिंह—

उन्होंने तो एक दिन के लिए कहा था लेकिन आपने तो 3 दिन के लिए कहा। पहली सब बातों से मतलब यह होगा कि जो आने वाले हैं, उनसे जजमेंट पर डिस्क्रीशन पर मुहर तो नहीं लग गई है। आपने एक बात कही है, वे इस को नहीं मान रहे हैं। इसलिए यह एप्लाई नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न को मैं दुहारता हूं। इस बात को कार्य-मन्त्रणा समिति में भी कहूंगा। आपका एक समग्र निर्णय तो है कि आज लिया जायगा, सदन का निर्णय है। कार्य-मन्त्रणा समिति में तय हुआ और सदन में निश्चित हुआ तो ऐसी स्थिति को टालने का मुझको अधिकार नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरठ कौन्सपिरेसी केस के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप संविधान के और हम लोगों के संरक्षक हैं...

श्री अध्यक्ष—

मैं उदारता से आप लोगों को बहस के लिए समय देता हूं और जितने प्रश्न आपके स्वीकार होते हैं किसी भी विधान सभा में उतने प्रश्न स्वीकार नहीं होते हैं। आपको गलत बोलने का भी मैं अधिकार दे देता हूं। चौधरी साहब स्वयं जानते हैं। शासन को पैसा मिलता है और आपको बोलने का अधिकार।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, इनको गलत बोलने का आप मौका देते हैं, यही आप अनुचित करते हैं।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,89,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले बर्ष में अनुदान संख्या 63--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,99,90,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88---ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,55,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं एक बार ऐसा सोचता था कि इन मांगों को प्रस्तुत करते समय कुछ भी निवेदन न करूं और उस समय की प्रतीक्षा करूं जब इस माननीय सदन के सदस्य बोल चुके हों और अपने अमूल्य सुझाव दे चुके हों, तब उसका उत्तर दूं। लेकिन थोड़ी विवेचना से मुझे यह लगा कि इस माननीय सदन के साथ, जिसकी प्रतिष्ठा और महिमा में मैं बहुत विश्वास रखता हूं, यह मेरी धृष्टता होगी। इसलिए मैं अभी थोड़ा सा समय लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं। जहां तक स्वायत्त शासन का सम्बन्ध है, हमारे स्वायत्त शासन की इकाइयां वैदिक काल से अगर हम देखें तो हमारे देश में विद्यमान रही हैं और समयान्तर होने में किसी न किसी तरह का ग्रामीण इकाइयों का रूप लेती रही हैं। लेकिन जो आधुनिक स्वायत्त शासन का जन्म हुआ सन् 1870 में ब्रिटिश राज में हुआ और 1916 में म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट पास हुआ और उसके बाद 1920 में पहला अध्यक्ष चुना गया। उस समय इसको माना गया कि यह स्वाराज्य की तरफ एक कदम है और उसके बाद हमारी नगरपालिकायें, स्थानीय निकायें, ट्रेनिंग सेन्टर्स रहीं हमारे बड़े से बड़े पार्लियामेन्टरियन्स के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरु, सरदार पटेल और आपके पूर्वगामी अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन आदि महान् नेता भी इन स्थानीय निकायों के अध्यक्ष रहे और उन्होंने इनको गौरवान्वित किया। 1916 से अब तक इस ऐक्ट में करीब-करीब 42 संशोधन समय की आवश्यकतानुसार आ चुके और आज इस समय फिर इसे एक इफेक्टिव इन्स्ट्रूमेन्ट आफ रियल हेल्प बनाया जाय इसलिए फिर इसमें महत्वपूर्ण सुधार किये जाने की बात है। उसके लिए एक व्यापक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया। दोनों ओर के माननीय सदस्यों की मांग थी कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है लोकतन्त्र की, इसमें हम देर आयद दुरुस्त आयद वाले सिद्धान्त को सामने रखते हुए जो इसके मूलभूत सिद्धान्त हैं उन पर विचार करें। कई बातें मूलभूत हैं कि जो हमारे मेयर या अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता से हो या मेम्बरों द्वारा हो। वह जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें इस बात की परिकल्पना की गयी है कि जनता द्वारा अध्यक्ष का चुनाव हो। इस तरह की शिकायतें अक्सर आयीं कि मेम्बरों द्वारा जो चुनाव होता है उसमें भ्रष्टाचार की गुन्जायश होती है। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए तथा यह सोच कर कि माननीय सदस्यों की भावनाओं का समावेश उसमें हो सके, उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया है। उस महत्वपूर्ण विधेयक में हम जो भी परिशोधन आदि करें। हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि उससे उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके और इसी दृष्टि से हम उसमें सुधार करना चाहते हैं।

इस समय हमारे प्रदेश में 5 नगरमहापालिकायें हैं, 170 नगरपालिकायें हैं, 325 टाउन एरिया हैं, 47 नोटीफाइड एरिया है। कुल स्थानीय निकायों की यूनिट्स 547 हैं। इसमें से 32 सुपरसीडेड हैं। 5 नगरमहापालिकायें सुपरसीडेड हैं, नगरपालिकायें 27 सुपरसीडेड हैं, टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया में कोई सुपरसीडेड नहीं है। सुपरसीडेड निकायों का कुल का यदि प्रतिशत देखा जाए तो वह 5.7 प्रतिशत आता है। अलग-अलग प्रतिशत देखा जाए तो नगरमहापालिका का प्रतिशत

शत-प्रतिशत है, नगरपालिकाओं का प्रतिशत 15.8 है। हमारी यह इच्छा है कि स्थानीय निकायों का संचालन जन प्रतिनिधियों द्वारा ही हो। उन्हें सुपरसीड करने में हमें दुख होता है। शासन की यह नीति भी रही है। उनको सुपरसीड तभी किया जाता है जब वैसा करना अनिवार्य हो जाता है। जो हम प्रस्तावित विधेयक लाये हैं तथा जो आर्डिनेन्स निकाला गया था उसमें हमने एक बड़ा भारी साहसी कदम यह उठाया कि किसी भी नगरपालिका को तभी सुपरसीड किया जाएगा जब कि उसके लिए हाई कोर्ट का कोई जज या रिटायर्ड जज सारे मामले की छानबीन करके सुपरसीड करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। यह इसलिए हमने किया कि हम पर अकसर यह आरोप लगाया जाता था कि फलां नगरपालिका को इसलिए सुपरसीड कर दिया क्योंकि वह अमुक दल के हाथों में थी। इसके लिये जो कदम हमने यह उठाया उससे बड़ा संरक्षण न्याय की दिशा में और क्या हो सकता था।

मैं, मान्यवर यह दावा नहीं कर सकता कि स्थानीय निकायों की दशा बहुत अच्छी है, मैं यह भी दावा नहीं कर सकता कि उनमें भ्रष्टाचार हर स्तर पर समाप्त हो गया है, न मैं यह दावा कर सकता हूं कि उनकी कार्य-क्षमता एक आदर्श कार्य क्षमता है। लेकिन, हां इस माननीय सदन को एक विश्वास अवश्य दिलाना चाहता हूं कि हमारी इच्छा यह है कि हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकें, स्थानीय निकायों की कमजोरियों को हम दूर कर सकें, यह हमारा संकल्प है। इस सबके लिए हम सक्रिय प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें हमको हमारी उन माननीय मित्रों की सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी जो बोल रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। हमारी यह भी नीति है कि जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको समुचित वेतन आदि उनकी सेवाओं के लिए उन्हें मिले। इसलिए हमने दिनांक 1 अगस्त, 1972 से स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन-क्रम को बढ़ाने का आदेश दिया था। इससे 12 करोड़ रुपए का बोझ इन स्थानीय निकायों के ऊपर पड़ गया और स्थानीय निकायें उस बोझ को बर्दास्त नहीं कर सकीं। उस समय एक अप्रत्याशित घटना हो गयी। उन्होंने कैरियर्स के ऊपर एक टैक्स लगाया था और वह हाई कोर्ट से उनके खिलाफ तय हो गया लिहाजा वह जो उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा केन्द्र बिन्दु था अनावश्यक रूप से वह ढह गया जिसकी वजह से उनके समक्ष कठिनाई बढ़ गयी और वे 12 करोड़ रुपए का बोझ बर्दास्त नहीं कर सके। शासन का यह कर्त्तव्य था कि ऐसी स्थिति में उनके लिए जो कुछ कर सकें, करें और इसलिए हमने पिछले वर्ष 8 करोड़ रूपए का प्राविधान किया और इन निकायों से हमने यह कहा कि हम कुछ ऋण देंगे और कुछ अनुदान देंगे। स्थानीय निकायों के इस बोझ को निर्वहन करने के लिए हमने कहा कि कुछ प्रतिशत ऋण देंगे, कुछ प्रतिशत अनुदान देंगे और कुछ प्रतिशत वे अपने संसाधनों से दें। और इस वर्ष भी हमने 6 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है ताकि जो हमारी स्थानीय निकायों के वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन बढ़ाया गया है वह उन्हें अवश्य मिले और उसके लिए हम पूरी सहायता करेंगे।

इसके अलावा इसकी आधार बात यह है कि जो हमारी स्थानीय निकायें हैं, अगर हम उनसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति और उपलब्धि की आशा करते हैं तो हमें उनकी आर्थिक दशा को सुधारना पड़ेगा। इस ओर हम बहुत जागरूक हैं। हमें हर्ष है लोकल बाडीज ने तो इस दिशा में काम भी आरम्भ कर दिया है, अपने शिड्यूल को रिवाइज कर रही हैं। मैं सदन के माध्यम से स्थानीय निकायों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई स्थानीय निकाय अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो उनके लिए वहां से स्वीकृति प्राप्त करने में देर न लगायी जायगी ; और यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष है कि जिन-जिन जिलों से इस तरह के जो भी प्रस्ताव आए उनको हमने स्वीकृत दे दी। मान्यवर,

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

इधर से एक आवाज आ रही है कि टैक्स बढ़ाने की बात को तो आप स्वीकृति दे ही देंगे। अब यह तो आपके पास अलादीन का चिराग है जिससे टैक्स तो बढ़ें नहीं और कर्मचारियों का वेतन बढ़ता रहें। हम आशा करते हैं कि हमें भी ऐसा चिराग मिल जाय। न हो तो आप अपना चिराग ही हमें थोड़े दिनों के लिए उधार दे दीजिए जिसका इस्तेमाल करके हम बिना टैक्स बढ़ा यही लोगों को पैसे दे सकें।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह एक बात है जिसकी हिम्मत हम नहीं कर सकते कि टैक्स तो बढ़े नहीं और कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाय। अगर सदन में हम टैक्स लगाने की बात करें तो बीच में व्यवधान करें। एक बात अवश्य है कि शासन का यह स्पष्ट मत है कि टैक्स बढ़ाया जाय तो उनकी कैपेसिटी को देख कर ही बढ़ाया जाय। इसलिए मान्यवर हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहें हैं और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि एक मोडेल शिड्यूल रेट्स का बना रहे हैं। अब तक जो टैक्स का तरीका है उसका प्रोसेस बड़ा लम्बा है, व्यापक है। सुरसा के बदन की तरह उसके रूल्स वगैरह हैं जिसमें तारीख, बजट आदि की घोषणा में समय लगता है और इस तरह से उनकी स्वीकृति मिलने में डिले होती है। उन सब चीजों को दूर करने के लिए मोडेल शिड्यूल बना रहे हैं जिसमें प्रावधान कर दिया गया है कि उसमें इतना प्रतिशत कम ज्यादा का अन्तर कर सकते हैं और इसके अन्दर अगर कोई स्थानीय निकाय कोई टैक्स लगाती है तो हमारी बिना अनुमति के भी अपनी तरफ से उसको प्रभावी कर देगी। ऐसा करके स्थानीय निकायें अवश्य ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करके सेवा के क्षेत्र में अधिक सेवा कर सकती हैं। इसके अलावा हमारी जो महत्वपूर्ण कमेटियां—एक लकड़वाला कमेटी जिस पर चर्चा होगी और दूसरी महावीर प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट अभी 8 मार्च को मेरे द्वारा शासन को प्रस्तुत की गयी है। मान्यवर, हम दोनों कमेटियों की सिफारिशों का आदरपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी व्यवहारिक सुझाव होंगे, इन स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन पर ध्यान देंगे और उनको कार्यान्वित करेंगे।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि हमारे यहां कलेक्शन्स जो हैं उनमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं सारे माननीय सदस्यों का कि वह इसमें मेरी सहायता कर सकते हैं क्योंकि वह अपनी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित होते हैं। मैंने देखा है कि जो बजट प्रस्तुत होकर आता है स्थानीय निकायों द्वारा वह बड़ा डिफेक्टव होता है। उनका बजेटरी सिस्टम दोषपूर्ण होता है। उनमें गल्तियां रहती हैं उनका बजट घाटे का बजट होता है। डेफिसिट बजट होता है। अन-रियल आमदनी दिखाकर, बैलेंसिंग बजट दिखा देते हैं। इससे वह समझते हैं कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो खर्च हैं कर्मचारियों के खर्च हैं और जिस आय की वह कल्पना करते हैं मिलती नहीं है जिससे उनको कठिनाई होती है। तो इस दिशा में गति देने के लिए, हम उनकी सहायता कर रहे हैं रीजनल सेंटर आफ रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग पर इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से खुली है। इससे सहायता हो रही है इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की है। विभाग के जो इक्जी क्यूटिव इन्जीनियर्स हैं या अन्य जो अधिकारी हैं इस इन्स्टीट्यूशन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमने यह कोशिश की है कि वह प्रशिक्षण लेकर अपने काम को और ठीक करने का प्रयास करें।मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि अभी एक कोर्स हुआ है, जिसमें 47 निकायों के अधिकारियों ने भाग लिया। मैं स्वयं भी हाजिर हुआ था मेरा ऐसा विश्वास है कि जो लोग इसमें प्रशिक्षण के लिए गए हैं वह इसमें से प्रकाश लेकर आयेंगे और अपनी-अपनी स्थानीय निकायों के अन्धकार को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे। मान्यवर, मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहां आज जो स्थानीय निकाय हैं उनको एक दिशा देने की जरूरत है। आज जरूरत है कि उनको एक दिशा दी जाय और उनका

सुपरविजन अच्छा हो जिससे उन पर नियत्रंण ठीक से हो सके। तो इसके लिए हम डाइरेक्टरेट आफ लोकल बाडीज को मजबूत कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि इसके अधिकारी स्थानीय निकाय अधिकारियों का सर्वेक्षण करे और उनको एक दिशा दें। जिससे इन्टेंसिव सुपरविजन हो।

मान्यवर, इसके अलावा कई एक प्रश्न, प्रश्न काल में आते हैं जैसे पेन्शन, ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 आदि के मामलों में विलम्ब होता है। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि ऐसे स्टेप्स लिए जायं जिससे जो पुराने एरियर्स हैं उनको दूर किया जाय और पैसा जल्दी मिल सके। जो हमारे डेवलपमेन्ट वर्क्स हैं जो इन निकाओं द्वारा होते हैं उनमें सुधार लाने के लिए इस डाइरेक्टरेट द्वारा इसमें गति लाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर एक बात का प्रयास और कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के सम्बन्ध में। स्टेटिस्टिक्स जो हैं उसके लिए एक सेल बनाने जा रहे हैं।

मान्यवर, जहां मैंने आपके सामने स्वायत्त शासन का बजट प्रस्तुत किया है वहीं पर हाउसिंग और डेवलपमेन्ट से मेरा कुछ सम्बन्ध भी है और मैं उसके बारे में में संक्षेप में निवेदन करता हूं। हाउसिंग डेवलपमेन्ट बोर्ड का 1966 में सृजन हुआ था। 1970 में इसमें कार्य आरम्भ हुआ। 79 स्कीमें इसके अन्तर्गत 28 जिलों में चालू की गयीं। 2899 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी जिसमें से 1356 एकड़ पर डेवेलपमेन्ट किया गया और 8136 प्लाट बनाए गए। इस वक्त जो विकास कार्य हो रहा है वह 1176 एकड़ पर हो रहा है। 7056 प्लाट बने हैं। 2340 मकान कम्पलीट हो गए हैं। इनमें से मिडिल इन्कम ग्रुप के लिए 621 मकान। लो-इनकम ग्रुप वालों के लिए 967 मकान और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है यानी जिसकी आमदनी 300-350 रुपए से कम है। तो इकोनामिकल वीकर सेक्शन के लिए 752 और इसके अलावा एम0 आई0 जी0 में 500 और एल0 आई0 जी0 में 3,286 मकान अन्डर कन्स्ट्रक्शन हैं। और 4,000 प्लाट्स अन्डर डेवलप्ड हैं। इस समय तक एलाटमेन्ट हो चुका है 546 मिडिल ग्रुप और 736 एकोनामिकल वीकर सेक्शन का। हाउसिंग बोर्ड हमारा एक अंग है हाउसिंग एक्टीविटी का। इसलिए एक डेवलपमेन्ट एथारिटीज की स्थापना किया है चूंकि समय-समय पर माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो बड़ी नगरी हैं वहां विकास का कार्य तेजी से करने की आवश्यकता है। जहां ग्रामीण आबादी आकर ठहर जाती है। इसलिए वहां तेजी से कार्य हो सके इसके लिए पांचों नगरियों में प्राधिकरण आरम्भ किये हैं, मुझे हर्ष है कि वह प्राधिकरण अच्छा कार्य कर रही हैं। लखनऊ में कई करोड़ रुपये की योजना है-- पोस्ट आफिस के वहां और दो मार्केट बनने जा रहे हैं। आगरा में तो बहुत बड़े बिजनेस कम्पलेक्स बन रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में कैनाट प्लेस है। 80 एकड़ जमीन लेकर यह कार्य कर रहे हैं। वहां एक जेल है जो शहर केन्द्र में स्थित है। उस जेल की पूरी जमीन ले रहे हैं और वह जेल हस्तान्तरित हो जायेगी उस जगह जहां कभी मेडिकल कालेज के लिये जमीन ली गयी थी। 80 एकड़ जमीन में बहुत अच्छा मार्केट काम्पलेक्स बन जायेगा। हिन्दुस्तान में डिजाइनों का कम्पीटीशन करा कर मकान, दुकानें और फ्लैट्स बनाये जायेंगे। हमें यह प्रेरणा ऐसे मिली कि वहां टूरिस्ट बहुत आते हैं और इसलिये वहां होटलों की आवश्यकता है। अत: आगरा को विशेष तौर से लिया है। वाराणसी में भी हमारी बहुत एम्बीशस योजना है। दूसरी नगर महापालिका है कानपुर। तो वहां भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि एम्बीशस प्रोजेक्ट हो। इसलिये मान्यवर, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की एक इन्टीग्रेटेड अरबन डेवलपमेन्ट प्रोग्राम है जिसमें अगले पंचवर्षीय योजना में 233 करोड़ रुपये का प्राविधान है, शासन के स्तर पर मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि उस गवर्नमेंट आफ इन्डिया के प्राविधान में से इस तरह की योजनायें बनायें जिसका लाभ पंच महानगरियां उठा सकें और बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करा सकें।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्शिंग एल0 आई0 सी0 और दूसरी संस्थाओं से भी लाभ उठायेंगे।

मान्यवर, कपूर साहब मेरठ के लिये चिन्तित हैं। मैं उन्हें खुशी का समाचार दे रहा हूं कि मेरठ में बहुत बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं जिसका एसेसमेन्ट 4 करोड़ रुपये का है। पहले 16 लाख रुपये का कार्य मेरठ में शुरू होने वाला है। चूंकि वह बृहत योजना है इसलिये स्टेट की योजनाओं का अध्ययन करके उसका लाभ उठायेंगे। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी केन्द्र की जो योजनायें हैं उनका अध्ययन करके उनका हम लाभ उठायें। एक वृहत, योजना है मेरठ और बुलन्दशहर की जिसे हमने स्वीकार किया है। उसका लक्ष्य यह है कि मेरठ और बुलन्दशहर डेवलप होगा तो दिल्ली पर बर्डन कम होगा। 16 लाख रुपये इसके अन्तर्गत मिल चुके हैं अथवा पूर्ण आशा है मिलने की, उससे हम कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे।

मैं एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा। स्वायत्त शासन का सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम अपने प्रदेश में स्वच्छता का वातावरण पैदा कर सकें। मैं नगरपालिका का स्वयं 10-11 साल तक सदस्य रहा हूं और 4-5 साल तक अध्यक्ष रहा हूं, बरेली में। मेरा वह जो अनुभव था वह यह था कि जो अधिकारी व कर्मचारी नगरपालिका की गलियों में घूम सकते हैं वही गलियों की समस्या को हल कर सकते हैं। लखनऊ के तथा अन्य नगरों के प्रशासक महोदय से मैं मिल चुका हूं। उनसे मैंने कहा कि लखनऊ का विकास, लखनऊ का सौन्दर्यकरण तथा उन्नति की कसौटी यह नहीं होनी चाहिये कि हजरतगंज, खूबसूरत हो, बेगम हजरत महल पार्क सुन्दर हो जाय बल्कि यह होना चाहिये कि उसके लिये गलियों में घुसा जाय, उसके लिये मलिन बस्तियों में जाना होगा और वहां के दो आंसू भी पोछ सकें तो समस्या कुछ हल हो सकेगी। समस्या इतनी बड़ी है और उसके लिए मैं यह दावा करूं कि उसका पूरा निराकरण कर लूंगा तो यह मेरी धृष्टता होगी। अगर उसकी शुरुआत भी कर सकूं तो मुझे खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष--

अगर लखनऊ के लिये कोई योजना है तो मन्त्री जी विधायक निवास का लेने की कृपा करेंगे?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, वहीं आ रहा हूं। अब शहरों की सफाई के लिये हम क्लीनिंग आफ सिटीज नामक एक निगम बना रहे हैं, एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसका प्रदेश व्यापी एक लक्ष्य होगा कि सारे शहरों की मुस्तकिल सफाई की जाय। उसमें सभी इंवाल्व होने चाहिए स्कूल टीचर हो, अध्यापक हो, बुद्धिजीवी हो, दूसरे लोग हों, जिनकी समाजसेवा में रुचि है -- उन सबका हम आवाहन करेंगे कि आइये शहर की सड़कें हैं, पार्क हैं, नालियां हैं उनकी सफाई में हमको योगदान दीजिये और एक ऐसा वातावरण पैदा कीजिये जिससे प्रदेश मे, देश में नया जीवन व्याप्त हो। उसकी हर नगर में ब्रान्च बनेगी। इसमें कुछ समय लगेगा। जल्दी में मैं तुगलकी काम नहीं करना चाहता। ऐसी-ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिये हमने एक नया कदम उठाने का निश्चय किया है जिसके लिए सभी सदस्यों के सहयोग की मैं याचना करता हूं और उसके लिय हमारा यह प्रयास है कि 12 अप्रैल से 1 महीने तक अभियान हम सारे प्रदेश में चलायेंगे नगरपालिका से लेकर, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज तक और इस अभियान में हमारा यह प्रयास होगा सारे मुहल्लों खास तौर से मलिन बस्तियों में, गरीबों तथा मजदूरों की बस्तियों में सफाई हो। हमारा यह प्रयास होगा कि इस अभियान में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सहयोग दें। छोटी छोटी यूनिट्स बनें और उन वार्ड्स में प्रतियोगिता हो और यह देखा जाय कि कौन सा वार्ड सबसे अच्छा है, कौन सा दूसरे तथा कौन सा तीसरे नम्बर पर आता है। जो सबसे अच्छा हो उसके कर्मचारियों को प्रिमैच्योर इन्क्रीमेन्ट दिए जायं, अच्छी प्रविष्टी दी जाय, ईनाम दिए जायं और प्रोन्नति के लिए प्राविधान किया जाय। हमारा दूसरा अभियान 2 अक्तूबर से 19 नवम्बर तक होगा (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां तक नगरपालिकाओं की सफाई का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि वे इसे राजनीतिक दृष्टि से न देखें। थोड़ी देर के लिये राजनीति का चश्मा उतार कर रख ले .... (व्यवधान)। मान्यवर, एक माननीय सदस्य मालवीय जी कहते हैं कि उन्होंने अपना चश्मा उतार रखा है, तो बहुत अच्छा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे यह बतायें और देखें कि कौन से नगर में कितनी सफाई है, नालियां साफ हैं या नहीं, कैसे इन्वाइरनमेन्टल चेंन्ज आ सकता है, शुद्ध जल का कैसे इन्तजाम हों? यह सब बातें ऐसी हैं जिसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। मैं तो उस स्वर्णिम दिन की कल्पना कर रहा हूं जब कि इन निकायों के चुनावों में राजनीति न रहे। मैं नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा। आज के विकृत युग में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह दिन कब आएगा। राजनीति की इस क्षेत्र मे कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं जो पत्र हमने उनको, सभी स्थानीय निकायों को, विधान परिषद् के सदस्यों को, लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों की सेवा में भेजा है जिसके साथ एक सरकुलर की कापी भी संलग्न की है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे हार्दिक प्रार्थना करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वे इस 12 अप्रैल से आरम्भ होने वाले पखवारे में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। दो पखवारे का यह कार्यक्रम है।

मान्यवर, एक निवेदन और कर दूं और उसके बाद अपनी बात मैं समाप्त कर दूंगा। हम वाटर सीवेज बोर्ड की कल्पना कर रहे हैं। जगह-जगह से पेय जल की कठिनाई के समाचार आते रहते हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक जल निगम बनाने की बात सोची जा रही है। कई माननीय सदस्य इस बारे में जिक्र करेंगे इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हमारा यह इरादा नहीं है कि हम नगरपालिकाओं की पावर ले रहे हैं। जिस प्रकार हमने बेसिक एजूकेशन में आपकी भावनाओं का आदर किया है उसी प्रकार इस बारे में भी हम ऐसा करने जा रहे हैं और जो कल्पना हमने की है वाटर बोर्ड बनाने की, उसके सम्बन्ध में यहां पर बिल प्रस्तुत हो चुका है। उसमें हमने यह कल्पना की है कि वह डिस्क्रिशनरी होगा जो उससे लाभ उठाना चाहें, उठा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। हमारा यह बहुत बड़ा प्रयास होगा। 62 करोड़ की यह योजना है। इसमें 30 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से मिलेगा और बाकी 32 करोड़ रुपया लाइफ इन्श्योरेन्स तथा इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिंग से मिलेगा। उसके बाद ही हम इसे सुनिश्चित तौर पर चला सकेंगे। इस प्रकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कि भयंकर जल समस्या है, जिसका हम निराकरण नहीं कर पाते हैं, --खास तौर से गरीबों, मजदूरों, हरिजन एवं पिछड़ी बस्तियों में, हम इस योजना में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी मांगों को प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उसी आधार पर इसका अध्ययन करता रहूंगा और उसी के प्रकाश में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9, अनुदान संख्या 35, अनुदान संख्या 63 के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि .....

श्री अध्यक्ष--

आप अलग-अलग प्रस्तुत करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35---संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

इन सब में कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष---

इसको आज ही समाप्त होना है। इसलिए 20 या 25 मिनट ही लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

2 बजे तक ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्तशासी संस्थाओं का गणतन्त्र में एक विशेष महत्व है क्योंकि जनतन्त्र और गणतन्त्र में जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थायें हैं वह सब हम लोगों के प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इस देश की जितनी भी बड़ी-बड़ी विभूतियां थीं करीब-करीब सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं से उनका अपने प्रारम्भिक जीवन में सम्बन्ध रहा था। मैं उनमें से केवल कुछ का ही नाम लेना चाहता हूं। श्री विट्ठल भाई पटेल जो केन्द्रीय धारा सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वे बोरसद तालुका बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लोकल कमेटी, बम्बई कारपोरेशन के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद कारपोरेशन से सम्बन्धित थे। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, श्री गोपालकृष्ण गोखले, श्री फिरोजशाह मेहता, श्रीराजगोपालाचार्य, श्री चितरंजनदास, श्री सुभाष चन्द्र बोस, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपतराय, यह सभी स्वायत्त शासी संस्थाओं से सम्बद्ध रहे हैं।

जहां तक इलाहाबाद नगरमहापालिका का सम्बन्ध है, इसका इतिहास अभूतपूर्व रहा है। इस नगरपालिका से सम्बद्ध रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पं0 मोती लाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पं0 जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और डाक्टर कैलाश नाथ काटजू तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये वही लोग हैं जो आगे चल कर देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई की प्रथम पंक्ति में रहे हैं और जब हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो किसी न किसी रूप में केन्द्रीय सरकार या प्रादेशिक सरकार से बराबर सम्बन्धित रहे हैं। लेकिन यह दुख का विषय है कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो वह भी इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ बिलकुल अपने चपरासी की तरह व्यवहार करती थी और यही कारण था कि इलाहाबाद के तत्कालीन नगरपालिका के चेयरमैन पं0 जवाहरलाल नेहरू जिनका निर्वाचन 3 वर्षों के लिए हुआ था ने ढाई वर्ष बाद ही अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था; ठीक यही रवैया हमारी इस कांग्रेसी सरकार का आज है। जब जरूरत समझते हैं तो चुनाव कराया जाता है, जब जरूरत समझते हैं तो चाहे नगरपालिका हो या नगर महापालिका हो उसको विघटित कर देते हैं। कितने दुख का विषय है कि आज प्रदेश में जहां 5 नगर महापालिकायें हैं उन पांचों नगरमहापालिकाओं को विघटित कर दिया गया है। जून-जुलाई 1973 में वाराणसी कानपुर, आगरा और लखनऊ की नगरमहापालिकाओं का समय समाप्त होने का था लेकिन उसका चुनाव नहीं कराया गया और इन चारों महापालिकाओं को विघटित कर दिया गया। इसके पश्चात् इलाहाबाद की महापालिका का कार्यकाल 13 सितम्बर, 1973 तक चलने को

था लेकिन सितम्बर सन् 1974 में इलाहाबाद नगरमहापालिका को विघटित कर दिया गय और मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश प्रस्तुत किया जो बिल के रूप में इसी सदन में पारित किया गया। तो उस समय मुख्य मन्त्री जी, जिनके पास स्वायत्त शासन का भी विभाग था उसका कारण यह बताया था :---

इलाहाबाद की महापालिका का कार्यकाल 13 सितम्बर, 1975 को समाप्त होने वाला था और यह उचित तथा इष्टकर समझा गया कि समस्त पांच महापालिकाओं के निर्वाचन साथ-साथ कराये जायं। इलाहाबाद के नगर प्रमुख का कार्य काल 17 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाला था और चूंकि महापालिकाओं के नवीन निर्वाचन निकट भविष्य में होने को थे इसलिए वर्तमान महापालिका सभासदों द्वारा नया नगर प्रमुख का निर्वाचन उचित नहीं समझा गया था। इन परिस्थितियों में इलाहाबाद महापालिका का विघटन तथा उसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक में निहित करना वांछनीय समझा गया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आरोपित करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राजनीतिक कारणों से इलाहाबाद नगर महापालिका को विघटित किया इसी प्रकार 5 और महापालिका के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने अभी किसी बिल का जिक्र किया कि कोई बिल इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ था जिसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। ठीक है उसमें संशोधन होना चाहिए लेकिन कारण यह नहीं है कि यदि कोई नगर महापालिका जीवित है तो उसको भंग कर दिया जाय और उसके चुनाव न कराये जायं। तो आज यही हाल सारे देश का है चाहे वह गुजरात प्रदेश हो या इलाहाबाद नगर महापालिका हो या लखनऊ नगर महापालिका हो। इस तरह से 29 नगर पालिकाओं के चुनाव कराने को हैं। जब राजनीतिक स्थिति उनके पक्ष में नहीं होती है जब वह समझते हैं कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत सकेंगे या कारपोरेटर, चेयरमैन या मेम्बर नहीं बनेंगे तो चुनाव नहीं कराते हैं और जब पक्ष में देखते हैं तब चुनाव करायेंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 29 नगरपालिकायें हैं जो अवक्रमित है। इसमें एक नगरपालिका मुरादाबाद की है जो कि 1957 से अवक्रमित है यानी 18 वर्ष से मुरादाबाद में चुनाव नहीं कराये गये--मैं आपको यह बता दूं कि इस समय स्थिति इस प्रकार है---कब से वह अवक्रमित है :---

मुरादाबाद	.. 14-12-57	सीतापुर	.. 23-6-72
एटा	.. 6-12-68	पीलीभीत	.. 23-11-72
गोरखपुर	.. 11-2-69	राय बरेली	.. 11-5-73 (यह प्रधान मन्त्री का क्षेत्र है)
बुलन्दशहर	.. 20-2-69	हरिद्वार	.. 18-12-73
सिकन्दराराऊ (जिला अलीगढ़)	.. 15-5-69	प्रतापगढ़	.. 18-5-73
चन्दौसी	.. 7-8-69	चरखारी (हमीरपुर)	.. 5-4-74
पौड़ी	.. 1-6-70	तिलहर (शाहजहांपुर)	.. 1-10-73
मेरठ	.. 15-6-70	बहराइच	.. 31-5-74
		मिर्जापुर	.. 1-12-73 (यह लोकपति जी का क्षेत्र है)
कासगंज (एटा)	.. 18-6-70	जौनपुर	.. 7-11-7

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मुगलसराय	..	21-8-70	फैजाबाद	..	29-6-74
ककराला (बदायूं)	..	26-1-71	बिजनौर	..	14-8-70
हरदोई	..	1-2-71	अमरोहा (मुरादाबाद)	..	15-5-69
			कन्नौज (फर्रुखाबाद)	..	10-11-71

फिर आप जनतन्त्र की हामी भरते हैं सारे प्रदेश में 170 नगरपालिकायें हैं। उसमें से इतनी नगरपालिकाओं को विघटित कर रखा है। आप उनके चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो आप यह टैक्स लगाते हैं वह नहीं लगा सकते है क्योंकि एक सिद्धान्त है कि 'नो टैक्सेसन विदाउट रिप्रजेन्टेशन" बगैर जन प्रतिनिधित्व के कर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपने राजनैतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए नगरपालिकाओं को सुपरसीड कर रखा है। आप चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि पहले वहां अपने लिए राजनैतिक वातावरण बनाना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस सदन में प्रश्न किया गया कि जितनी भी अवक्रमित या विघटित नगरपालिकायें हैं उनके चुनाव कब तक कराये जायेंगे तो तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने कहा था कि सितम्बर या अक्तूबर, 1974 तक चुनाव कर देंगे। तो वह बीत गया और चुनाव नहीं कराये गये उसके बाद जब फिर सत्र हुआ पुनः इसी प्रश्न को पूछा गया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का इरादा है कि बहुत जल्दी चुनाव करायेंगे। गतवर्ष जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वायत्त शासन से सम्बंधित मांगें प्रस्तुत की 11 जुलाई, 1974 को तो मांगों की चर्चा पर भाषण करते हुए कहा था कि "हमारी उत्कट अभिलाषा है कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र जितनी नगर महापालिकायें हैं या नगरपालिकायें, नोटिफाइड एरिया है उनका चुनाव जल्दी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या ? 11 जुलाई को आश्वासन दिया और उसके ठीक एक दो महीने के बाद सितम्बर में इलाहाबाद नगरमहापालिका का विघटन कर दिया। यहीं नहीं मान्यवर, 15 फरवरी, 1975 को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद का यहां अभिनन्दन समारोह हुआ उसमें भाषण देते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नगरपालिका और नगर महापालिकाओं के चुनाव जल्दी से जल्दी कराने के लिए हम संकल्पित हैं। लेकिन करनी कुछ कहनी कुछ। करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। इससे बढ़कर वचनभंगी सरकार दुनियां के पर्दे और सफे में भी दिखाई नहीं पड़ेगी ? मुझे कहते हुए दुःख होता है, स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस बात की चर्चा की कि स्वायत्त शासी संस्थाओं को राजनैतिक चश्मे से अलग करके देखना चाहिए। मैं इसको मानता हूं लेकिन सरकार की तरफ से जितने भी कार्यकलाप किए जाते हैं, जितनी भी नीतियां निर्धारित होती हैं, जितने भी आदेश प्रशासकों को भेजे जाते हैं, वे सभी राजनीति से ओतप्रोत होते हैं। इसके अलावा उनमें कुछ भी नहीं होता है।

मैं इस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा बरेली नगरपालिका और नजीबाबाद नगरपालिका, जिला बिजनौर के बारे में। मेरी जानकारी में आया है बरेली नगरपालिका को लगभग 4 महीने पूर्व कारण बताओ नोटिस दी गई थी।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

और नजीबाबाद नगरपालिका को भी लगभग 4 ही महीने पहले एक कारण बताओ नोटिस दी गई थी। पता नहीं आज तक उनका जवाब आया या नहीं लेकिन इतना अवश्य है कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पता नहीं कार्यवाही हो रही है या नहीं ? उसका कारण यह है कि इन दोनों जगह जो चेयरमैन होंगे या जो इनके सदस्य होंगे, शायद वे सभी कांग्रेस से सम्बन्धित होंगे यदि ऐसा न होता तो बिना कारण के, कानून में अधिकार न होते हुए, इलाहाबाद नगर महापालिका की तरह इन्हें भी अवक्रमित कर दिया गया होता। बरेली

ऐसा शहर है, जहां से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी आते हैं। मैं स्वयं नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के अवक्रमण के विरुद्ध हूं, लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि सारे मामलों को एक आंख से देखा जाना चाहिये और यदि कोई गड़बड़ी है तो तत्क्षण सरकार को कदम उठाना चाहिए। नगरपालिका और नगरमहापालिका ऐसी संस्थायें हैं, जिनके जरिए गरीबों और दरिद्र नारायण की सेवा की जा सकती है। सन् 1927 में म्युनिसिपल कारपोरेशन बंगलौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अभिनन्दन किया गया था और अपने अभिनन्दन के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी चर्चा मैं यहां कर देना इसलिए आवश्यक समझता हूं कि अभी यहां पर कोई आलीशान कामर्शियल कम्पलेक्स की चर्चा की गई है आगरा के सम्बन्ध में। राष्ट्रपिता ने कहा था कि "मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि नगरपालिका कितने सुन्दर पार्क और सड़क बनवाती है, बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि कारपोरेशन ने गरीबों तथा गृहविहीनों के लिए क्या-क्या किया।" ठीक यही दृष्टिकोण हमारी वर्तमान सरकार का होना चाहिए। हजरतगंज में जहां छोटे-छोटे दूकानदार हैं, जो रास्ते को रोके भी नहीं थे, केवल हजरतगंज को सुन्दर दिखाने के लिए, छोटे गरीब तबके के लोगों को, बिना उनके लिए कोई विकल्प की व्यवस्था किए हुए, उजाड़ देना कोई सुन्दरता का कार्य नहीं है। यहां पर विद्युत परिषद् है, जिसकी अपनी उच्च अट्टालिका है 10 मंजिल की, लिफ्ट लगी हुई है, एयर-कंडीशन में वहां के अधिकारी बैठते हैं। लेकिन बिजली की हालत यह है कि प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक, जब उत्तर प्रदेश में छात्र परीक्षाओं में बैठे रहे हैं, उसे बिजली नहीं मिलती है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मान्यवर, यदि आप इजाजत दे दें, तो मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूं। कल उस सदन में भी यह प्रश्न आया था कि 5 से 7 बजे तक बिजली न मिलने से छात्रों की बड़ी असुविधा होती है। इसे ध्यान में रखकर अब व्यवस्था कर दी गई है कि 5 से 7 बजे तक बिजली मिलेगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरों में बिजली नहीं मिलती है और देहातों में किसान आधी-आधी रात तक उसके इन्तजार में बैठे रहते हैं, बिजली नहीं मिलती है; इसलिये काम्पलेक्स से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात का ध्यान रखते हुए आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए काम किया जाय। आज, मान्यवर, शहरों में जाइए, देहातों में जाइए, चूंकि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से भी वह सम्बन्धित है देहातों में शौचालय नहीं है, शहरों में स्नानगृह नहीं है। होता क्या है? औरतों को सरे आम सड़कों पर, नालियों पर मल निस्तारण के लिए बैठना पड़ता है, और रात के अन्धेरे में जब जीप की गाड़ी की उन पर रोशनी पड़ती है तो उन महिलाओं को उठक बैठक करनी पड़ती है। इससे बढ़ कर और कलंक की बात इस प्रदेश और देश के लिए नहीं हो सकती है। काम्प्लेक्स की जो योजना है, मैं उसका विरोध नहीं करता। आप चलाएं। लेकिन जो स्वायत्त शासन सम्बन्धी जो कार्य है, पेय जल की व्यवस्था करना, स्वच्छता की व्यवस्था करना, स्नानगृह की व्यवस्था करना, बाजार और छोटी-मोटी सड़कों की हालत को सुधारना, इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1968 में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसमें कहा गया है कि "11 सालों में प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था न कर पाए यह कलंक है।" आज इस प्रदेश का नागरिक पीने के पानी के लिए तरस रहा है। देहातों और शहरों में कितने ऐसे स्थान हैं जहां पीने का पानी नहीं मिलता। सार्वजनिक नालों पर कतार लगी रहती है। औरतें रहती हैं लड़के रहते हैं लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सन्दर्भ में "उत्तर प्रदेश में आवासों की दशा", अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जुलाई, 1968 से जून, 1969 का विवरण

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

है। प्रदेश के 12 प्रतिशत परिवार नल, 4 प्रतिशत परिवार नलकूप से, 73 प्रतिशत कूप से तथा शेष 11 प्रतिशत अन्य स्रोतों जैसे पोखर या तालाब, नदी, झरना, झील इत्यादि से पीने का पानी प्राप्त करते पाए गए। नगरीय क्षेत्र में जलकल तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुएं ही पेय जल के मुख्य स्रोत हैं। नगरीय क्षेत्र के 61 प्रतिशत नल से पीने का पानी प्राप्त करते हैं जब कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवारों का प्रतिशत केवल 4 पाया गया।

एक योजना है पाठा जल योजना। वहां का यह हाल है, बांदा जिले में महिलायें मिट्टी के घड़े चार सर पर रखे, चार इस बगल में और चार उस बगल में लिए और 6-6, 8-8 मील पैदल चल कर जाती हैं पीने का पानी ले कर आती हैं। तब खाना खाती हैं। वह गाती आती हैं कि "गगरी न फूटे खसम चाहे मर जाय।" कितना महंगा पड़ता है उनका पानी। गर्मी में, लू में आठ-आठ मील जाना पड़ता है। रास्ते में डर रहता है कि कहीं गगरी गिर न पड़े, कहीं लड़के कंकड़ी न मार दें। वहां पानी की कीमत मति से ज्यादा रहती है। यही गाना गाती हैं, "गगरी न फूटे खसम चाहे मर जाय।" पाठा योजना पर कराड़ों रुपया बरबाद किया गया।

इलाहाबाद में जमुनापार से मेजा करछना लगे हुये हैं। वहीं से माननीय मुख्य मन्त्री बारा से चुनकर आते हैं। लगभग डेढ़ साल हुआ वहां पर देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी गयीं। वहां पर कमला नेहरू पेय जल योजना बनी। कमला नेहरू माननीया प्रधान मन्त्री की माता का नाम था। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री की धर्मपत्नी का नाम कमला बहुगुणा है इसलिए यह नाम रखा गया। मैं नहीं जानता कि क्यों नाम रखा गया। कमला पेय जल योजना का प्रधान मन्त्री ने उद्घाटन भी किया। पत्थर गड़ गया। करीब पौने दो साल बीत गए लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद के जमुनापार क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां पर आज पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था करें। जो नगर महापालिकायें हैं उनके अन्तर्गत सार्वजनिक स्नानगृह और नलों की व्यवस्था कराई जाय। एक कानून है उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई रूल्स, 1968। उसमें प्रावधान है कि एक सार्वजनिक नल से दूसरे सार्वजनिक नल की दूरी कम से कम 480 मी0 से अधिक होनी चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए कि नल लगाने के लिए दूरी का सवाल नहीं होना चाहिए। अधिक आबादी का घनत्व होना चाहिए। आप हजरतगंज से चले जाइए हो सकता है कि बहुत दूर तक किसी नल की जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसी जगह हो सकती है जहां आबादी के लिहाज से एक नल से अधिक की व्यवस्था करने की जरूरत हो। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस कानून में परिवर्तन करने की जरूरत है।

आज प्रदेश के जितने भी शहर हैं, उनकी हालत क्या है? नालियां कूड़ा, करकट और मच्छरों से भरी हुई हैं। गोरखपुर भी गन्दगी से भरा हुआ है। आप लखनऊ में ही हजरतगंज से लगी हुई गलियों में चले जाइए तो गन्दगी का अम्बार लगा हुआ दिखाई देगा। नगरपालिकाओं और महापालिकाओं द्वारा कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा भी कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। मैंने स्वायत्त शासन विभाग का एक परिपत्र देखा है जो 3 अप्रैल का है। मैं निवेदन करूंगा कि यह परिपत्र कहीं कागज की टोकरी में ही पड़ा न रह जाए। इसका अनुपालन होना चाहिए।

इस परिपत्र में एक अतिक्रमण हटाने की भी चर्चा की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि अतिक्रमण के हटाने के बहाने खोंचे वाले और ठेले वाले जो सुबह से अपना माल लेकर शाम को अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको ही बेरोजगार न कर दिया जाय। इस परिपत्र के देखने से पता चलता है कि इनका विभाग जागरूक नहीं है। हालांकि बात कहने की नहीं है लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो कार्य विवरण अप्रैल, 1975 का है जो नगरपालिकायें इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी के

मुख्य नगराधिकारी को भेजा गया है जबकि इनमें किसी में भी मुख्य नगराधिकारी नहीं है। इसमें संशोधन करें और परिपत्र भेजा गया है उसमें मुख्य नगराधिकारी नगरपालिका इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसमें नगरपालिका की जगह महापालिका तथा मुख्य नगराधिकारी की जगह प्रशासक होना चाहिए।

आपका जो एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 विभाग है उसके ऊपर नगरपालिकाओं और महापालिकाओं का नियन्त्रण नहीं है। कर्ज तो वह नगरपालिकाओं नोटीफाइड एरिया टाउन एरिया के खाते में चढ़ जाता है। लेकिन जो पेयजल योजना होती है उसमें किसी स्वायत्त शासी संस्था का हाथ नहीं होता है। पाइप लाइन बिछा दी जाती है, गड्ढे खोद दिये जाते हैं लेकिन उनसे सालों तक पानी नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और इस विभाग को कसने की कृपा करें।

एक बात और है कि प्रकाश की व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़ा ढोल पीटा गया है कि हरिजन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। मैंने इस सम्बन्ध में सरकार से काफी लिखा पढ़ी की है। मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा है इलाहाबाद महापालिका के सभासद रहने का और एक साल में नगर प्रमुख भी था। इस हैसियत से मैंने सरकार को बहुत लिखा-पढ़ी किया। यह जो हरिजन बस्तियां नगर महापालिकाओं के अन्तर्गत आती हैं। नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में कुछ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस सन्दर्भ में सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि शहरों के अन्दर जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार की प्रकाशों की व्यवस्था कराई जाय, तो अच्छा होगा।

एक आपने सीवर अध्यादेश निकाला है। नगरों में जाइये, शहरों में जाइये, वहां पर नालों में मैला बहता रहता है और आज भी जो महत्मा गांधी की आकांक्षा थी कि आदमी के मल को आदमी न उठावें, वह परम्परा खत्म नहीं हुई है। आज भी यह हो रहा है। कहीं पर भी शुद्ध, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। मैं तो चाहूंगा कि सारे कामों को आप रोक कर केवल दो काम किये जायं कि जो फ्लश लैट्रिन्स हैं इनका विस्तार हो। सीवर लाइन बिछाई जायं। पेय जल की व्यवस्था कराई जाय।

तीसरी इस बात की चर्चा होती है कि महापालिकाओं की आय का कोई स्रोत नहीं है। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो सड़कें होती हैं रोड टैक्स जो लगता है, इनका कोई भी प्रतिशत नगर पालिकाओं को नहीं मिलता है। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन्टरटेन्मेंट टैक्स, रोड टैक्स आदि का भी कोई परसेन्टेज होना चाहिये जोकि इस स्वायत्त शासी संस्थाओं को मिलना चाहिए।

इसी प्रकार से नगर महापालिका कानून में एक व्यवस्था है कि जो अचल संपत्ति का स्थानान्तरण होता है, इसमें भी ड्यूटी की जो आय है उसमें से कुछ महापालिकाओं को जाना चाहिये। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हस्तान्तरण पर जो ड्यूटी लगती है इसका कुछ प्रतिशत इन स्वायतशासी संस्थाओं को जाना चाहिये। कोशिश यह होनी चाहिये कि छोटी-छोटी गुमटियां, छोटे-छोटे कैम्पेलक्स बनाये जायं और बना कर छोटे-छोटे लोगों को जो अपनी रोजी-रोटी पैदा करते हैं, उनको दी जायं। माननीय मन्त्री जी ने कुछ आवास योजना का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि 3-4 योजनायें इस प्रकार की हैं। एक अल्प आय-वर्ग योजना---इसमें उन्हीं लोगों को मकान मिल पाता है जिनकी आय 7,200 रुपया वार्षिक तक या 6 सौ रूपया माहवार तक हो। मध्य आयवर्ग के लिए आमदनी 600 रुपये माहवार या अधिक हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 400 रु0 माहवार है तो वह अल्प आयवर्ग योजना के अन्तर्गत उसे मकान मिलेगा। लेकिन किस्त देना पड़ता है 200 रु0 माहवार। तो कोई भी आदमी इस योजना का लाभ उठा ही नहीं सकता। तो इसमें मान्यवर, किस्तों की ढिलाई की आवश्यकता है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

इसमें दो विकल्प हैं। यदि कोई 12 साल में दे तो 200 रु0 माहवार किस्त है और अगर 20 साल में दे तो और कम आयेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

तो मैं चाहूंगा कि जो किस्तों के दरों की योजना है उसमें ढील की जानी चाहिये। मान लीजिये किसी की आमदनी 7,200 वार्षिक है तो वह 400 रु0 की किस्त हरगिज नहीं अदा कर सकता है।

अब एक बात ट्रान्सपोर्ट निगम की है। अक्सर यह देखने में आया है कि दुर्घटनायें हुआ करती हैं। तो मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से कानपुर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाया गया है उसी तरह से इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा मेरठ और लखनऊ में भी बनाया जाय।

कई सदस्य---

बरेली में भी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

बरेली में भी ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना की जाये। इन शहरों पर बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थायें हैं। तो मेरा निवेदन है कि इन शहरों में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना की कोशिश की जाय।

अब मैं विद्युत शवदाह गृह की बाबत कहना चाहता हूं। डा0 लोहिया जब मरे थे तो मान्यवर, आप जानते हैं कि वह विद्युत शवदाह गृह में जलाये गये थे। वे कहते थे कि आदमी के मरने के बाद में 100-200 रु0 खर्च हो जाय यह हर्ज की बात है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जब मरे थे तो उनकी राख हवाई जहाज से खेतों में डाली गयी थी धरती पर फेंकी गयी थी लेकिन डा0 लोहिया की राख शवदाह गृह में जल गयी थी। इलाहाबाद और वाराणसी से बहुत पत्राचार हुआ है। इसमें बहुत खर्चा नहीं है। शासन ने कहा था कि प्रस्ताव आना चाहिये। वह प्रस्ताव भी आ गया लेकिन अभी तक उसका प्रबन्ध नहीं हुआ है। इससे लकड़ी बच जायेगी। लकड़ी बहुत महंगी भी है। माननीय मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

नगरपालिका कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। जुलाई 1974 में एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव थे। नगर पालिका कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता, चिकित्सा भत्ता देने का प्रश्न इस समिति को सौंपा गया था। जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी जो मांगें हैं जिसके सम्बन्ध में सदन में 24 जुलाई, को वक्तव्य हो चुका है और कहा गया कि मामला समिति को भेज दिया गया है। साथ ही साथ इन कर्मचारियों की मांग यह भी है कि 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए और जो नक्शीकरण की सुविधा है वह भी इनको दी जाए।

एक मामला और है। जो नजूल की जमीन होती है उस पर लोगों का नाजायज अधिकार रहता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर में एक जे0 के0 इन्डस्ट्रियल ग्रुप था, उसको लीज पर जमीन दी गयी थी, वह समाप्त हो गयी है। यह लक्ष्मण बाग की है। मेरी जानकारी है कि आवास योजना के अन्तर्गत यह जमीन ली गयी थी परन्तु फिर इस योजना को समाप्त करके जे0 के0 ग्रुप को दी जा रही है। अगर छोटे-छोटे मकान बन जायेंगे तो लोगों को रहने की बड़ी सुविधा होगी। मान्यवर, इटावा नगर पालिका में एक स्कूल है। कई बार माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां पर प्रश्न उठाए कि वहां पर जो भवन है, जो उसमें अनधिकृत कब्जा है, वह हटाया जाय, जिलाधीश ने हटाने के आर्डर भी दिए लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

शहरों में पेय जल के सम्बन्ध में नगर पालिका के जो वाटर सप्लाई रूल्स, हैं, उसमें प्राविधान है कि 25 फुट ऊपर तक पानी पहुंचाया जायगा कि लखनऊ में, इलाहाबाद में और हाल में मैं कालपी शहर गया था, वहां पर भी यह हालत है और प्रदेश के सभी 54 जिलों में यही हालत है कि पहली मंजिल में भी नल खोलने पर कहीं एक घंटा, कहीं, 2 घंटे पानी मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि जनता के कष्ट को देखते हुए उसके लिए भी सरकार को कोई विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

एक विभाग आवास विकास परिषद् है जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय स्वायत्त शासन एवं आवास मन्त्री रह चुके हैं। ऐसी बस्तियों में, ऐसे खेतों में जहां पर आस-पास मकान बने रहते हैं, ऐसी बस्तियों का अधिग्रहण किया जाता है। इस कार्य में भी पैसा चलता है। इलाहाबाद में एक करेली स्थान है। बड़े दुःख की बात तो यह है कि अगर आपत्ति की जाती है तो वह नहीं मानी जाती है। लखनऊ में भी कुकरैल नदी के पार एक गाजीपुर-बस्तौली इलाका है। वहां पर बाबा भूतनाथ का एक मन्दिर है। पहले उसके पास में केवल 1 1/2 बीघा जमीन थी लेकिन उसने पूरे-पूरे 10 बीघे जमीन को हथिया लिया है। आज तक भी उनसे खाली करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय मोती लाल देहलवी जी ने मुझे बताया है जिन्होंने इस बारे में जांच की है, कि बाबा भूतनाथ को माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का संरक्षण प्राप्त है। अगर ऐसी बात है कि किसी परिषद् के अध्यक्ष या माननीय मन्त्री का उसे संरक्षण प्राप्त हो और गरीबों को मकान न मिलें, और वह जमीन पर कब्जा किए जाय, यह बात अनुचित है, उसका समाधान किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैंने आरम्भ में इस बात की चर्चा की कि इलाहबाद नगर महापालिका राजनीतिक कारणों से भंग की गई है। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि इलाहाबाद नगर महा-पालिका में गत वर्ष जितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस सबको माननीय मुख्य मन्त्री जी का संरक्षण प्राप्त है। इस सम्बन्ध में 25 सौ पत्र वहां के सभासदों के . . .

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---
वह भ्रष्टाचार कब से कब तक था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---
वह भी बता दूंगा। गत वर्ष वहां पर माननीय मुख्य मन्त्री ने कोई मुख्य नगर अधिकारी 9 महीने तक भेजा ही नहीं। नगर अभियन्ता, सहायक नगर अधिकारी और कभी नगर उप-प्रमुख नगर अधिकारी उनकी जगह काम करते रहे। इसी सदन में मैंने 6-6 मर्तबा प्रश्न रखे लेकिन फिर भी वहां पर किसी भी मुख्य नगर अधिकारी को नहीं भेजा गया। कारण क्या था कि वहां पर हेमवती नन्दन बहुगुणा नगर अपने नाम से बनवा रहे थे। पत्रकारों को आश्वासन दिया गया कि वहां पर उनके लिए एक जर्नलिस्ट कोलोनी बनाई जाएगी। उसके लिए 4 लाख 23 हजार 3 सौ रुपए का टेन्डर मांगा जाता है। पैसा एक पास नहीं लेकिन हजारों रुपया विज्ञापन में बरबाद कर दिया जाता है। आज तक भी उस जर्नलिस्ट कोलोनी में एक ईंट तक नहीं लगी है लेकिन टेन्डर उपरोक्त धनराशि का मान लिया जाता है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हैस्टिंग्स रोड पर ठीक अपने घर के सामने अपने पिता, श्री रेवती नन्दन बहुगुणा के नाम से एक क्रय-विक्रय केन्द्र बनवाया है। दो आलीशान इमारतें, वहां के मुख्य नगराधिकारी का बंगला और आज भी जो विषय आया, चुंगी की इमारत गिरा दी गयी। वहां नियम यह है कि गिराने के पहले उसके मूल्य को आंकना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सारे मामले की एक उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहूंगा कि जांच उस समय की भी होनी चाहिए, गतवर्ष के नगर प्रमुख की भी, यानी जब मैं नगर प्रमुख रहा हूं उस समय की भी जांच होनी चाहिये, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार पनपता रहा, कितनी बार मैं उनसे मिला

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कितने पत्र हमने लिख कर दिए लेकिन सारे पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते थे। कारण यह था कि मुख्य मन्त्री भ्रष्टाचार को पनपा रहे थे। एक मामला 60 हजार बोरी सीमेंट का आ चुका है। एक और मामला है 60 हजार बोरी का जब मुख्य मन्त्री संचार मन्त्री थे इलाहाबाद कारपोरेशन के मेयर के नाम परमिट आता है और उस परमिट की सीमेंट को चोरबाजारी में बेचा जाता है, 4-5 रुपए बोरी की चोरबाजारी होती है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एलेक्टेड व्यक्ति के नाम परमिट आये और बेचा जाय। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से मैं चाहूंगा कि वह पत्रावली को निकलवायें और उसकी जांच करवायें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि चूंकि सम्बन्धित व्यक्ति चले गये इसलिए हम कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं चाहूंगा कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी पत्रावलियां निकलवायें और जांच करवायें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको 2 बजे तक बोलना था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

शीघ्रता करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

गंगा और यमुना का पानी है। उसमें गन्दा पानी पहुंचता है। कानपुर का मामला आज भी दैनिक जागरण में निकला है। इलाहाबाद में भी यमुना में चाचर नाला के जरिए गन्दा पानी पहुंचता है और वह पानी यह सत्य है फिल्टर करने के बाद पीने के लिए मिलता है। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि कानपुर और इलाहाबाद में, और भी जो स्थान हैं, गन्दा पानी नदियों में न पहुंचे। गन्दा पानी तो उपज के लिए बड़ा काम आता है। नालियों के जरिए उसे खेतों में पहुंचाया जाय तो काफी उपज बढ़ सकती है।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इलाहाबाद की नगर महापालिका ने प्रस्ताव पारित किया डाक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा लगाने के लिए। डाक्टर अम्बेदकर गरीबों के नेता थे, मसीहा थे, संविधान के प्रणेता थे। तो प्रस्ताव पास हो गया, दो हजार रुपया भी शिल्पकार को दिया गया लेकिन पता नहीं क्यों सारा मामला ठप्प हो गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी पत्रावली को मंगा कर उचित कार्यवाही करें और डाक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा लगाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः मांग करता हूं कि जिन भ्रष्टाचारों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है उनमें जो निर्वाचित व्यक्ति हैं वह चाहे चले भी गये हों लेकिन कम से कम जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, मुख्य नगराधिकारी रहे हैं, जो इन्जीनियर रहे हों उन सबकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी और माननीय सदन भी मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह सुन कर बहुत अफसोस हुआ कि जो बातें यहां नहीं उठानी चाहिए थीं उनको कहा गया और जिनको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए था उन्हें राजनीतिक रूप दे दिया गया। हम लोगों की यह बदकिस्मती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होती। माननवर, चूंकि हम शासन में हैं, इसलिए वे चाहें कोई आरोप हम पर लगायें हमें उसे पीना ही पड़ेगा।

इस बात से बड़ी हैरत हुई जब यह कहा गया कि मन्त्री जी नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी सरकार की आलोचना की गयी। इसी सदन के अन्दर जब वह विधेयक पेश हुआ था उस समय भी विरोधी दल के नेताओं ने उसका विरोध किया था और उस समय विरोधी दल के नेता खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में जेल में थे। उसके बाद पांचों नगर महापालिकाओं के मेयरों की जब कान्फ्रेंस हुई तो उसमें भी यह मांग की गयी कि नगरपालिका अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिए। बराबर माननीय सदस्यों की भी यह मांग रही है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। इसकी मांग सभी लोगों ने की है। लेकिन जब सरकार ने उसमें परिवर्तन करने के लिए यहां विधेयक पेश किया तो उसकी आलोचना होने लगी। अब यह कहा जाता है कि परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। आज मुख्य प्रश्न विचाराधीन यह है कि मेयर के चुनाव का आधार क्या होना चाहिए। इसी तरह के अन्य मुख्य प्रश्न भी विचाराधीन हैं। क्या आज भी वही प्रक्रिया चलनी चाहिए जो अंग्रेजों के समय में बनी थी ?। या इस प्रजातन्त्र के समय में उसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए ? जनता के चुने हुए लोगों को नुमाइन्दगी करने का अधिकार मिलना चाहिए ? ये सभी प्रश्न आज विचाराधीन हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

आज इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए कमेटी बैठी हुई है जो विचार कर रही है।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी। मेरे पास भी कहने के लिए बहुत मसाला है, बहुत सी बातें हैं, भ्रष्टाचार के सिलसिले में, मगर जितना समय है, उतने कम समय में उनको सभी को रखा नहीं जा सकता .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठें, इस तरह से घूमें नहीं। बातचीत भी बहुत हो रही है, शांति रखें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

पिछले सालों में जनसंघ के लोगों ने तथा अन्य विरोधी दलों ने नगरमहापालिकाओं में क्या-क्या किया उसके कुछ उदाहरण मैं रखना चाहता हूं। उस समय पंचमेल सरकार भी कुछ समय के लिए बनी थी जब कि माननीय नेता विरोधी दल चीफ मिनिस्टर थे, जनसंघ के श्री राम प्रकाश जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उनके जमाने में लालबाग में चौराहे पर एक जमीन एक लखपती आदमी के नाम एलाट कर दी गयी। अमीनाबाद में महावीर जी के मन्दिर के पास तमाम दुकानें एक ही रात में, रात दो बजे तक अपने-अपने लोगों के नाम एलाट कर दी गयीं जब कि उस मन्दिर के लोगों ने उसके सम्बन्ध में एतराज उठाया। यह काम भारतीय जनसंघ के श्री राम प्रकाश जी के जमाने में हुए। उनके खिलाफ एक जांच कमेटी भी बिठाई गयी जिसका नाम साही जांच कमेटी था, मगर उसकी रिपोर्ट आज तक छपी नहीं.....(व्यवधान)। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को जब मौका मिले तब अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद---

हमारे भारतीय जनसंघ वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर उनके द्वारा किये भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। निराला नगर शिशु मन्दिर के पास साढ़े 5 लाख गज जमीन 2 पैसे स्क्वायर फुट के हिसाब से अपने लोगों के नाम से दे दी गयी। यू0पी0 विधायक निवास के सामने सड़क पर एक दुकान का अनअथाराइज्ड कन्सट्रक्शन कर दिया गया। और फिर ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। (व्यवधान) लखनऊ नगर महापालिका में सभी विरोधी दल के लोगों ने चाहे वे किसी भी दल के रहे हों सभी ने... (व्यवधान) और सब के पास 10-10 प्लाट्स एक-एक स्कीम के अन्दर हैं। यह रही भ्रष्टाचार की बात लेकिन अब मैं आगे नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। (व्यवधान)।

इसके बाद कुछ और बातें भी हैं जिनके ऊपर सोचना चाहिये। वह यह है कि नगरमहापालिकाओं और लोकल बाडीज में पार्टीज की बुनियाद को छोड़कर बातें होनी चाहिये कि नागरिकों को हम कैसे अच्छी जिन्दगी दे सकते हैं। किस प्रकार से उसके अन्दर और चीजें कर सकते हैं? मेरे पास काफी आंकड़े हैं। जो लोग कहते हैं कि 27 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है, आप 1950-51, 1951-52 के अपने उत्तर प्रदेश के रोड्स ग्रान्ट्स को देख लें तब कितना था और आज कितना है, तब आबादी कितनी थी और आज कितनी आबादी बढ़ी है। इसको देखते हुए जाहिर है कि एल0एस0 जी0 की तरफ से पानी का जिस प्रकार से बन्दोबस्त है वह बिलकुल नाकाफी है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वह बहुत ही कम है। इन शब्दों के साथ में दो चार-बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

लखनऊ की बात मैं कहना चाहता हूं। लखनऊ को सुन्दर बनाने की जो योजना चल रही है, उसका मतलब अगर हजरतगंज को सुन्दर बनाना है तो वह न होना चाहिये। पुराने लखनऊ के लिए योजना बननी चाहिये, जहां गरीब लोग रहते हैं। जब तक गरीब बस्तियों का सुधार नहीं होगा तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, लखनऊ में ही इरियापार की हालत यह है कि लोग टंकियों पर कतार लगा कर पानी के लिये खड़े रहते हैं, उनको एक बूंद पानी नहीं मिलता है। इसलिये फौरन पानी मुहय्या करने का इन्तजाम होना चाहिये। इसी तरह से सरकार ने यह किया है कि कुछ सर्विसेज को प्रोविंशियलाइज्ड कर दिया है। प्रोविंशियलाइज भी मेहतर, जमादार, सिनेटरी इन्सपेक्टर और ओवरसियर्स की सर्विसेज को किया है। अगर कोई जौनपुर की लोकल बाडी में काम करता है तो उसको झांसी भेज दिया गया है जिसको तीन महीने तो मकान खोजने में और 6 महीने तक वहां के नियमों को समझने में लग जाता है। इसलिये सरकार से मेरा कहना है कि 250 रुपये से कम वेतन पाने वाले किसी कर्मचारी की सर्विस को प्रोविंशियलाइज न किया जाय।

लखनऊ में जो नजूल की भूमि है और स्टेन्डर्ड एरिया है, लाखों करोड़ों रुपये की जमीन लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन ने हड़पकर दबा रखी है। लखनऊ के प्रशासक को चाहिये कि लोगों ने जो जगह-जगह नजूल की भूमि का इन्क्रोचमेंट कर रखा है उसे हटवायें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय सदस्य ने अभी जो आरोप लगाया है, वे जांच कराना चाहें तो हम उसके लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य बैठें।

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो यह बात कही कि जहां तक स्वायत्त संस्थाओं का सवाल है, राजनीति से ऊपर उठ कर हमें विचार करना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह बात विरोधी दल की तरफ से बराबर कही जाती है। और अगर माननीय मन्त्री जी ने अपनी बात सच्चाई से कही है कि स्वायत्त संस्थाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिये तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर उन्होंने ऐसा प्रारम्भ किया तो शायद बहुत कुछ सुधार हो सकता है। जहां तक 29 नगरपालिकायें हैं जिनके सम्बन्ध में कहा गया है वे विघटित पड़ी हैं। अगर आप सच्चाई से प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं, लोकतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिए कलंक है कि प्रदेश में 29 नगरपालिकायें विघटित रहें लेकिन इस बात का अवसर न हो कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि वहां जाकर काम करें। पिछले बजट भाषण में जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले भी कहा था, बड़ी तीव्रता के साथ कहा कि मैं शीघ्र ही चाहता हूं कि सारी नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आवें और वहां काम करने लगें।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जब इस माननीय सदन में इस तरह का आश्वासन दें और आज साल भर होने के बाद एक भी नगरपालिका का चुनाव न हो तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। उनके अन्दर लोगों को श्रद्धा नहीं है। उन्होंने कहा शीघ्रातिशीघ्र करेंगे तो मैंने तो ऐसा समझा कि बहुत शीघ्र चुनाव हो जायेंगे लेकिन चुनाव नहीं हुए! इसलिए जितनी भी नगरपालिकायें हैं, जहां पर अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रशासन द्वारा चलायी जा रही हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उनका हाल बहुत बुरा है। उनके बारे में शिकायतें हैं। अब राजनीति के ऊपर आप चलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पक्षपात छोड़ना होगा। चाहे नगरपालिकाओं के अध्यक्ष आपकी पार्टी के हों या विरोधी दल के हों आपकी नीति समान होनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर उदाहरण दिए जायं तो उचित नहीं होगा। जहां कांग्रेस अध्यक्ष हैं वह वहां मनमानी कर रहे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं बांदा जिले का उदाहरण दे रहा हूं। वहां करवी नगरपालिका ने 10 हजार रुपया लगाकर एक चौराहे पर इमारत बनवायी और उसके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 को। एक नत्थू लाल नामक व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र दिया कि मैं इसको किराए पर लेना चाहता हूं और एक प्रस्ताव भी पास हुआ कि 125 रुपए माहवार पर यह दुकान और मकान इसको दे दिया जाय। लेकिन दिनांक 29 जुलाई, 1974 को आपके श्री गोस्वामी जी ने जो राज्य मन्त्री भी रहे हैं उनकी ओर से एक प्रार्थना-पत्र दिया गया और दिनांक 29 जुलाई, 1974 को ही उनके नाम वह बिल्डिंग 120 रुपए माहवार पर, जो पहले 125 रुपए माहवार पर उठ रही थी, 120 रुपए माहवार पर दे दी गयी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा पास किया गया दिनांक 13 अक्तूबर, 1974 को कि उनको 20 साल के लिए यह बिल्डिंग दे दी गयी है। उन्होंने उस बिल्डिंग में अपना कार्यालय खोला है और कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध में शिकायतें आयीं हैं लेकिन कोई सुनवायी नहीं हुयी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक दुकान 125 रुपए में उठ सकती है, उसके लिए प्रस्ताव पास हो गया और उसके बाद भूतपूर्व राज्य मन्त्री को, जो कांग्रेस के हैं, 120 रुपए में दे देना कहां की नेकनीयती है? मैं समझता हूं कि शासन द्वारा शीघ्र कदम उठाना चाहिए था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

आज जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्नोत्तर काल में। प्रश्न नं0 2 उसका जवाब आपकी ओर से मिला उसमें यह बात कही गयी कि एक श्रीमती सरला भार्गव ने दरख्वास्त दी थी कि यह तावान अधिक है। इसलिये नियत प्राधिकारी ने इसे घटाकर 584 रु0 तावान कर दिया। लेकिन आगे आप कहते हैं कि नियत प्राधिकारी को आर0 बी0 ओ0 ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पाउन्ड करने का अधिकार उस समय तक नहीं था और यह अधिकार केवल नियन्त्रक प्राधिकारी को था। दूसरी बात यह है कि नियमानुसार इसका तावान 3835 रुपए लगाना चाहिए था और चूंकि श्रीमती सरला भार्गव ने तीसरी बार अवैध निर्माण किया था इसलिए उन पर 10 गुना तावान लगाना चाहिए था।

तो आगे प्रश्न में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि आखिर 3835 रुपए क्यों नहीं लिए गए। यह क्यों नहीं लिए गए और इस पर क्या कार्यवाही हुयी है? यह दिया कि अभियन्ता को सस्पेन्ड कर दिया है। लेकिन 584 रुपए तावान लिया गया। 3835 रुपए क्यों नहीं लिया गया? जहां तक अभियन्ता को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की गयी है तो फिर कुछ कार्यवाही के बाद वह अपने स्थान पर आ जायेंगे। यह 3835 रुपया वसूल नहीं किया जायगा। इस तरह से शासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता जिसकी सूचना प्राप्त हो जाती है, जानबूझकर कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो आपके सामने आ नहीं सकते हैं। लेकिन जो उदाहरण आपके सामने आता है उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती। अगर आप कड़ाई से व्यवहार करें और अधिकारियों को सजा दें तो उनको भी आभास होगा और कभी भ्रष्टाचार को छिपाया नहीं जायगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के सैकड़ों पक्षपात पूर्ण मामले हो रहे हैं। यदि प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो भी आपके विभाग से उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि स्थानीय निकायों के महापालिकाओं की आय बढ़नी चाहिए और जब तक वह स्वयं अपनी आय पर नहीं होती है तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस आड़ में कि आय बढ़नी चाहिए, अधिकारियों को ऐसा कार्य करने का मौका दिया जाय कि वह जनता को सतायें। उनसे कहा गया है कि यदि किसी प्रकार आय बढ़ा दें तो आपकी तरक्की हो जाएगी। मैं लखनऊ नगर महापालिका की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कर निर्धारण के लिए हाउस टैक्स का मूल्यांकन हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में 10 वार्ड में जिस तरह मूल्यांकन किया गया उसका कोई आधार नहीं था। अधिक से अधिक 10 गुना 20 गुना मूल्य लगाया गया है और शायद मैं समझता हूं कि यह प्रशासक की तरफ से आदेश थे कि लखनऊ की आय इससे हो जाय। समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुयी और आन्दोलन भी हुआ और अन्त में प्रशासक की ओर से एक बयान अखबार में दिया गया कि इस आधार पर अब कर निर्धारण होगा। 10 वार्ड जहां कर निर्धारण हो चुका उनको दुबारा इसमें रखने का प्रश्न नहीं रखा। 22 वार्डों के सम्बन्ध में आधार रखा है। उस पर आज कल निर्धारण हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्राविधान यह है कि अगर प्रशासक कर निर्धारण कर रहा है तो यदि कोई आपत्ति करे तो उसको कार्यकारिणी सुने, लेकिन वह है नहीं। इसलिए प्रशासक पर इसके अधिकार निहित हैं जिसके द्वारा आपत्तियां सुनी जा रही हैं। लेकिन वह दिखावा मात्र है क्योंकि प्रशासक चाहते हैं कि आय बढ़ जाय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि न्याय कराना चाहते हैं तो नियमानुसार कोई उपयुक्त अधिकारी नियुक्त करें जो आपत्तियां सुने और न्याय दे सके वरना पूरी नगर महापालिका में काफी परेशानी है।

मान्यवर, जहां तक लोकल सेल्फ इन्जीनियरिंग विभाग है तो वह सफेद हाथी जैसा है उस पर आपका कोई अंकुश नहीं है। हरदोई के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां वाटर वर्क्स से पानी नहीं मिल रहा है। उनकी रकीमें आपने बनायीं और 7-8 लाख रुपय

उनको उधार दिया। लेकिन 4-5 वर्ष हो गए हैं और कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने टंकी एक मोहल्ले में लगवाई और ट्यूबवेल दूसरे मोहल्ले में लगाया जिससे हरदोई में पानी मिलना मुश्किल है। उनका कहना है कि टंकी में पानी तभी मिल सकता है जब ट्यूबवेल से नल बिछाकर पानी टंकी में ले जाया जाय वरना नहीं। इसलिए हरदोई में गर्मियों में पानी का इतना अभाव होगा कि शायद इसके लिए आन्दोलन हो सकते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में आपको देखना चाहिए।

मान्यवर, जब जहां तक चुनाव का सवाल है तो हरदोई नगरपालिका में एक कछौना टाउन एरिया है। लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिया। दो गांव समाए हैं उनके प्रधानों का चुनाव हो गया लेकिन आपने उनको प्रधान नहीं बनने दिया क्योंकि इस बीच में यह डिक्लेयर किया गया कि आप उनकी टाउन एरियाज बनाने जा रहे हैं जब कि आज तक उनको टाउन एरिया नहीं बनाया गया। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

जहां तक नगरपालिकाओं के चुनाव का सम्बन्ध है उनको सरकार सितम्बर तक करा दे। कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से मोरार जी देसाई ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है उसी तरह से नगरपालिकाओं के चुनाव न होने के कारण विरोधी दलों को भी कुछ सख्त कदम उठाने पड़ें, आन्दोलन करना पड़े, तब आप यह कहें कि ऐसे आन्दोलन को करने की जरूरत नहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव लाल (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ये जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनका सम्बन्ध लोकल कल्याण से बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में 5 महापालिकायें तथा अनेक नगर-पालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं। कटौती को पेश करने वाले माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि इन महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये गए और वे उस समय कराए जायेंगे जब कांग्रेस शासन के अनुकूल समय होगा। मान्यवर, यह बात सत्य नहीं है।

श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)---

मान्यवर, इस समय सदन में कोई भी मन्त्री उपस्थित नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

जैसा यादव साहब ने कहा यह कहां तक माकूल बात है कि सदन में कोई भी मन्त्री न हो जब कि इतने अहम अनुदान पर बहस हो रही है ?

(इस बीच श्री बलदेव सिंह आर्य के आ जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष---

मन्त्री महोदय आ गए हैं, और वह इस समय सदन में उपस्थित हैं।

श्री शिवलाल---

मान्यवर, हम सभी महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के चुनाव कराना चाहते हैं और इसके लिए जो प्रवर समिति बनाई गयी थी उसकी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही चुनाव हो जायेंगे। पहले यह चुनाव प्रणाली में कुछ दोष थे जो प्रजातन्त्र के हित में नहीं थे इसलिए यह प्रवर समिति बनाई गयी है। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि मेयर का चुनाव नयी पद्धति के हिसाब से डायरेक्ट जनता के द्वारा हो। इस समय जो नगरपालिकायें काम कर रही हैं वे बहुत उपयुक्त सेवायें कर रही हैं, बहुत से अच्छे काम उन्होंने किए हैं और उन्होंने हाउसिंग का काम बहुत तेजी से किया है। मैंने

[श्री शिवलाल]

स्वतः देखा है और उस कार्य को और देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर इसी तरह के वे कार्य करती रहीं और कालोनीज बनाती रहीं तो नगरों का विकास बराबर होता रहेगा। यह एक खेद की बात अवश्य है कि जो मकान बनाए गए हैं वे सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के लिए बनाए गए हैं।

छोटे वर्ग के लिए मकान बनाने की जो योजना है उसके बारे में वहां के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मुझे बताया कि यह योजना ऐसी है कि उच्च वर्गों से अधिक पैसा लेकर छोटे व्यक्तियों के लिए मकान कम दर पर बनाए जायेंगे और कम मूल्य पर उनको दिए जायं। सरकार का यह कार्य प्रशंसनीय है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि हमारे यहां कानपुर में स्लम स्कीम बड़ी तेजी से चल रही है और एक हजार क्वार्टर इसके अन्तर्गत बनाए गए हैं लेकिन उसमें बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि हम उसे देखेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे और योजना बनायें और बतायें कि उसमें कितना खर्चा आएगा ताकि उन क्वार्टरों को आसान किस्तों पर उनमें रहने वालों को दे दिया जाय ताकि वे भी मकान मालिक हो जायं। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री एवं इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस कार्य से बड़ा प्रभावित और सन्तुष्ट हुआ हूं। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं जिनको मैं माननीय मन्त्री जी के सम्मुख सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। ऐसा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए जो कालोनी पहले बनाई गई थी उसमें न तो पानी की व्यवस्था है, न बिजली की ही कोई व्यवस्था है। सुबह से लेकर शाम तक वे लोग काम करते रहते हैं। पानी की व्यवस्था वहां पर बहुत ही जरूरी है। अतः मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी सभी काम पर चले जाते हैं लेकिन जो बहुत ही छोटे बच्चे उनके होते हैं उनको वे घर पर ही अफीम आदि खिलाकर छोड़ जाते हैं। गर्मियों के समय में तो उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव माननीय मन्त्री जी से है कि उनके लिए एक पालन घर बनाने की व्यवस्था करें---स्वीपर्स कालोनी में। जहां वे अपने बच्चों को छोड़ जायं। इन पालन घरों का खर्चा नगरपालिका तथा महापालिका वहन करें।

इसके अतिरिक्त मलिन बस्तियों का काम भी 4 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में हुआ। काफी काम कानपुर में भी हुआ है। मैंने माननीय मन्त्री जी को दिखाया था। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि एक बार उसमें इतना खर्चा किया गया और दुबारा उन मलिन बस्तियों को उजाड़कर दूसरों को एलाट कर दिया गया। यह उचित नहीं है करोड़ों रुपया भारत सरकार का इस पर खर्चा हुआ और उसे उजाड़ कर उसे प्लाट बना दिया जाय। यह बड़ी दुखद बात है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस काम को रुकवा दिया जाय। एक प्रार्थना मेरी यह है कि हमारे यहां जो पहले महापालिका के मेयर लाला रामरतन गुप्ता थे उन्होंने नगरपालिका से बहुत बड़ी जमीन लगभग 100 एकड़ ली थी और यह कहा कि मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाए जायेंगे। उन्होंने उस भूमि पर छोटे-छोटे प्लाट्स बना दिए हैं और उसमें एक मार्केट बना दिया है और उस तरह से वे उन प्लाट्स को बेच रहे हैं। मजदूरों के नाम से उन्होंने यह जमीन ली थी लेकिन उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उसे आप तुरन्त रुकवा दें ताकि वे जमीन न बेच पायें। उसमें छोटे लोगों के लिए मकान बनने चाहिए और उन्हें रहने के लिए दिए जाने चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं वे जब रिटायर होते हैं तो उनको कोई भत्ता, पेंशन या ग्रेच्युटी आदि समय से नहीं मिलता है यहां तक कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है, कोई पैसा उन्हें नहीं मिलता। 5-7 साल हो जाते हैं तब भी उन कर्मचारियों को पेन्शन नहीं मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिवलाल---

मान्यवर, दो मिनट सिर्फ और लूंगा। एक निवेदन यह है कि वेतन आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उसमें कहा गया है कि जो सहूलियतें स्टेट कर्मचारियों को दी जायेंगी वही सुविधायें नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को देंगे, लेकिन कुछ समय तक तो दी गयीं और बाद में उनको बन्द कर दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि उनके साथ न्याय किया जाय और उनको शहरी और आवास भत्ते का जो नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों को मिलना चाहिए वह उनको दिया जाय। इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मनुष्य की जो मुख्य आवश्यकतायें हैं उनमें शिक्षा; स्वास्थ्य और चिकित्सा भी सम्मिलित है, इन मुख्य आवश्यकताओं जिनका मानवजीवन से गहरा सम्बन्ध है उनके हित में कि अच्छे ढंग से दवाइयां पहुंचें, अच्छी शिक्षा बालकों-बालिकाओं की हो सके, तथा अन्य मानवीय हितों के लिए जिन संस्थाओं को मनुष्य ने बनाया उनमें से ये स्वायत्तशासी संस्थाएं जैसे नगरमहापालिका, नगरपालिका, नोटीफाइड और टाउन एरिया भी हैं किन्तु खेद का विषय है कि जिस उद्देश्य से इनका संगठन हुआ उनमें यह अपनी क्षमता के बराबर कार्य करने में असफल रही है। उसका मुख्य कारण एक तो राजनीतिक दबाव है और दूसरा कारण है उनके अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार। जब भी वहां के अधिकारियों को जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या अन्य अधिकारियों को जो उन के पास बजट आ जाता है, इन संस्थाओं के पास पैसा आ जाता है तो कोई न कोई तिकड़म लगाकर अगर सत्तापक्ष का अध्यक्ष नहीं हुआ तो किसी न किसी तरह के उसको सस्पेंड लोग करा देते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा इन तमाम संस्थाओं को दिया जाता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है।

मैं आपका ध्यान गोरखपुर नगरपालिका की ओर दिलाना चाहूंगा कि जहां दो-तीन बड़ी समस्यायें हैं। एक तो यह है कि गन्दे पानी के निकास के लिये जो सीवर लाइन लायी गयी है वह बिलकुल ही नाकामयाब है और गन्दा पानी निकल ही नहीं पाता है जिससे जगह-जगह जिधर भी शहर में जाइए जिस रास्ते से वह पानी निकलता है वहां दुर्गन्ध फैलती है। इसके साथ ही साथ जहां-जहां पानी का जमाव होता है वहां पानी के निकास की तमाम योजनायें बनाने की बात कही गयी है यहां तक कि रेलवे से जमीन भी डिमांड कर वहां के लोगों ने एक्वायर की और धर्मशाला बाजार से पानी निकाल कर राप्ती नदी में गिराने के लिए जो नाला बनाया जा रहा है वह अधूरे का अधूरा रह गया। जब बरसात होती है तो पम्पिंग सेट्स लगाए जाते हैं गन्दे पानी को निकालने के लिए, हर साल यही होता है और नतीजा यह होता है कि गन्दा पानी जगह-जगह जमा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं और तरह-तरह की बीमारियां शहर में फैलती हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

दूसरी चीज यह है कि गोरखपुर में जब हमारे भूतपूर्व उप मन्त्री महोदय स्वायत्त शासन तशरीफ ले गए थे तो उनसे दो-तीन प्रतिनिधि मन्डल मिले थे। एक तो धोबियों का प्रतिनिधि मन्डल मिला था जिस ने निवेदन किया था कि गोरखपुर नगरपालिका के अन्तर्गत कहीं भी कोई धोबी घाट की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि मन्डल ने निवेदन किया था जो कुछ, उसका कोई फल नहीं निकला। उसके साथ-साथ वहां के नागरिकों ने वहां के रहने वाले लोगों ने यह भी शासन से निवेदन किया कि गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है, जो एक झील की शक्ल में है उसके चारों तरफ कुछ पैसा खर्च करके पार्क बनाया जाय और उसको पिकनिक का प्लेस बनाया जाय क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजर प्लान्ट होने से एन0 ई0

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

आर0 का हेडक्वार्टर होने से, गोरखनाथ जी का मन्दिर होने और साथ ही में नजदीक में कुशीनगर होने से तथा नैपाल के साथ लगे होने से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है और गोरखपुर का विशेष स्थान है और बहुत से विदेशी पर्यटक भी वहां आते है। हमने एक सुझाव रखा था कि रामगढ़ ताल का विकास किया जाय और उसके चारों तरफ पार्क बने और उसमें छोटी-छोटी नावें रख दी जायं जिससे आमदनी भी हो सकती है और साथ ही साथ यह जो पानी जमा रहता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं और तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन इसको नहीं किया गया।

इसके साथ-साथ वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। वहां पर जो कब्रिस्तान है जिसमें बहुत सी कब्रें जीर्णशीर्ण हो गई हैं उनकी मरम्मत करने के लिये भी एक प्रतिनिधि मण्डल मिल चुका है कि इनकी चहारदीवारी की जाय और एक नया कब्रिस्तान एलाट किया जाय लेकिन इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया गया है।

इसके साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण समस्या है जो बड़े-बड़े गांव हैं या कस्बे हैं उनका विकास नहीं हो रहा है। वह टाउन एरिया के अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं। जैसे गोरखपुर में बांसगांव है जो तहसील भी है उसकी आबादी 10 हजार से ऊपर है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

फिर भी वह टाउन एरिया नहीं हो सका है। इसी प्रकार सहजनवां है जो तीन गांव सभाओं में विभक्त है। उसे भी टाउन एरिया कर दिया जाय तो वहां पर जो पेयजल की समस्या है वह हल हो सकती है। उसमें सुधार हो सकता है लेकिन उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 5 हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव सभायें हैं उनको टाउन एरियाज के अन्तर्गत लाया जाय जिससे कि वहां पर विकास हो सके। तो यह प्रचार किया जाता है कि गांवों के विकास के लिए धन अधिक खर्च किया जाएगा और उनका अच्छी तरह से विकास किया जाएगा यह सब चीजें अभी तक नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती सुवदा मिश्रा (जिला इटावा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे स्वायत्त शासन विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन में अच्छा काम हुआ है। लेकिन कुछ समस्यायें हैं और कुछ त्रुटियां भी हैं जिनकी वजह से जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है।

इसके पहले कि मैं अपने सुझाव आपके सामने रखूं हम बधाई देते हैं सरकार को, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि धनाभाव होने के बावजूद दिनांक 1 जनवरी 1972 से कर्मचारियों का पैसा जो है उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है परन्तु उसमें भी एक कमी रह गई है। अभी तक उनका वेतन जो है उसका भुगतान नहीं किया गया है उसका नतीजा यह है कि सफाई संघ के जो मजदूर हैं वह इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पेमेन्ट नहीं किया गया है। तो उसका भुगतान अवश्य होना चाहिए। मन्त्री जी ने कहा कि उनको 10 करोड़ रुपए की राशि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलने वाली थी वह नहीं मिली इसलिए देर हो रही है। लेकिन कहीं से भी हो उस धन को लाया जाय और उनका भुगतान करना है।

दूसरी बात यह है कि जो स्लम क्लीयरेंस का काम है जो स्वायत्त शासन ने किया है वह एक अच्छी दिशा में कदम है, लेकिन वहां पर भी धन की कमी है जिसके कारण मुझे आशा कम है कि स्लम क्लीयरेंस का काम नगरपालिकाओं द्वारा यह करवा सकेंगे।

एक सबसे बड़ा प्रश्न जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वह यह है कि सन् 1961-62 में जो जिला परिषद् अधिनियम बना उसके अन्तर्गत जो जिला परिषदें बनी हैं उसमें यह है कि नगरपालिका का अध्यक्ष जिला परिषद् का पदेन सदस्य होगा। अब यह है गांवों की बहुत सी आक्ट्राई, चुंगी लगती है और भी जितना धन है वहां से जमा होता है, लेकिन जिला परिषद् का अध्यक्ष नगरपालिका का पदेन सदस्य नहीं होता है। इसके कारण जो गांव की जनता है, उसका जो रिप्रजेन्टेशन है, उसे जो कोई बात कहनी होती है, वह नगरपालिका में नहीं पहुंच पाती है, जबकि उनको कर लगाने का अधिकार है। मालवीय जी ने मिस्टर ऐडमण्ड बर्क के कथन---नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रजेन्टेशन का यहां उल्लेख किया। मैं भी उसका उल्लेख करना चाहती हूं, लेकिन दूसरे सन्दर्भ में और यह कहना चाहती हूं कि जब तक आप अध्यक्ष को नगरपालिका का पदेन सदस्य नहीं बनाते हैं, उनको टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसी के सम्बन्ध में दूसरा प्वाइन्ट यह है जो संसद सदस्य और विधान सभा के जो शहर के सदस्य हैं, वे भी नगरपालिका के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। यहां पर हम सरकार से लड़ते हैं कि शहर में यह काम नहीं होता है, वह काम नहीं होता है और हमको इस उद्देश्य के लिए पैसा दिया जाए, लेकिन जब उनको यहां से उसके लिए धन दे दिया जाता है, तो उससे वह काम हुआ है या नहीं, यह हमें अध्यक्ष से पूछने का अधिकार नहीं है। यह पूछने का हमें कोई मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए नगरपालिकाओं का, संसद सदस्यों, विधान सभा के शहरी सदस्यों और जिला परिषद् के अध्यक्ष को, पदेन सदस्य अवश्य बनाना चाहिए। जिस तरह से आप इसे कर सकें, करें।

दूसरी बात यह है कि यह सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है, जो आप डाइरेक्ट एलेक्शन यहां ला रहे हैं। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि सरकार ने इस बात का फैसला लिया है। एक-एक नगरपालिका में अध्यक्ष होने के लिए अध्यक्ष लोग 40-40 और 50-50 हजार रुपया खर्च करते हैं, जबकि उनको न कोई तनख्वाह मिलती है और न कोई टी0 ए0, डी0 ए0 मिलता है। यह अच्छी बात है और इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं।

तीसरी बात, जो उन्होंने कहा है कि विभाग के डाइरेक्टर साहब सारी जगहों का दौरा करेंगे और उसके बारे में पता करेंगे कि कहां-कहां किस चीज की जरूरत है, यह भी बहुत अच्छी बात है। यह सुझाव पार्टी मीटिंग में भी मैंने मन्त्री जी के सामने रखा था। अब स्वयं ही उन्होंने यह बात कर दी है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। जब मन्त्री जी इस बात को कहते हैं, तो समय ही बताता है कि कब वह दौरा करेंगे, कब रिपोर्ट देंगे और कब तक उन पर फैसला होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगी, जैसा मालवीय जी ने बताया 36-37 नगरपालिकाओं में ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, अतः केवल थोड़ी नगरपालिकाओं का ही आपके डाइरेक्टर को दौरा करना होगा। वह उसे अवश्य कर लें। इसके अतिरिक्त बहुत सी फाइलें आपके दफ्तर में हैं, जिनकी शिकायतें आ चुकी हैं, उनके दौरे के समय आप उनसे फर्दर इन्क्वायरी करा लें, लेकिन जिनके खिलाफ मामला तैयार हो गया है, कमिश्नर साहब ने और डी0 एम0 साहब ने रिकमेन्ड कर दिया है, उसमें ज्यादा देखने की बात नहीं है, आप उनमें जल्दी से जल्दी फैसला कर लें। जो भी सजा दी जा सकती है, दे दें। (लाल बत्ती जलने पर) अभी हमें थोड़ा समय और दे दें। वूमेन इन्टरनेशनल इयर की वजह से थोड़ा एक्सट्रा समय, दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

बहुत सारे मेम्बरों को बोलना है, इसलिये दिक्कत होगी। जल्दी खत्म करें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

अब मैं अपने जिले इटावा के बारे में यह कहना चाहूंगी कि पिछली विधान सभा में मुख्य मन्त्री जी की तरफ से स्वामी प्रसाद जी एक सवाल का उत्तर दे रहे थे, उसमें उन्होंने यह कहा था कि अध्यक्ष के खिलाफ जो चार्जेज हैं, उस पर हम शीघ्र से शीघ्र मुकदमा चलायेंगे। लेकिन जैसा मुझे पता चला है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उस फाइल को मंगाकर देख लें और यदि कोई कार्यवाही हो सकती हो, तो अवश्य कर लें। दूसरी चीज इटावा के बारे में कहना चाहूंगी। शायद आपको इस बात का ज्ञान भी हो कि कांग्रेस का जन्म इटावा में हुआ था। जहां पर कांग्रेस का जन्म हुआ, जहां पर गांधी जी ने सफाई अभियान शुरू किया, सफाई का कर्तव्य नगरपालिका का है, वहां पर जब से कांग्रेस ने जन्म लिया होगा और आज कांग्रेस सरकार होने के बावजूद वहां पर कोई काम नहीं हुआ है नगरपालिका में। यह भी बताना चाहूंगी और कल भी बताया था कि इटावा पांच गन्दे नालों पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यही शहर होगा जो नालों पर बसा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

शान्ति बनाए रखें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि जहां पर इतनी गन्दगी है, बरसात में इतना पानी भरता है, वहां पर सफाई अभियान चल ही नहीं सकता है। मुझे ऐसी आशा नहीं है कि वह सफल हो सकेगा। इटावा में सफाई अभियान नहीं हुआ। लोग जहां जन्म लेते हैं, वहां स्मारक बनवाते हैं। कांग्रेस ने जहां जन्म लिया है वहां कम से कम सफाई करवा दे तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन करती हूं।

*श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान.....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य बातें कम करें। शान्ति बनाए रखें।

श्री जमुना प्रसाद बोस---

दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग की एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेय जल योजना बुन्देलखंड में बांदा जनपद में है। वह योजना तीन करोड़ की है। पिछले वर्ष इसी विधान सभा के जो स्वायत्त शासन मन्त्री थे उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेय जल योजना है। इसके द्वारा बांदा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 3 सौ गांवों को पानी मिलेगा। मैंने कहा कि तीन गांव में अगर पानी दिया जा रहा हो तो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी उस समय मुख्य मन्त्री थे, क्या इस्तीफा देंगे? वहां पर न आज तक मुख्य मन्त्री पहुंचे, न मन्त्री पहुंचे और न स्वायत्त शासन विभाग के दूसरे अधिकारी अभियन्ता जो हैं, वह पहुंचे। मेरा कहना यह है कि उनको वहां जाना चाहिए। तीन करोड़ में डेढ़ करोड़ रुपया वहां के अधिकारी खा चुके हैं। क्या स्वायत्त शासन मन्त्री उन अधिकारियों को निलम्बित कर सकेंगे, दन्डित कर सकेंगे, बरखास्त कर सकेंगे अगर हमारा आरोप सही है। एशिया की इतनी बड़ी ग्रामीण पेय जल योजना बिलकुल शून्य के बराबर हो चुकी है। और क्या स्वायत्त शासन मन्त्री चूंकि उनका विभाग पूर्णतया इसमें असफल हुआ है इसलिये इस्तीफा देंगे? बांदा के उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए जहां पर उन्होंने तीन करोड़ की लागत से योजना बनायी। बांदा शहर के आस-पास एक दो मील के अन्दर जो गांव हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर पीने का पानी नहीं है। वहां पर स्त्रियां-पुरुष रात भर कुएं पर लाइन लगाए रहते हैं। जब जाकर कीचड़ मिला पानी मिलता है। शहर के बिलकुल नजदीक एक दो-मील पर खैराला गांव, इटरा गांव, ऐसे स्थान हैं। सात- आठ मील दूर नगर से गांव हैं। आज 27 सालों के स्वराज्य के बावजूद वहां की स्त्रियां दो मील पैदल चल कर सिर पर मटका रख कर पानी ले कर आती हैं। आज भी नगर के आस-पास यह हालत है। क्या यह शर्म की बात नहीं है ? कि इसमें आवास की चीज है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अल्पवेतन भोगी हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए सरकार मकानों की व्यवस्था कर रही है। क्या सरकार के सामने बुन्देल खंड नहीं है। बुन्देलखंड में झांसी अकेला ही नहीं है बल्कि बांदा, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन जिले भी हैं। जो 5-6 योजनायें हैं उनमें से एक भी योजना चाहे सहकारिता की हो, मध्यम वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, बुन्देलखंड में एक में भी लागू नहीं की गई है।

दूसरी ओर गांधी शताब्दी मनाई गई थी। उसमें कहा गया था कि नगर में कोई भी भंगी ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर मैले की डलिया रहे। लेकिन बांदा, कर्वी, अतर्रा आदि नगरपालिकाओं में भंगी हैं जो अपने सिर पर मैले की डलिया लिए घूमते हैं। एक ओर शासन कहता है कि हम इनकी काया कल्प करना चाहते हैं, हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं दूसरी ओर जो समाज का गिरा हुआ तबका है उसके लिए आपने क्या किया है ? क्या यह देश के लिए कलंक की बात नहीं है कि आज हमारे देश की मातायें और बहू-बेटियां अपने सिर पर मैले की डलियां लेकर चलें।

इसके अलावा मैं देखता हूं कि जो स्कूल में सड़कें हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है कर्वी में ऐसे स्कूल हैं जहां बरसात में पानी टपकता है और बच्चे भयभीत रहते हैं कि कहीं स्कूल की इमारत गिर न पड़े। पानी टपकता रहता है और बच्चे किसी तरह से बैठे रहते हैं। पिछले साल जिला बांदा के स्कूलों में जो नल की व्यवस्था थी उसके कनेक्शन गर्मियों में नगरपालिकाओं ने काट दिए थे। मास्टर तो बच्चों से पानी मंगा कर पी लेता है। लेकिन लड़कों को पानी पीने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। इस तरह से बच्चों के स्कूलों के पीने के पानी के नल के कनेक्शन काट दिए जायं और शासन कुछ व्यवस्था न कर सके यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। मैं मन्त्री जी प्रार्थना करूंगा कि हमने जो कहा है कि उसकी ओर ध्यान दें ? पाठा जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है उसको देखने की कृपा करें। इससे तीन गांवों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है तो मन्त्री इस्तीफा दें और इन्जीनियरों को बर्खास्त करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो स्वायत्त शासन के अनुदानों के लिए सदन में मांग प्रस्तुत की है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विभाग के बारे में मुझे स्वयं भी बड़ी दिलचस्पी है। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। स्वराज्य की लड़ाई के पूर्व जो कल्पना की गई थी उसका आधार यही स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं थीं। हमारे मन्त्री जी बड़े अनुभवी और योग्य हैं। पिछले कई वर्षों से आवास तथा विकास परिषद् के चेयरमैन की हैसियत से बड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ इस प्रदेश के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है चूंकि आज उनके नेतृत्व में यह विभाग चल रहा है अतः मुझे आशा है कि गांधी जी ने तथा देश के अन्य स्वन्त्रतासेनानियों ने जो स्थानीय स्वराज की कल्पना की थी उसको साकार रूप देने में वह अपना पूरा सहयोग देंगे। किस प्रकार से हम नागरिक जीवन को सुसंगठित और सुन्दर बना सकते हैं।इसका सामूहिक रूप से सुझाव और समर्थन होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन तथा हमारा नागरिक जीवन अच्छा बने, इसके लिए हम लोगों को इस दिशा में कार्य करना है।

[श्री धर्मवीर]

मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया आदि आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर पांच महापालिकायें हैं, उन के माध्यम से इन पांचों बड़े नगरों का विकास चल रहा है। वहां पर जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है। परन्तु आज वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन महापालिकाओं, टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटीज को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की कृपा करें। जब तक इन संस्थाओं को अनुदान नहीं मिलता तब तक उसके अधीन सड़कों, शौचालयों, नालियों, प्रकाश आदि की कोई विकास कार्य नहीं हो पाता है इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार से टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज को वह आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था करें। जब तक हम इनको स्वावलम्बी नहीं बनायेंगे तब तक हम गांव के अन्दर डेवलपमेन्ट नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी एक ऐसे परिवार से सम्बन्धित हैं और सुसंस्कृत भी हैं और साथ ही साथ एक धार्मिक विचार के भी व्यक्ति हैं। उनसे आग्रह है कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी चीज है गंगा नदी। जब मैं कानपुर जाता हूं लखनऊ से तो मन के अन्दर भावना उठती है कि गंगा जी में स्नान करूं, लेकिन वहां पर जब गन्दा पानी नाले के द्वारा उसमें मिला उसे देखता हूं तो भावना बदल जाती है। माननीय मन्त्री जी अगर गंगा की पवित्रता को कायम करने के लिए उस गन्दे नाले को गंगा जी में न छोड़ा जाय तो यह बहुत बड़ा काम होगा। मैं यह धार्मिक भावना के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा काम हो जायेगा। आपने एक आदेश 3 अप्रैल, को जारी किया था, सफाई अभियान के लिए। सफाई कर्मचारी आज भी सरों पर लाद-लाद कर हाथ से मैला फेंका करते हैं। यह कितना अमानवीय कार्य है, जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वह देखने में यह कार्य, अमानवीय न मालूम हो। उनको जाड़ा गर्मी के लिए वर्दी की व्यवस्था की जाय। यह तो अभियान आपने छेड़ा है यह अभियान इन सब कारणों से पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक कि इनके दुख दर्दों की उपयुक्त व्यवस्था नहीं करते। मान्यवर, इलाहाबाद जाते समय इधर से जैसे ही गंगा का पुल आप क्रास करेंगे, मनफोर्ड-गंज के पहले, वहां पर ये सफाई के कर्मचारियों के क्वार्टर गन्दे नाले पर बने हैं जहां वे मजदूर लोग रहते हैं, उनको शहर में रहने के लिए जगह भी नहीं है जहां पर वह रह सकें। मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में एक बात और कहना चाहता हूं सिविल लाइन्स, इलाहाबाद की लीज के बारे जहां बड़े-बड़े लोगों ने तमाम जगह घेर रखी है, लेकिन वहां के सफाई मजदूरों व अन्य गरीबों को रहने की कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन सफाई मजदूरों को तथा अन्य गरीबों को जो वहीं आबाद हैं, उन्हें जमीन देने में प्राथमिकता दी जाए।

एरोड्रम बमरौली से जी0टी0रोड पर इलाहाबाद नगरमहापालिका का वार्ड नं0 15 है। जब कोई वी0आई0पी0 आता है तो उस सड़क की खूब सफाई करायी जाती है लेकिन बाद में सड़क पर गन्दा पानी भरा रहता है। वहां पर नालियां तक नहीं हैं। शौचालय नहीं है, मूत्रालय नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी व्यवस्था की जाए। यहां पर पार्क भी नहीं है, मन्त्री जी से निवेदन है कि सलेम सराय में एक पार्क की भी व्यवस्था की जाए

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री धर्मवीर--

मेरे चुनाव क्षेत्र मंझनपुर तहसील में करारी एक स्थान है। पिछले कई वर्षों से इसको टाउन एरिया घोषित कर दिए जाने की योजना चल रही है, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया गया है। यहां जो आबादी लगभग 10 हजार है। इसके अलावा पश्चिम सरीरा एक स्थान है इसको भी टाउन एरिया घोषित करने की योजना है लेकिन अभी तक

घोषित नहीं किया गया है, मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इसको भी टाउन एरिया घोषित किया जाए साथ ही साथ यहां पर भी ग्रामीण पेय जल योजना प्रारम्भ की जाय। इन शब्दों के साथ आप के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के इन 27 वर्षों के बाद भी आज जिस तरह पंजीपतियों और सामन्तशाहों की हकूमत है उसी तरह से स्वायत्तशासी संस्थाओं में जो व्यवस्था है वह गरीबों की दुश्मन रही है और उन्होंने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं, आपक माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं पर भी आप देखें आपको गन्दगी का ही वातावरण दिखाई पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं लखनऊ की ही बात बताता हूं। दारुल शफा के बगल में एक सड़क है जहां पर धोबी लोगों की आबादी है वहां पर नाली है। मैंने देखा है कि उनकी वहां पर बारात आयी थी। तो भी वह उसी नाले के किनारे रुकी और खाना भी वहीं नाले के किनारे बनाया जा रहा था। तो हालत यह है।

मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे लखनऊ हो या कानपुर हो पानी की व्यवस्था अवश्य करायी जाए। गन्दी नालियां हैं, शौचालय नहीं हैं और न प्रकाश की ही व्यवस्था है। शहरों में हमने देखा कि हमारी माताओं और बहनों के लिए सुबह शौच के लिए कोई स्थान नहीं है कि वह कहां बैठें। उनको शरीर छिपाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पर गरीब बस्तियां है वहां पर आप सफाई की व्यवस्था करें और उसकी योजना बनावें।

शहरों में दो प्रकार के गरीब लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो जूते बनाने का काम करते हैं और दूसरे भंगी लोग हैं। जो अपने हाथ से पाखाना उठाते हैं। मानव मानव में अन्तर मिटे इसके लिए वे राष्ट्र पिता, महात्मा गांधी, भंगियों की बस्ती में रहते थे। उन्होंने अपने आश्रम में नियम बना रखा था कि हर आदमी अपना पाखाना अपने हाथ से उठाएगा जिस राष्ट्रपिता का यह लक्ष्य हो उसके नाम की दुहाई देने वाले, उनके नाम के गीत गाने वाले ऐसे लोगों के बारे में, आप क्या कहते हैं? आप लोग चाहे कितनी भी इन लोगों के प्रति आस्था दिखायें, लेकिन जो आपके कर्म हैं, वे आपके विचारों के अनुरूप नहीं हैं। आज जो हमारे भंगी भाई हैं, या जो मोची लोग हैं, चाहे वे कानपुर में रहते हों, या आगरा में रहते हों, सब के घर में फाका कशी रहती है। आज इन दोनों तबकों के लोग जमीन के लिए मोहताज है और किस प्रकार से गन्दे स्थानों पर सुअर पड़े रहते हैं; उसी प्रकार से आज ये लोग निवास कर रहे हैं। आप आवास विकास परिषद् की योजनायें बना रहे हैं। आपकी नजर उनकी ओर जब जायेंगी ही नहीं तो कैसे आप उनके लिए मकान सुलभ करा सकते हैं। जब वे रोटी के मुहताज हैं तो कैसे 4 हजार या 10 हजार रुपए में एक विस्वा जमीन खरीद सकते हैं।

इस सिलसिले में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आजमगढ़ जिले में मुहमदाबाद टाउन एरिया की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक पेय जल की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी लेकिन आज तक भी वहां पर ऋण नहीं मिल सका है। मेरी प्रार्थना है कि इस कार्य को कराने के लिए मन्त्री जी शीघ्र कार्यवाही करें। आजमगढ़ जिले में खैराबाद को टाउन एरिया बनाने के लिए लगभग एक साल से प्रोपोजल सरकार के यहां पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी स्वीकृति शासन ने भी अभी तक नहीं दी है। जब हमारे वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री आवास विकास परिषद् के अध्यक्ष थे तो आजमगढ़ जिले में एक योजना ली गई थी। उस जिले में एक शिवली मौजा शहर में है जिसमें 20-25 हरिजनों के मकान है और -4-5 घर फकीरों के है। उन गरीबों की जमीन ले ली गई। अगर

[श्री शिव प्रसाद]

इस प्रकार से आवास विकास परिषद् की योजनायें बनेंगी तो गरीब आदमियों की जमीन ले ली जाएगी और कहेंगे कि हम आवास विकास परिषद् की योजना बना कर नगरों को बढ़ा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मन्त्री जी इसको देखें। उन लोगों ने अपना एतराज भेज दिया है। वे लोग हरिजन और फकीर हैं। आज बड़े-बड़े लोगों की ओर आपकी निगाह नहीं जाती है कि उनकी जमीन पर आप कब्जा करें। गरीबों की जमीन को लेकर आपकी आवास विकास परिषद् मकान बनवाकर बड़े-बड़े लोगों को दे देगा, यह अन्याय है।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं स्वायत्त शासन विभाग के जो अनुदान रक्खे गए हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन पहले से ही माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से माफी मांगूंगा क्योंकि बड़े कटु सत्य से उन्हें अवगत करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

उससे इन्कार कौन करता है लेकिन कटु शब्दों का इस्तेमाल न हो?

श्री श्याम मिश्रा---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो पांच कमाल टाउन्स हैं, उनकी जो नगर महापालिकायें हैं उनमें से 4 में माननीय मन्त्री जी का शासन है और कानपुर महापालिका में चौधरी चरण सिंह का शासन है। इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लें। कानपुर में जो एक उप नगर अधिकारी श्री रमा रत्न शुक्ल हैं और एक इन्जीनियर श्री आर0 पी0 आर्य हैं और एक गैर सरकारी वह हैं जो भूतपूर्व बी0 के0 डी0 के विधायक श्री मनोहर लाल हैं जिन्हें मैं हरा कर आया हूं। इन तीनों का एक त्रिगुट है। इस त्रिगुट ने पूरे कानपुर में लाखों रुपए की जमीन हड़प ली है। यह एक भट्ठा चलाते हैं। उस भट्ठे की ईंट बनती है और फर्जी नाम से ये लोग ठेका लेते हैं और खुद ठेकेदारी करके लाखों रुपए कमाते हैं। कानपुर की जनता ने पिछले निर्वाचन में एक अपराध यह कर दिया कि बी0 के0 डी0 को एक भी सीट जिता कर नहीं दी। इस अपराध की सजा कानपुर के 18 लाख नागरिकों को इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने कांग्रेस को विजयी क्यों बनाया? अब सजा दी कैसे जा रही है। सीवर बन्द पड़े हैं, शहर के अधिकांश भाग और लैट्रिन पाट से लैट्रिन निकल कर आंगन में बह रहा है लेकिन उसकी सफाई करने का कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। ("शेम-शेम" की विरोधी पक्ष से आवाजें)। वहां पर तो चौधरी चरण सिंह की सरकार है। मैंने जिन अधिकारियों का लिया है वे चौधरी साहब की कुंडली और हस्तरेखा देखते हैं और चौधरी साहब उनके घर जा कर मुख्य मन्त्री बनने के लिए हवन करते हैं। खाहजनी हो रही है, डकैती हो रही है मगर स्ट्रीट लाइट में एक बल्ब नहीं लगता है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

बड़े शर्म की बात है।

श्री श्याम मिश्रा---

शर्म की बात आपके लिए है लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए है। कानपुर में कूड़ा उठाने का काम दिया गया है। चौधरी साहब के लाड़ले श्री रामरतन शुक्ल को। सम्पूर्ण कानपुर में कूड़ा भरा पड़ा है। ताज्जुब सिर्फ इतना है कि इनका एक बार स्थानान्तरण किया गया। आठ महीने तक यह चक्कर काटते रहे और फिर कानपुर पहुंच गए। ओ0 पी0 आर्य, इन्जीनियर आज तक कानपुर से हटाए नहीं गए और मुख्य नगराधिकारी माननीय मन्त्री जी ने पी0 एन0 कौल को ऐसा भेजा है जो आई0 ए0 एस0 कैडर के लिए नमूना है। वह जिस पद पर रहे आज तक किसी समस्या का हल कर ही नहीं सके। जिस समस्या को लेकर हम लोग जाते हैं वह हल नहीं की जाती उप मुख्य नगर अधिकारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि 5 वर्ष

की उम्र से देश का कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी गोद में बैठकर मैं न खेला हू। भला बताइए, इससे हमारा क्या लाभ ? (व्यवधान) आपकी गोद में बैठ कर वह नहीं खेले हैं और आप कोई बड़े नेता भी नहीं हैं। कानपुर की जनता अगर टैक्स नहीं देती है तो आप कुर्की व नीलामी कराते हैं और जब सफाई मांगती है तो कूड़ा देते है, रोशनी की जगह अन्धेरा देते हैं। इन परिस्थितियों में कानपुर, माननीय मन्त्री जी, चल रहा है। अगर आपने कानपुर नगर महापालिका में चौधरी चरण सिंह की हुकूमत को न तोड़ा तो हम तिरंगा झंडा ले कर जनता के हित में सिविल एमेनिटीज के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे, हम मानेंगे नहीं। कानपुर की नगर महापालिका पर हमेशा पूंजीपतियों का अधिकार रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

सुनिये, आप बोलने दीजिए। दो मिनट आपके और हैं।

श्री श्याम मिश्रा––

और इसका कारण रहा है इनडायरेक्ट मेयर का जो एलेक्शन होता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी कहूंगा कि जनता के सही नुमाइन्दे का चुनाव मेयर के पद पर हो इसके लिए मेयर का एलेक्शन डायरेक्ट कराया जाय। मेरा दूसरा सजेशन यह है कि जिस भी अधिकारी का कार्यकाल कानपुर नगर महापालिक में तीन वर्ष से अधिक हो गया हो उसका स्थानान्तरण अवश्य किया जाय। यहीं यह भी मन्त्री जी को बता दूं कि उपनगर अधिकारी को एसेसमेंट कार्य भी दे दिया गया है और वह बदले की भावना से जनता पर अनापशनाप टैक्स लगा रहा है। चुंगी की दर भी अत्यधिक बढ़ायी जा रही है। अगर आप अपने विभाग में इन लोगों को पुश एन्ड पुल चलने देंगे तो हमें फिर मजबूर होकर इन्हें न चलने देने के लिए प्रयास करना पड़ेगा जिस प्रकार हम विवश हैं बजट का समर्थन करने के लिए उसी प्रकार हम विवश हैं जन हित में सत्य से आपको अवगत कराने के लिए। यही मुझे कहना है।

*श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)––

मैं माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं सभी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं को जनतन्त्र की प्रारम्भिक इकाई के रूप में महत्व दिया है और यह भी कहा है कि जो भी प्रमुख नेता हुए हैं सभी ने करीब-करीब अपना संसदीय जीवन नगरपालिकाओं से ही प्रारम्भ किया है, परन्तु खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, जो 1916 में अंग्रेजी शासन काल में बना था, जिसमें अब तक करीब 42 संशोधन भी हो चुके हैं, पर इस सब के बावजूद आज तक नगरपालिकाओं को सही रूप में स्वायत्तशासी संस्थायें बनाने के लिए जो संशोधन आना चाहिये था वह नहीं आया मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान नगरपालिका अधिनियम की धारा 32, 33 व 34 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें जनता की किस्मत प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी, स्टेट गवर्नमेन्ट तथा जिलाधीश के हाथों में बन्धी हुई है। ये तीनों शक्तियां नगरपालिकाओं को सदा नचाती रही हैं। मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री जी ने इन स्वायत्तशासी संस्थाओं का सही स्वरूप निखारने के लिए इन धाराओं में आवश्यक संशोधन लाने की बात नहीं कही है।

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि विधेयक जो प्रवर समिति के सामने है वहां मेयर की चुनाव की प्रक्रिया आदि पर भी विचार किया जाएगा। नगरपालिकाओं के चुनाव को सालों से एक न एक बहाने बताकर टाला जाता रहा है। जहां तक अध्यक्षों के डाएरेक्ट एलेक्शन की बात है, 1955 के पहले इसी की प्रथा थी। इसके द्वारा यह होता था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश कुमार]

कभी-कभी अध्यक्ष किसी एक दल का चुन कर आ जाता था और नगरपालिका में बहुमत किसी अन्य दल का हो जाता था। इस कारण पूरे कार्य-काल तक आपस में संघर्ष चलता रहता था और उसका बुरा परिणाम जनता को भुगतना पड़ता था। गोरखपुर की नगरपालिका इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां के श्री लक्ष्मी शंकर वर्मा, हिन्दू महासभा, अध्यक्ष चुन कर आ गए थे और वहां पर बहुमत दूसरे दल वालों का हो गया था उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह समझ कर कि डाइरेक्ट इलेक्शन का प्राविधान ठीक नहीं है, ऐसा संशोधन लाया गया है और इनडाइरेक्ट इलेक्शन का प्राविधान किया गया है। उसका भी परिणाम देखा गया अब फिर जो विधेयक लाया गया है उसमें यह संशोधन लाया जा रहा है कि नगरपालिकाओं में भी डाइरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्रायल एन्ड एरर कब तक चलता रहेगा। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली की दौड़ कब समाप्त होगी। कई बार संशोधन करने के बाद और इतने चुनाव कराने के बाद भी सबक नहीं मिला? मैं समझता हूं कि यह इनडाइरेक्ट इलेक्शन नगरपालिकाओं के लिए उचित व्यवस्था है। क्योंकि अगर डाइरेक्ट इलेक्शन हुआ तो इस बात का भय है कि अध्यक्ष किसी दूसरे दल का होगा और बहुमत किसी और का होगा और नगरपालिकायें सुचारु रूप से काम नहीं कर सकेंगी।

यह कहा गया है कि अगर इनडाइरेक्ट इलेक्शन हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। क्या डाइरेक्ट इलेक्शन में खर्चा नहीं होगा? सब चुनाव लड़ेंगे तो खर्चा तो होगा ही। इसलिए इस बात को देखना होगा कि नगरपालिकाओं का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकेगा अगर उसमें विभिन्न मतों के लोग आ गए हों।

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से पानी की व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहता हूं। आज लगभग सभी नगरपालिकाओं और महापालिकाओं में पानी का घोर संकट है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 228 में यह प्राविधान है कि नगरपालिकायें पानी के प्रेशर को कायम रखें। अगर उचित चाप न कायम रखी जाय तो नगरपालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वह वाटर टैक्स वसूल कर सके। लेकिन आज हमारे गोरखपुर में जबरिया वाटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे। पानी के कनेक्शन का काटा जाना अमानुषिक है, इसे बन्द किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह कहा है कि पानी का कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है लेकिन फिर भी गोरखपुर में पानी के कनेक्शन का काटा जाना जारी है। क्या माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे? अन्त में मैं नगरपालिकाओं की एक समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे गोरखपुर में ड्रेनेज की समस्या बड़ी गम्भीर है। वहां पर राप्ती नदी के जल स्तर से उसका लेविल नीचे रहता है। जब भी बरसात का मौसम होता है पानी से आधा शहर डूब जाता है। जल निकासी की व्यवस्था चल रही थी लेकिन अब वह ठप्प है। अन्तिम बात मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में धोबी घाट की बड़ी समस्या है। पिछले वर्ष भी कहा गया कि धोबी घाट का प्राविधान किया जाएगा। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य-मुख्य नगरों में धोबी घाट की व्यवस्था की जाय क्योंकि आज कल सारी नदियों का जल दूषित रहता है जिसमें कपड़ा धोने से वह पहनने के लायक नहीं रहता। इसलिए धोबी घाट की व्यवस्था अवश्य की जाय। इन शब्दों के साथ मैं मालवीय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मालवीय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करने के लिए। मान्यवर, आज नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज के सामने जो भी कठिनाइयां हैं उनके बारे में हमारे माननीय मन्त्री जी को बहुत काफी तजुर्बा

है। उन्होंने इनको बहुत पास से देखा है और इसलिए मैं आशा करूंगा कि नगर पालिकाओं की आज जो बिगड़ी हुई हालत है इनके कार्यकाल में उनका बहुत अच्छे ढंग से विकास होगा। वैसे तो बहुत सी नगरपालिकायें हैं जैसे---गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा अन्य नगरों में भी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था बनाने की योजना है लेकिन हमारे हाथरस में भी बहुत सारी खाली भूमि पड़ी है और वह भी आसानी से मिल सकती है। वहां पर गरीब मजदूरों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अन्य किस्म के लोगों के रहने के लिए मकान नहीं हैं। इस स्कीम को वहां भी लाया जाय तो उससे वहां लोगों के लिए मकान की बड़ी भारी व्यवस्था हो सकती है और इससे वहां की जनता का भी बहुत बड़ा हित होगा। नगरपालिकाओं की गिरती हुई आर्थिक दशा के विषय में वहां विकास नहीं हो पाया है। तो मान्यवर, इस बात के लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक मन्डी समिति होती है। उसके पास रुपया होता है। तो मेरा कहना है कि मान्यवर, कुछ साधन जुटने के लिए मन्डी समिति का जो रुपया है उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाय ताकि नगरपालिकायें अपना इन्तजाम कर सकें। उनको शहर की सफाई, रोशनी, बिजली और तमाम चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन वह यह व्यवस्था करने में असफल हैं क्योंकि उनके पास इतनी इन्कम नहीं है जिससे वह पूरे साधन जुटा सकें। तो मान्यवर, यह जो मन्डी समितियां होतीं हैं नगरपालिकाओं की सीमा में काफी रुपयों की इनकम होतीं हैं। तो नगर पालिकाओं के विकास के लिए इस रुपए का कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को दिया जाय, इस तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, हाथरस नगरपालिका के सम्बन्ध में कुछ तथ्य आप के माध्यम से मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हाथरस नगरपालिका है उसका एक सीवेज फार्म है। वहां पर हमेशा एक साल के लिए इसकी नीलामी होती है। लेकिन भूतपूर्व चेयरमैन ने उसको 3 साल के लिए नीलाम कर दिया है। कम रुपयों पर कर दिया है। वह एक या डेढ़ लाख रुपयों से अधिक में नीलाम हो सकता है जिससे नगर पालिका के विकास के लिए धन मिल सकता है। दूसरी बात वहां पर एक श्री कृष्ण द्विवेदी है वह नगर पालिका के 10 साल से मेम्बर हैं। अनधिकृत कब्जा करके उन्होंने जमीन को दबा लिया है। उनकी फाइल 3-4 साल से पड़ी है अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर तमाम जमीन भूतपूर्व चेयरमैन ने अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टे पर कर दी है। जिससे नगर पालिका की जमीन का दुरुपयोग हुआ है। मैं इस तरफ भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हाथरस नगरपालिका में एक रेडक्रास का जच्चा-बच्चा अस्पताल है यहां गरीब लोगों से केवल 2 रुपये लेकर उनको सुविधा दी जाती थी। जो गरीब इन्सान है, कम साधन वाले लोग हैं उनके लिए वहां पर जच्चा-बच्चा के लिए सुविधा दी जाती है। लेकिन मान्यवर, बड़ी बुरी दुर्दशा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर रेडक्रास की बिल्डिंग जो है उसको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और उसको चलाने के लिए लाटरी फन्ड से पैसा उसको देना चाहिए। वहां पर 1 डाक्टर और 2 मिडवाइफ हैं। इनकी संख्या में और वृद्धि करनी चाहिए। जिससे 1 लाख की जनसंख्या वाला जो शहर है इसको फायदा होगा। जो गरीब लोग हैं उनको इससे बड़ा आराम मिलेगा।

मान्यवर, जिला अलीगढ़ के अन्दर टाउन एरियाज हैं। टाउन एरियाज में कुछ ऐसी टाउन एरियाज हैं जहां पर मीठे जल की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। लेकिन कुछ टाउन एरियाज ऐसी रह गयी हैं जहां मीठे पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है, अभी तक नहीं बन पायी है। उनको भी इस योजना में लाइए तो अच्छा होगा। अलीगढ़ एक शहर है, बहुत अच्छी जगह है। वहां पर 10 वर्षों से नगरपालिका का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर चुनाव शीघ्र करायें जायं।

मान्यवर, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके 2 मिनट हैं, बोल लें।

श्री धर्मपाल सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिले की दशा को देखें। हाथरस में मुरसान, सासनी, मेडू, विजय नगर, हसायन टाउन एरियाज पर ध्यान नहीं दिया गया है, सड़कों में भारी-भारी गड्ढे हो गए हैं। अस्पताल खुले हुए हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं, दवायें नहीं हैं। टाउन एरिया के अस्पतालों का बुरा हाल है। सरकार को चाहिए कि लाटरी फन्ड से इनकी व्यवस्था करे। ऐसा करने से जो गरीब हैं, मजदूर हैं और जो छोटे-छोटे लोग हैं इन लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जिले की जो टाउन एरियाज हैं, नगरपालिकायें हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं उन पर ध्यान दिया जाय। अनुदान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद अफसोस है कि कल शाम को मैंने इस बात की कोशिश की कि वह कापी मिल जाय ताकि इस सम्बन्ध में सारे आंकड़े मिल जायं लेकिन बदकिस्मती यह रही कि कापी नहीं मिल पायी जिसकी चर्चा सुबह हुयी।

आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें जो शासन के करने के लिए अंग्रेजों से इनाम मिला था उसमें यही विभाग मिला था और उसके कानून वही पुराने हैं लेकिन समय-समय पर कुछ बदलाव हुए हैं। उन्हीं कानूनों का सहारा अब भी लिया जाता है। मान्यवर, मुझे अर्ज करना है कि उसकी पूरी पालिसी जो हमारी सरकार ने लिया है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है योजनाओं में कमी हो सकती है, योजनाओं को पूरा करने में कमी हो सकती है, जैसे टाउन एरिया या नगर पालिकाओं में हुआ है। सरकार जो धन इनको देती है उसका बड़ा हिस्सा दफ्तर से लेकर बड़े-बड़े लोगों की जेबों में चला जाता है। लोकल बाडी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह सफाई, रोशनी या यातायात की व्यवस्था करे। लेकिन सफाई मजदूरों का जब सवाल होता है तो मैं देखता हूं कि छोटा कर्मचारी मेहतर, जिसकी हालत का पता ईद या होली में लगता है। बस्ती में श्री माथुर जी ने आदेश दिया था कि कर्मचारियों को छुट्टी दी जाय लेकिन उन लोगों ने जब छुट्टी मनाई तो उनके वेतन से पैसा काट लिया गया अली जहीर साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन मुकर्रर हुआ था। उसने कहा था कि लोकल बाडी के जितने कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान भत्ता दिए जाय। लेकिन अप्रैल, 1974 के बाद वह भी बन्द कर दिए गए हैं। मुझे अर्ज करना है कि नवीकरण जो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वह लोकल बाडी के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए।

मान्यवर, संसदीय संशोधन कमेटी ने सिफारिश की है कि जो एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 हैं उनको जिला परिषद या टाउन एरिया का मेम्बर भी मान लिया जाय ताकि वह विकास के कामों में हाथ बंटा सकें।

मान्यवर, मुझे अर्ज करना है कि कानपुर में लोकल बाडी का वर्कशाप है उसने 7 हजार रुपया में एक मशीन बना लिया है जो कि पहाड़ तोड़ कर पानी निकाल देती है लेकिन उसको छोड़ दिया गया और बाहर से मशीन मंगायी जाती है जिस पर 75 हजार रुपया खर्च होता है। कानपुर में जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं इनमें तमाम टूट चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरफ मन्त्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, जहां तक टाउन एरिया के आय का सवाल है तो जो सेल्स-टैक्स और इन्टरटेनमेंट टैक्स से वसूल किया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा इनको भी दिया जाय जिससे वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपना प्रबन्ध कर सकें। मान्यवर, जहां तक धोबियों के घाट का सवाल

है तो हर शहर में इसकी समस्या है। इसलिए मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे। मान्यवर, देहातों में जहां पेयजल का सवाल है वहां मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि शहर में जो पानी का इन्तजाम पुराना ही चला आ रहा है लेकिन आप देहातों में गए हैं। मैं चाहूंगा कम से कम पूर्वी इलाके में पानी पीने की जहां-जहां योजनायें बनाई हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपने जिला परिषदों से कहा है कि हम इनको इतना रुपया अनुदान में और इतना सूद पर देंगे तो जो रकम ऋण में देंगे वह बिना सूद के दें ताकि देहात की पेयजल योजनायें लागू हो सकें वर्ना टाउन एरियाज के पास इतना रुपया नहीं है कि वह उसे दे सकें। इसके अलावा जो बस्ती के गरीब मुलाजिमों की तनख्वाहें काट ली गयी हैं उनको उसे वापस दिलाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूं।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं। मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आई हूं और उस क्षेत्र के विषय में दो चार सुझाव देना चाहती हूं। पर्वतीय क्षेत्र में नगरपालिका, टाउन एरियाज तथा नोटिफाइड एरियाज को बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सीवेज स्कीम का होना अनिवार्य है लेकिन उसके लिए सर्वे फीस इतनी अधिक है जिसको स्थानीय निकाय वहन नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि जैसे बार्डर एरियाज में यह फीस नहीं ली जाती है उसी प्रकार समस्त पर्वतीय प्रदेश में भी यह नियम लागू किया जाय और अगर उसमें असुविधा हो तो इसको ऋण के रूप में एडजस्ट किया जाय।

महोदय, दूसरे इस विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कई पेयजल योजनायें-निर्माणाधीन हैं जैसे नेथाना देवी, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा पेयजल योजनायें। इनके अतिरिक्त और भी छोटी-मोटी पेय जल योजनायें चल रही हैं बागेश्वर व अल्मोड़ा योजना के लिये विभाग ने आश्वासन दिया था कि मई में पूरा हो जायगा लेकिन वे मई में पूरी होने वाली नहीं हैं। अल्मोड़ा पेयजल का संकट शुरू हो चुका है। मेरा सुझाव है कि अल्मोड़ा पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए जायें और नेथाना देवी पेयजल योजना जो पिछले वर्ष से चली आ रही है उसे पूर्ण कराया जाय। बागेश्वर पेयजल योजना तो 7 साल से जहां पर थी वहीं पर आज भी है और ताज्जुब की बात है कि ठेकेदारों के द्वारा न करा कर इस योजना को विभाग स्वयं पूरा कर रहा है। स्थानीय समाचार-पत्रों में इस विभाग के घुटाले की बात रात दिन लाल अक्षरों में छपती रहती है। काम का हाल यह है कि सीमेंट के स्थान पर रेत की मात्रा ज्यादा होती है इसके अलावा सीमेंट व नल बेच दिए गए हैं और मजदूरी पर जो मजदूर रखे जाते हैं वे नेपाल के डोटियाल होते हैं। 6 महीने में वे वापस चले जाते हैं जिसकी कोई जांच फर्जियां भर्ती की नहीं की जा सकती। इस तरह से बड़ा घुटाला, भ्रष्टाचार व बर्बादी इस विभाग में वहां चल रही है। पट्टी खरही में रेखौली पेयजल योजना है। लाखों रुपए के नल वहां पड़े हुए हैं और अभी तक कई वर्षों के बीत जाने पर भी वह पूरी नहीं हो सकी है। दूसरी योजना 56 गांव की खरई रीठागढ़ पेयजल योजना की सर्वे चल रही है। उसे अविलम्ब कार्य रूप दिया जाय। इस विभाग का काम जनता को धोखा देना है और इसका कोई काम वर्षों बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं हो पाता है। इस पर मन्त्री महोदय जरा गम्भीरता से विचार करें। वहां पर द्वारा हाट नोटीफाइड एरिया का नोटिफिकेशन हो चुका है लेकिन दो तीन साल हो गए अब तक चुनाव द्वारा उसका गठन नहीं हो पाया है। उस नोटिफाइड एरिया का शीघ्र चुनाव करा दिया जाय। वहां पर पट्टी खरई और रीठागढ़ में पेयजल योजना की स्कीम बनाई गई है। उसके बारे में मैंने इस सम्मानित सदन में तथा पर्वतीय विकास परिषद् की बैठकों में कई बार कहा है कि उस स्कीम की सर्वे करा दी जाय। उससे 56 गांवों के 32 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसका शीघ्र सर्वे हो जाय। वैशाख के महीने से ही वहां के लोग 3-3 मील से कटोरे से उलीच कर कुओं से पानी लाते हैं। कहीं गन्दा पानी प्राप्त नहीं होता है। वहां पर

[श्रीमती सरस्वती टम्टा]

झिरोली में निल्साइट फैक्टरी भी है उसके लिए जो जल संकट है वह भी इस से दूर हो सकता है। अत : मेरा निवेदन माननीय मन्त्री जी से है कि इस योजना का शीघ्र निर्माण करा दिया जाय।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में रोड फन्ड ग्रान्ट के रूप में 50 प्रतिशत उनको अपने फन्ड से देना पड़ता है। वहां के स्थानीय निकाय इसको देने में बिलकुल भी सक्षम नहीं हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इसके स्थान पर केवल 10 प्रतिशत ही कर दिया जाय। वह रोड ग्रान्ट वैसे ही रह जाता है, इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने जिस विषय को अन्तिम रूप दिया था मैं उसी को प्राथमिकता देना चाहता हूं। यह आवास विकास परिषद् इस तरह का विभाग है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है। आवास की कठिनाई और दिक्कत प्रान्त के हर शहर में है परन्तु यह आवास विकास परिषद् जिस धीमी गति से और लापरवाह तरीके से कार्य कर रहा है उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इसका कारण यह है कि जो परिषद् बना हुआ है उसके जो चेयरमैन हैं सिर्फ वही गैर-सरकारी हैं और बाकी सब लोग सरकारी हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में यह परिषद् बनी हुई है उसमें गैर-सरकारी किसी भी व्यक्ति को सहभागी नहीं रखा गया है जिसकी वजह से उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाती है और मनमाना सरकारी कर्मचारी काम करते रहते हैं। लाखों रुपए के मकान बनाए गए हैं। मेरठ में लाखों टन सरिया उठ गया है जो मकान बनाए गए हैं उसमें दोयम ईंट लगाए गए हैं। थर्ड क्लास के लिन्टर डाले गए हैं और अच्छे वाले ईंटे ब्लैक में बेच दिए गए हैं, एक तरह से लूट मची हुई है। माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें और गैर-सरकारी लोगों को आप इसमें सहभागी बनायें और उसकी देखभाल में गैर-सरकारी लोगों का हाथ बटायें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मोहनपुरी विकासपुरी योजना में आपने फ्री होल्ड डिक्लेयर किया, बरेली में फ्री होल्ड डिक्लेयर किया, नेहरूनगर देहरादून में तथा आगरे में अभी मार्च में आपने फ्री होल्ड डिक्लेयर किया है किन्तु गढ़ रोड पर सं0 नं0 3 पर जो योजना है उसे आपने फ्री होल्ड नहीं किया। मुझे बताया गया है कि जब आप आगरे गए तो वहां पर आपका काफी अच्छा स्वागत हुआ। स्वागत से मेरा मतलब है कि आपको काफी गालियां खाने को मिली हैं। वहां पर जनता ने काफी रोष प्रकट किया है इसलिए तुरन्त आपने वहां पर फ्री होल्ड डिक्लेयर कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का पक्षपात आप न करें। हर नगर की योजना आप फ्री होल्ड डिक्लेयर करें। लीज नहीं चलना चाहिए, फ्री होल्ड चलना चाहिए, यह मेरा कहना है। तीसरी बात यह है कि जिस योजना को आप लागू करते हैं उसमें भू-खन्डों का मूल्य और प्लाट्स का मूल्य तो आपने घोषित कर दिया तो उसी पर रहना चाहिए। आपने मेरठ में प्लाट्स का मूल्य 30 हजार रुपया घोषित किया लेकिन आज 55 हजार ले रहे हैं। इसी प्रकार भूखण्ड का मूल्य लगभग 25 हजार घोषित किया था लेकिन अब उसका 42 हजार रुपए ले रहे हैं। तो इस तरह से एक लाभ वाली योजना बनाकर यह ठगने का काम कर रहे हैं. यह मैं कह सकता हूं।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो प्रार्थियों से अर्नेस्ट मनी ले लेते हैं उसको चार-चार पांच-पांच साल तक अपने पास रखते हैं और 6 परसेंट का उसको ब्याज देते हैं और जो प्रार्थियों को रुपया देते हैं उनसे आप 9 परसेंट लेते हैं, यह कौन सी बात है, आपको ब्याज की दर एक रखनी चाहिए, अगर 6 परसेंट देना चाहते हैं तो 9 परसेंट नहीं लेना चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर) अभी मेरे पांच मिनट हैं।

श्री उपाध्यक्ष----

नहीं आपके केवल 2 मिनट ही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन लाल कपूर---

आपने नगरपालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कोई योजना नहीं रखी है। केवल आपने यह कहा है कि उनकी योजनाओं के लिए ऋण और अनुदान देंगे और वह भी ब्याज पर देंगे। आपने दिवाला निकाल दिया है नगरपालिकाओं का और पुरस्कार वाली योजनाओं को चलाकर आप उनको टैक्स लगाने के लिये बाध्य कर रहे हैं। बुलन्दशहर नगरपालिका ने टैक्स बढ़ा दिया, मेरठ की नगरपालिका ने वाटर टैक्स लगा दिया और हर प्रकार से नए-नए प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं। आपने 29 नगरपालिकाओं को 1 जून से भंग कर दिया है और 62 और भंग करने जा रहे हैं। आप उनके चुनाव नहीं करा रहे हैं। नगरपालिकायें जहां हैं भी वे बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगाकर वहां की जनता का खून चूस रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरठ नगरपालिका में एक साल से जनता आन्दोलन कर रही है, वहां गृहकर लगाया गया है। वह फौरन समाप्त कर दें। जलकर जो लगाया है उसमें आपने जल की दरों को बढ़ा दिया है आपने 11 पैसे से बढ़ाकर उसको 25 पैसा कर दिया है। 2 से 6 पैसे, 3 से 10 पैसे, इस तरह से दुगुना, तिगुना और चौगुना टैक्स लगाकर आपने जनता की लूट की है। वहां की जनता आन्दोलन कर रही है आप वहां वाटर टैक्स वापस लें और घाटे को किसी बचत आदि से पूरा करते हुए काम करें। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए उन पर निश्चित रूप से पालन करावें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो बजट स्वायत्त शासन विभाग का पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने सफाई पखवारा मनाने के लिए जो परिपत्र निकाला है वह सराहनीय कदम है। मेरा निवेदन है कि हर मौसम के शुरू में और आखिर में इस तरह के पखवारों को मनाया जाना चाहिए जिससे कि गन्दगी खत्म हो। जब गन्दगी खत्म होगी तो 75 फीसदी बीमारियां खत्म होंगी और जब बीमारियां खत्म होंगी तो गरीब लोग खुशहाल व स्वस्थ होंगे।

इसी के साथ, शाही कमीशन बैठा था लखनऊ नगरमहापालिका की जांच के सम्बन्ध में। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लखनऊ नगर महापालिका में जहां 10 बाबू रखने चाहिये थे वहां जनसंघ ने 25 बाबू रखे। मुख्य सड़कों के किनारे की जमीनें अपने कार्यकर्त्ताओं को एलाट की और जो भट्ठे फायदे में चल रहे थे उसको इस कुव्यवस्था के साथ चलाया कि उसमें नुकसान रहा। इसी प्रकार की मिशाल मैं गाजियाबाद में देना चाहता हूं। गाजियाबाद में जनसंघ की नगरपालिका है। वहां के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और 14 मत उनके विपक्ष में पड़े और 10 पक्ष में लेकिन एक झूठा हलफनामा हाई कोर्ट में जनसंघ ने पेश कर दिया कि वास्तविकता इसके प्रतिकूल है, 14 उनके विपक्ष में पड़े हैं और 10 उनके पक्ष में पड़े हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए। जनसंघ के लोगों की वहां पर कोठियां बन गयीं जब कि वे लोग इसके पहले भूखों मरते थे और यह सब नगरपालिका के बल पर हुआ है क्योंकि निर्माण कार्यों में 80 प्रतिशत खाया जा रहा है और 20 प्रतिशत लग रहा है लाखों ट्यूब व बल्ब आते हैं पर लगते नहीं हैं और सफाई भी वहां नहीं होती है। जनसंघ की नगरपालिका अंधेरा दे रही है और सर्वत्र कूड़े, कचरे व मैले के ढेर तथा गन्दगी सर्वत्र अपना अधिकार करे हुए हैं मच्छर व मक्खियों का तो कहना क्या। जनसंघ को मन्त्रिमन्डल या सरकार मिली नहीं लेकिन जहां-जहां नगरपालिकाओं में उनका

[श्री प्यारे लाल]

शासन रहा वहां-वहां दीपक बुझा हुआ है और सर्वत्र अन्धेरा मिला, गन्दगी मिली और भाई-भतीजा वाद के बल पर भ्रष्टाचार ही पनपा है क्या भ्रष्टाचार मिटा देंगे वे तो जन्मदाता हैं एल0 एम0 सी0 की भूमि अपने आदमियों व कार्यकर्त्ताओं को एलाट की है। इसके साथ-साथ जो गाजियाबाद की कन्ट्रोलिंग आथारिटी हैं जिसमें सिर्फ एक चेयरमैन ही जनता के नुमाइन्दा हैं उनके क्षेत्र के अलावा बहुत बड़ा इलाका सुधार मन्डल में है। चार एम0 एल0 एज0 का क्षेत्र गाजियाबाद सुधार मन्डल इन्डस्ट्रियल स्टेट में है तथा दो एम0 पीज0 का है तो मेरा निवेदन है कि चार एम0 एल0 एज0 और दोनों एम0 पीज0 को भी उसमें कन्ट्रोलिंग अथारिटी व हाई पावर कमेटी में रखना चाहिए।

इसके अलावा सुधार मन्डल की जगह आवास बोर्ड कर दिया जाय। हाउसिंग बोर्ड करने से कम से कम गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए कर्ज तो मिल जाएगा। सुधार मन्डल से तो वीकर सेक्शन को मदद नहीं होती है उसमें जो मकान वीकर सेक्शन के लिए बनाये जाते हैं उसके लिए सुधार मंडल प्राथमिकता देता है एक मुश्त पैसा जमा करने वाले को, इसलिए वीकर सेक्शन को मकान नहीं मिल पाते हैं और केवल अमीर को ही मकान मिलते हैं। गरीब एक मुश्त पैसा नहीं दे पाता है इसलिए उसकी मदद नहीं हो पाती है। मैं मन्त्री जी से एक और निवेदन करूंगा कि गाजियाबाद में करीब 10 हजार मकानों के डिमोलिश आदेश हैं जिसके कारण गरीब शोषित पीड़ित श्रमिक को नींद नहीं आती है उनको नहीं मालूम कि उनके मकान कब गिरा दिए जायेंगे इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इन 8, 10 हजार मकानों को एडजस्ट करा दें जिससे गरीबों को राहत मिल सके उसको वह रेगुलराईज करा दें। जिससे कि गरीब की आस्था समाजवादी नारे पर जायें।

गाजियाबाद में जो सुधार मन्डल है उसकी जगह में जी0डी0ए0 बना दिया जाय उससे जनता को सुविधा होगी और डूंडाहेडा, धकना अर्थला तथा सिहानी गांव है वहां पर हजारों एकड़ जमीन एल0 एम0 सी0 की पड़ी हुई है। इस पर गरीबों को प्लाट व मकान बना कर गरीबों को दें जिससे उनका उद्धार होगा और वह सस्ते भी पड़ेंगे और वीकर सेक्शन की सही माने में मदद भी हो सकेगी।

इसके साथ-साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मकान और दुकानें नगरपालिकाओं ने या सुधार मन्डल ने बनाई हैं जिनको बहुत समय रहते हो गया है उन मकानों को हायर परचेज स्कीम में लाया जाय और जिस वक्त वह बने हों उसी वक्त की कीमत पर उन लोगों को दिए जायं। इससे यह भी फायदा होगा कि सुधार मन्डल को धनराशि मिलेगी उससे वह उस धनराशि से और मकान बना सकेगा और दूसरी तरफ गरीबों को फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

शर्मा जी, समय हो गया है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री प्यारे लाल—

दो मिनट और दे दें। जहां पर सुधार मंडल की कालोनीज बनी हुई हैं उसमें सही सामग्री लगे तथा रहने वालें को वहां पर पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए और उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। जैसा मोहनलाल जी ने कहा कि जो मकान बनाए हैं उनकी छत किसी की गिर रही है यह बात सही है किसी की छत गिर रही है तो किसी का दरवाजा जरा से धक्के से टूटा जाता है, कहीं दीवारों पर दरार है, किसी का कुंडा खराब पड़ा है और पार्कों का तो बुरा हाल है। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनमें लगे सामान की जांच व देखभाल होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में स्वायत्त शासन की जो मांगें पेश की गई हैं उनका स्वागत करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वायत्त शासन की मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं। यह एक नीति की बात है, समझदारी की बात है कि जब तक यह सरकार रहेगी, जब तक यह व्यवस्था रहेगी, जब तक इस दल का शासन रहेगा तब तक मान्यवर, शहरों की गन्दगी नहीं जाएगी, शासन से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

समय कम है आप सुझाव दे दीजिए।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि (व्यवधान) कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो कांग्रेसियों के दरवाजों पर झाड़ू लगाने के लिए गए हों। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे--

मच्छर की सफाई करने के लिए.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप क्यों अनावश्यक माननीय सदस्य का जो आपकी ही पार्टी के हैं समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री राम अधार--

मान्यवर, आप देखेंगे कि यह एक काल्पनिक बात है कि आप कहेंगे कि नगर-पालिकायें या महापालिकायें एकदम आजाद रहेंगी लेकिन यह सही नहीं है। चैयरमैन या मेयर आपने बना दिए लेकिन कर्मचारियों पर उनका अंकुश रहेगा नहीं वह तो यहां से अंकुश रहेगा। मेयर या चैयरमैन उन कर्मचारियों का तबादला नहीं कर सकता है या करेक्टर रोल पर एन्ट्री नहीं कर सकता है वह तो यहां लखनऊ में होगा। अगर कोई गलत काम करेंगे तो मेयर कुछ कह नहीं सकता है। यह लखनऊ में बैठी हुई सरकार नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार फैला रही है। वहां पर चाहे जनसंघ के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों। तो यह एक बुनियादी सवाल है कि जो स्वायत्तशासी संस्थाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं उनके ऊपर नियन्त्रण पूरा-पूरा वहां के लोगों का होना चाहिए। नम्बर दो, जहां तक आवास विकास की बात है, जब तक यह शासन रहेगा, फुटपाथ पर सोने वालों की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी एक तरफ आपकी अट्टालिकाएं खड़ी होंगी, दूसरी तरफ बड़े-बड़े लोग प्रश्न करके हाउस में बैठे रहेंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। लाखों लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनको बसाना, आपकी सरकार के वश के बाहर की बात है। आप नहीं कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं तो इन गरीबों के लिये भी व्यवस्था कीजिए। भ्रष्टाचार की जो बात है, मैं मोदीनगर के बारे में एक बात बता दूं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री त्रिपाठी ने आदेश दिया था कि यदि इसको टाउन एरिया बना दिया जाए तो 14 लाख रुपये का फायदा होगा। उसको नहीं बनाया गया और जब नये लोग आए, तो गड़बड़ घोटाला करके सारा रुपया घोट गये। मैं मुख्य मंत्री जी का नाम तो इसमें नहीं लूंगा, लेकिन उन्हीं के लोगों ने सारा रुपया हजम कर लिया और मोदीनगर टाउन एरिया नहीं बनी। मान्यवर, मैं साफ बात करना चाहता हूं। इस शासन के अन्तर्गत बहुत से भाई बैठे हैं, जो हमारी बात को बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन मैं तो दो टूक बात कहता हूं। जब-जब कैबिनेट के विस्तार की चर्चा होती है वे लोग मुख्यमंत्री की चापलूसी किया करते हैं और जब यहां प्रश्न आता है उनका तो बैठे रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अब्दुल रहमान खां 'नशतर' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आपके सामने स्वायत्त शासन मंत्री का जो अनुदान पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपका आभारी हूं कि आपने इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। मान्यवर, यहां पर अभी मंत्री जी ने बहुत सी नई योजनाओं का जिक्र किया है, मैं उसका समर्थन ही नहीं, बल्कि उसके लिये मैं उनको मुबारकवाद पेश करना चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने स्वायत्त शासन डाइरेक्ट्रेट में जो नई योजनाएं ली हैं और नये काम शुरू किए हैं तथा डाइरेक्ट्रेट को अधिक पावर देकर जो उसे मजबूत करने की बात की है, मैं समझता हूं ये सब बहुत ही सराहनीय कदम हैं। अब तक डायरेक्ट्रेट को ट्रांसफर के अलावा कोई अधिकार नहीं थे। जो इस ओर ध्यान दिया, उसके लिये वह काबिले--मुबारकवाद हैं। अब मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, ग्रामसमाज की जमीन जो नगरपालिकाओं को दी गई थी, वह जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत दी गई थी और उसकी वजह से ग्राम समाज की जमीन का इस्तेमाल नगरपालिकाएं अपनी स्कीम या अपनी योजनाओं के अन्तर्गत नहीं कर सकती हैं, जब तक कि उसके लिए स्वायत्त शासन मंत्री जी एक अलग से विधेयक न लाएं। मैं समझता हूं कि बड़े शहरों की तरक्की के लिये और ग्रामसभाओं की जमीनों पर नाजायज कब्जा रोकने के लिये उस बिल का लाना बहुत जरूरी है। हजारों एकड़ जमीन जो ग्राम समाज की सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को दी गई, उस पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। बड़े शहरों में जमीन तो खाली पड़ी नहीं रह सकती है, जब तक योजनाबद्ध उसका इस्तेमाल न हो।

जहां तक कानपुर की गंदी बस्तियों के सुधार का प्रश्न है और वहां पर गरीब तबके के लोगों और मजदूरों के लिये मकान बनाने का सवाल है, उस ओर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जिस सुस्त रफ्तार से कदम उठाए जा रहे हैं, वह कानपुर जैसे 20 लाख की आबादी वाले नगर के लिये नाकाफी है। कानपुर में लोग नरक की जिंदगी गुजार रहे हैं और तमाम ऐसी बस्तियां हैं जिनका जिक्र मैं उनके सामने कर देना चाहता हूं। चूना मठियां, द्वारका बाजार, खलासी लाइन चन्द्रनगर ऐसी कलंकित बस्तियां हैं, जहां पर इन्सान तो इन्सान जानवर के रहने के लिये भी वह जगह मुनासिब नहीं है। लेकिन जहां पर कानपुर शहर में बहुत अच्छी अच्छी बस्तियां बसायी जा रही हैं वहां पर नगरपुरानी बस्तियों को ओर भी ध्यान दिया जाय तो वहां पर बसने वाले गरीबों का बहुत भला हो सकता है। कानपुर नगर के अन्दर कर्मचारियों का एक संघर्ष चल रहा है। वहां के कर्मचारियों ने इस बात की मांग की है कि सैयद अली जहीर रिपोर्ट के मुताबिक जो 31-7-72 को जो कमीशन की रिपोर्ट हुई थी उसके जरिये से वहां के कर्मचारियों को बजाय फायदे के 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक वहीं के क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों का घाटा हो रहा है। वहां पर राज्य कर्मचारियों की तरह से उनको भी सिटी एलाउन्स और हाउस एलाउन्स देना चाहिये। इसके साथ-साथ बजाय उनको सालाना तरक्की देने के, इस महंगाई के अन्दर, वहां के कर्मचारियों को जो पांच रुपये सालाना तरक्की दी जा रही थी अब पांच के बजाय 4 रुपये कर दी गयी है।

1-8-72 को एक पे कमीशन की रिपोर्ट आयी उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के मुताबिक राज्य कर्मचारियों और स्वायत्तशासन कर्मचारियों को भी उसी तरीके से महंगाई भत्ता दिया जायगा। लेकिन स्वायत्त शासन के कर्मचारियों के लिये आज भी 20 परसेंट से अधिक नहीं दिया गया जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 36 परसेंट महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि महंगाई भत्ता अगर नगरपालिका और महापालिका के कर्मचारियों का बढ़ाया जाय तो बजट का घाटा होता है। महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। उसके लिये एक बहुत ही अच्छा सुझाव देना चाहता हूं। कम आमदनी को बढ़ाने के लिये ऐसे जरिये बनाये जायं जैसे लाटरी के टिकट बेचने का अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरपालिकाओं को और महापालिकाओं को दिया जाय। लाटरी में बजाय रुपये देने के जमीन के प्लाट और मकान दें ताकि लोगों को कम पैसे में, मकान और जमीन मिल सके और इस तरह आर्थिक स्थिति महापालिकाओं की मजबूत हो।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समाप्त करें।

माननीय भगवती सिंह। दो तीन मिनट में अपनी बात कह सकें तो कहें।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने स्वायत्त शासन बजट पर एक ऐसा मौलिक शब्द कहा है जो दरअसल इस सदन में बड़े महत्व की बात है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से उठकर यह जो जमीन का काम है स्वायत्त शासन को करना चाहिये। तो मैं अपने जिले का प्रमाण देना चाहता हूं। हमारे जिले में, सत्ता पक्ष के प्रियदर्शी जी बैठे हुए हैं, अकबरपुर टाउन एरिया के चेयरमैन, जो सोशलिस्ट पार्टी से लोक दल में गये हैं, वहां पर मुसलमान चेयरमैन हैं, के हाथ में थी। हमारे इस प्रदेश के स्वायत्त शासन की यह करामात है इस प्रदेश के एक सेक्रेटरी आफिस के किसी मंत्री महोदय के जैदी साहब, बिला शासन के आदेश के प्रियदर्शी जी जैटली के कहने पर अकबरपुर टाउन एरिया को भंग करने के लिये म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिये वहां एक जलसा किया और बगैर शासन के आदेश के यहां से जैदी साहब गये। कलेक्टर आये, और लोग आये, बहुत से लोग आये। मंत्री महोदय जान लें। वहां दो बोर्ड लगे हैं। आपका इशारा विपक्ष पर था। वहां पर दो बोर्ड लगे हैं। एक म्युनिसिपैलिटी का है और एक टाउन एरिया का है, खाने का और दिखाने का और। दूसरे, आपके यहां जो स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ है उसने जो अपनी मांग रखी है अगर आप उसको मान लें तो विभाग का बड़ा लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद---

मान्यवर, एक मिनट और दे दीजिये। मैं अपने चुनाव क्षेत्र जलालपुर कस्बे की बात रख दूं। हरिजन आबादी में कुछ रुपया लगा कर वहां लैटरिन्स (पाखाने) की जगह बनाने के लिये चेयरमैन ने घोषणा की है। मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि जहां इतनी बड़ी आबादी है। वहां बड़े-बड़े धन्ना सेठ रहते हैं। जिस तरह से एक ही कोठरी में सूअर रहते हैं उसी तरह से हरिजन लोग वहां रह रहे हैं। वहां कोई रोशनी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय समाप्त हो गया।

श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बजट अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि पुस्तिका में दिखाया गया है, सही प्रतीत होता है कि अपने यहां विकास हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये आज 27 साल हो गये हैं लेकिन आज भी फैजाबाद जनपद में मदरसा टाउन एरिया है वहां जमींदारी मौजूद है। जितनी सुविधायें सरकार की ओर से टाउन एरिया को दी गई हैं उनमें एक भी इसको नहीं प्राप्त है। वहां पेयजल, सफाई, सड़क तथा चिकित्सा आदि किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। उसका कारण यह है कि वहां जमींदारी है जिससे बाजार वगैरह से कोई आमदनी नहीं होती है।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हुबराज--

अभी तो मेरा केवल एक मिनट हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि जमींदारी समाप्त की जाय। दूसरी बात यह है कि वह नगर पालिका के लायक हो गई है। अतएव उसको नगरपालिका बनाया जाय। लखनऊ महापालिका में जलकर विभाग के अधिकारी के खिलाफ शिकायती-पत्र दिया गया है। उसकी जांच ऐसे अधिकारी को दी गई है जो दो बार भ्रष्टाचार के आरोप में मुअत्तिल हो चुके हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ जांच किसी अच्छे अधिकारी द्वारा कराई जाय। तहसील बीकापुर में शाहगंज बाजार बहुत बड़ी आबादी की पुरानी बाजार है जिसको टाउन एरिया बनाकर विकास किया जाय।

आखिरी बात यह है कि हरिजन लोग जो आपकी बस्ती की सफाई करते हैं, जो आपके यहां की गन्दगी दूर करते हैं, उनकी बस्तियों को देख लें। वह नालों के किनारे बसी हुई हैं और वहां कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। गन्दगी इतनी है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। जनपद फैजाबाद में नजूल की भूमि पड़ी हुई है उस पर बड़े-बड़े लोग अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं। वहां के अधिकारी नहीं बता पाते हैं कि वह भूमि नजूल की है या नगरपालिका की है। अतएव वह जमीन गरीब हरिजनों को दी जाय। मैं अन्त में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के दोनों पक्ष के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं उनके सुझाव के लिये और साथ ही साथ इस बात के लिये कि मैंने जो कुछ सुझाव दिया था उससे उन माननीय सदस्यों ने सहमति व्यक्त किया है। एक जो उसमें सबसे बड़ी खास बात थी इस प्रदेश में पेय जल की कमी के संबंध में और दूसरे इस 27-28 साल में आज भी एक आदमी का मैला दूसरा आदमी उठाता है, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये इस संदर्भ में एक रिपोर्ट इसी शासन की है जो कि उत्तर प्रदेश में आवासों की दिशा के संबंध में है जिसमें यह कहा गया है कि "राज्य के 22 प्रतिशत परिवार अपनी शौच की आवश्यकता की पूर्ति अपने आवास में ही उपलब्ध करते थे। शेष 78 प्रतिशत आवास के बाहर जाते हैं।" तो इस प्रदेश के 78 प्रतिशत नागरिकों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है और साथ ही साथ जो भंगी समुदाय है उसको कितना नारकीय काम करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहा था कि नगरों में और ऐसे क्षेत्रों में सीवर लाइन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिये। जनशौचालय और सार्वजनिक स्नानागार की व्यवस्था करनी चाहिये। इस बात की भी चर्चा की गई कि नगरपालिका कानून और नगरपालिका अधिनियम में नाम में तो कहा है कि स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं लेकिन बराबर इसमें सरकार की ओर से कटौती की जा रही है।

बेसिक शिक्षा गठित करके नगरपालिका से और नगर महापालिका से शिक्षा विभाग को ले लिया गया है और इस संबंध में विकास कार्य जो है, उसको विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के हाथ में सौंप दिया गया है। इसी प्रकार से जल परिषद् का गठन कर दिया गया है। सीवर के बारे में भी एक परिषद् गठित होने जा रही है। लगता यह है कि शायद नगरपालिका और नगर महापालिकाओं को एक झाड़ू का काम छोड़ करके और कोई काम नहीं रह जायगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह अपने निर्णय के बारे में पुनरीक्षण करें, क्योंकि स्वायत्त शासन को स्वच्छ वायु देने के लिये शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिये कुछ व्यवस्था इसी कानून में होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने धोबी घाट के सम्बन्ध में सुझाव दिये। यह सुझाव बहुत अच्छा है। अमूमन वह लोग शहरों में घनी बस्तियों में कपड़े की सफाई किया करते हैं। तो धोबी घाट की स्थापना के सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान देना चाहिये। यह जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास

अधिनियम, 1973 पारित किया गया था इसमें एक धारा है 6 जिसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि एक सलाहकार परिषद् गठित की जायगी और उस सलाहकार परिषद् में कुछ अधिकारीवर्ग के लोग होंगे और साथ ही साथ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, लोक सभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य होंगे। लेकिन दुःख का विषय है कि इस धारा 6 का कार्यान्वियन आज तक नहीं किया है जब कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री और विभागीय सचिव का भी ध्यान आकर्षित किया था। धारा 6 में कहा गया है कि "राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो प्राधिकरण को महायोजना तैयार करने के बारे में तथा विकास की योजना से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों के बारे में अथवा इस अधिनियम के प्रशासन से या उसके सम्बन्ध में पैदा होने वाले ऐसे मामलों के बारे में जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जायें सलाह देने के प्रयोजनों के लिये सलाहकार परिषद् गठित कर सकेगी।" मेरी समझ में नहीं आता है कि यह अधिनियम 1973 में पास किया गया था लेकिन इस धारा को कार्यान्वित करने की ओर कोई ध्यान सरकार का नहीं गया है।

इलाहाबाद में एक एरिया है जिसे नैनी कहते हैं यह स्थान जमुना नदी के पार बसा हुआ है और इलाहाबाद शहर से काफी दूर पड़ता है। वहां के लोगों की मांग है कि नैनी में एक नगरपालिका स्थापित की जाये। बहुत बड़ी नगर महापालिका में स्थापित होने के कारण नैनी का विकास नहीं हो पाया है बहुत से ऐसे गांव है जो कहने को तो नगरपालिका में है लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और न ही कोई विकास का ही कार्य हो रहा है। इसलिये मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें।

इलाहाबाद में घंटाघर की बहुखंडीय भवन योजना है जो पहले प्रारम्भ की गयी थी। लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि उसे क्यों समाप्त किया गया है। मेरा निवेदन है मंत्री जी से उसे फिर से चालू किया जाय। घंटाघर ऐसा स्थान है जहां पर पहले चुंगी का कार्यालय था और समतल जमीन पड़ी हुई है। बहुत अच्छी योजना थी। इस योजना को मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य ने इसे बनाया था।

चरखारी नगर पालिका के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। सड़कों के निर्माण कार्य में लगभग एक लाख रुपये के ऊपर गोल माल किया गया है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार का मामला होगा उसे तत्परता के साथ जांचा जायेगा। हमीरपुर नगर पालिका में नवबस्ता एक स्थान है जहां पर 50 परिवार हरिजन अपने कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं, आज वह नजूल की जमीन है, उनको बेदखल किया जा रहा है जब सरकार की यह नीति है कि हरिजनों को जमीन खरीदने के लिये रूपया दिया जाये फिर कौन सा कारण है कि उनको बेदखल किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उन हरिजनों को वहीं बरकरार रहने दिया जाये।

इटावा नगर पालिका का जो बहुत बड़ा हाल है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसमें अपना कार्यालय खोल लिया है। जिलाधिकारी कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन चूंकि सरकार की ही पार्टी का कब्जा है इसलिये कब्जा हट नहीं पा रहा है। मंत्री जी ने प्रारम्भ में कहा था कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और इस मामले में वह किसी राजनैतिक दबाव में नहीं आयेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको दूर करें और जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है उसको वहां से हटावें।

अब मैं एक बात लखनऊ नगरमहापालिका के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में एक जांच समिति बनायी गयी थी। हमारे दोस्त माननीय इकील साहब ने इसका जिक्र भी किया और कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया। श्री अतहर हुसेन की अध्यक्षता में एक

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। मैं चाहूंगा कि उस रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही की जाये और उसे जनता के सामने आना चाहिये और साथ ही जो लोग उसमें दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो रिपोर्ट है वह बहुत बड़ी है, छपने में समय लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि नगर महापालिका संशोधन अधिनियम समिति की जो रिपोर्ट है और लखनऊ नगर महापालिका के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनको इसी सत्र में सदन के पटल पर रखने की कृपा करें माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही इस बात का आश्वासन दिया था कि वे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कटिबद्ध हैं और उनके उन्मूलन में लगे हुए हैं। कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय और बीच बीच में सदन में जो प्रश्न आते रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि इलाहाबाद नगर महापालिका है पिछले वर्षों से भ्रष्टाचार से ग्रसित है और वहां पर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में हमारे माननीय मुख्य मंत्री का उन्हें संरक्षण है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैंने इन बातों को कहा है और मुझे उम्मीद है कि इस ओर ध्यान दिया जायगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के बाद 8 नवम्बर को जो भाषण दिया था उसमें यह कहा था कि वे प्रदेश को एक स्वच्छ प्रशासन देंगे लेकिन इलाहाबाद की नगर महापालिका में भ्रष्टाचार को जो संरक्षण दिया है, वह सारे प्रदेश के लिये एक कलंक की बात है। पत्रावलियों में सारी बातें हैं। मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी उस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई आयोग उसी आधार पर, जिन पर लखनऊ में गठित किया गया था, बैठायेंगे।

लखनऊ नगर महापालिका के बारे में एक और शिकायत की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह आम शिकायत है कि मोहल्ला गणेशगंज, फतेहगंज, मवइया गणेशगंज में 2–2 फुट पर भी पानी नहीं आता है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे।

अन्त में मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसका दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, माननीय मंत्री जी वचन-भंगी न होकर, स्वयं भी समर्थन करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––

मान्यवर, संसदीय परम्परा का तकाजा है कि मैं सदन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं। उस परम्परा के अनुसार हृदय के अन्तर्तम से मैं इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। वास्तव में मेरी जो कल्पना थी अधिकांश माननीय सदस्यों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर रचनात्मक सुझाव देने की कृपा की है। मैं उसके लिये बहुत ही अनुग्रहीत हूं।

समय बहुत थोड़ा है और बातें बहुत आई हैं। मैं उन बातों को 2–3 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। एक तो कुछ माननीय सदस्यों ने स्थानीय बातों का जिक्र किया कि अमुक-अमुक स्थान पर टाउन एरिया कमेटी की आवश्यकता है, बननी चाहिये और अमुक स्थान पर अमुक स्थानीय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होनी चाहिये। मैं उन माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक-एक बात को नोट किया है और हमारे अधिकारियों ने भी नोट किया है और जहां तक सम्भव होगा, उनको अध्ययन करके उनका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा कुछ बुनियादी बातें और कुछ बड़ी बातों का भी जिक्र किया। एक तो माननीय मालवीय जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय हम पर बहुत गम्भीर चार्ज लगाया, उन्होंने एक तालिका पढ़ी कि ये ये सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं। मान्यवर, मैंने प्रातः कहा था कि 5.7 प्रतिशत स्थानीय निकाय हैं जो निलम्बित हैं, सस्पेन्डेड हैं। तो सुपरसेन्शन का जब प्राविधान नियम और संविधान में है और जब रोज हमारे पास इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की शिकायतें आती हैं कि अमुक

नगरपालिका में करप्शन है, वहां पर भयंकर खराबियां हैं तो फिर सस्पेन्शन किसी न किसी पर-सेन्टेज में तो होगा। उसके लिये कोई अनुचित अनुपात नहीं है और कोई शिकायत का मौका नहीं है। खासतौर से माननीय मालवीय जी ने और एक और मित्र ने बरेली का जिक्र किया, बिजनौर का जिक्र किया। ठीक है, बरेली का मैं रहने वाला हूं। बरेली नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें आयीं हैं। वैसे तो हमारे यहां शासन के स्तर पर कोई इस तरह की सूचना नहीं रहती है कि किस नगरपालिका में कितने कांग्रेस के सदस्य हैं, मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि कहां कांग्रेस के चेयरमैन हैं, लेकिन बरेली नगरपालिका की मेरी स्वयं की जानकारी है, वहां कांग्रेस का बहुमत भी है, चेयरमैन भी कांग्रेस का है। लेकिन इसके बावजूद वहां से शिकायतें आयीं। उसका एक प्राविधान होता है। डी0एम0 को भेजा गया डी0एम0 कमिश्नर को भेजता है। कमिश्नर विभाग को भेजता है। विभाग न्याय विभाग को भेजता है और न्याय विभाग फिर जज को भेजता है। तो यह इस सब प्रक्रिया के बीच में है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मालवीयजी को, जैसी उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है जो न्याय विभाग की राय होगी वह कार्यवाही निश्चित इसमें करेंगे इस बात का बिना लिहाज रखते हुये कि वहां कांग्रेस का बहुमत है। हमारी यही नीति हर जगह रहेगी।

एक और भी संकेत मात्र जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने एक लिस्ट पढ़ी और बड़ा जोर दिया मुरादाबाद, अलीगढ़ और एक--आध और जगहों पर कि बहुत समय से वहां नगर-पालिका सुपरसीडेड है। मैं इसको अस्वस्थ बात मानता हूं कि कोई नगरपालिका बहुत दिनों तक सुपरसीडेड रहे। नगरपालिकाओं में तो जन प्रतिनिधियों का ही संचालन हो यह स्वस्थ बात है। लेकिन मैं माननीय मालवीय जी से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसका सारा दोष वह हमारे ही ऊपर न रखें। सन् 67, 68 से कई मुख्य मंत्री हो चुके। अगर उसमें कोई कठिनाई न होती तो हमारे मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हुये हैं, हमारे चन्द्रभानु जी गुप्त मुख्य मंत्री थे, टी0 एन0 सिंह जी थे, कभी तो वह निराकरण हो गया होता। लेकिन कभी ऐसी कठिनाइयां भी आ जाती हैं कि बहुत लम्बा समय लग जाता है। मैं समझता हूं कि यह एक अपवाद है, नियम नहीं है। मैंने तो पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिये। मेरा यह मत है और हमारी यह प्रबल इच्छा है कि जो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं और जो और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका जल्दी से जल्दी हम चुनाव करा सकें।

एक बात का बहुत जिक्र हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये। उधर से हमारी बहन मिश्रा ने बहुत जोर के साथ कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये और इधर से भी माननीय सदस्यों ने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिये अभी एक माननीय सदस्य विपक्ष से कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो आपस में तालमेल नहीं होगा। अगर अध्यक्ष एक मत का आ ाया और सदस्य दूसरे मत के आये तो सब काम रुक जायगा। बहरहाल, दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस विचार का हूं कि जब इस संशोधन को आप कहते हैं ब्रिटिश सरकार की देन है, ब्रिटिश सरकार की बहुत सी देने हैं, जहां उनकी बहुत सी बुराइयां हैं, देने भी हैं। पार्लियामेन्टरी सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम भी उन्हीं से हमने लिया। 1916 में ब्रिटिश राज में म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट बना इसलिये उसमें कोई छूत तो लग नहीं गयी। उसमें 42 बार संशोधन हो चुका है, अब 43 वां संशोधन विचाराधीन है समिति के। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य खुले दिल से इस पर विचार करें, थोड़ा समय यदि और लग जाय, 8-10 माह का भी यदि समय लग जाय तो कोई नुकसान उससे नहीं होगा। हम दूसरे राज्यों से तथा विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि काफी विचार के बाद, सारी चीजों पर विचार करने के बाद, उसका निचोड़ सदन के सामने आये और फिर सदन उस पर विचार करे।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

एक बात और गंगा के पानी के बारे में कही गयी। पोलूशन होता है, इसका हम प्रबन्ध करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस ओर भी जागरुक हैं और उत्तर प्रदेश प्रिवेन्शन ऐन्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पॉलूशन ऐक्ट के मातहत हमने एक बोर्ड भी गठित किया है जिसके चेयरमैन हमारे एल0 एस0 जी0 डी0 के सचिव हैं। कानपुर में इसके लिये 66 लाख रुपये की एक योजना चालू है। वाराणसी में भी 90 लाख रुपये की एक योजना चल रही है। दूसरे और शहरों में भी, जहां गंगा का पानी जाता है, हम योजना बना रहे हैं। गंगा के जल की पवित्रता पर मैं भी विश्वास करता हूं और बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने भी उसके जल को विशेष करके स्वीकार किया है। इसके अलावा इससे हमारे प्रदेश को काफी और लाभ भी है। गंगा की धारा पवित्र तो होगी ही, हमें उससे सिंचाई भी मिलती है। गंगा का जल इतना शुद्ध होता है कि उतना और कोई जल नहीं होता। तो ऐसे पवित्र जल में यदि दूषित मैला आदि मिल जाय तो यह हमारे लिये लज्जा की बात है। इसलिये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दूषित चीजों को उसमें मिलने से हम रोकें। फिर जो मैला आदि बरबाद चला जाता है वह भी हमारे लिये काम में आ सकता है, खाद के काम में वह आ सकता है। पर मान्यवर, एक कहावत है 'इफ विशेज वेयर हार्सेज, बेगर्स वुड राइड आन देम' हमारे सामने कुछ आर्थिक समस्यायें हैं जो माउन्ट एवरेस्ट की तरह हमारे सामने खड़ी हैं। इसके बावजूद भी हम इसके लिये प्रयास करेंगे।

पाठा वाटर सप्लाई योजना के बारे में भी कहा गया। इसके बारे में मैं स्वयं सदन से बाहर गया और कुछ जानकारी प्राप्त की। जो बातें कही गयीं वे सही नहीं हैं। सन् 65 में यह योजना स्वीकार हुई। 250 गांव इससे लाभान्वित होने वाले हैं। 1.66 करोड़ का इसमें अनुमानित व्यय होगा। 2 मिलियन गैलन पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी। दरिया और नलकूपों से भी इसमें पानी लिया जायेगा। 570 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन इसमें बिछाई जा रही है। काफी काम हो भी चुका है। इसके लिये हमें 400 किलो-वाट बिजली की जरूरत होगी। यद्यपि बिजली की कमी है, पर हमें आशा है यह बिजली हमें मिलेगी। हम बहुत जल्द इस योजना को पूरी कर रहे हैं। बिजली के लिये भी हमें आशा है कि वह शीघ्र मिलने लगेगी, ऐसी स्थिति में हम हो जायेंगे। बिजली की कमी को भी पूरा करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, एक दो बात का मैं और जिक्र कर दूं। हमारे माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने एक जिक्र यह किया कि नैनी नगरपालिका नयी बना दी जाय, इसलिये कि वह एक इन्डस्ट्रियल कम्पलेक्स हो गया है और वहां विकास की जरूरत है। मैं मालवीय जी की सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि वहां डेवेलपमेंट अथारिटी इसी भावना से बनायी गयी है कि नगरपालिका की हद से बाहर, किनारे जो आउट स्कर्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। वहां डेवलपमेंट अथारिटी को 20 लाख रुपये का अनुदान और एक लाख रुपया और दिया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ये सब चीजें कारपोरेशन से डेवलपमेंट अथारिटीज के पास आ गयी थीं। कोई नयी चीज नहीं की गयी है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

इलाहाबाद के बारे में जितनी जानकारी मालवीय जी को है उसकी आंशिक जानकारी भी मुझे नहीं है लेकिन इतनी जानकारी है कि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट अथारिटी बनी और उनसे बड़ी अपेक्षा थी कि उन चीजों को पूरा करने में सफल होंगे। हमारे माननीय मालवीय जी ने बहुत जोर दिया कि वैसे और तो सब ठीक है लेकिन इलाहाबाद में बहुत ज्यादती हुई है कि वहां एक साल पहले 74 में आर्डिनेंस के जरिये महानगरपालिका को भंग कर दिया गया जो एक गजब की बात है। मान्यवर, इलाहाबाद हमारे प्रदेश का सर्वप्रथम नगर है, एक तरह से राजधानी है। वहां हमारा हाईकोर्ट है और वहीं पर गंगा-यमुना का संगम है। ऐसी महान नगरी में जो हमारे

कारपोरेशन की स्थिति है-(व्यवधान) ठीक है, हमारे मुख्य मंत्री जी भी वहीं के हैं, तीन प्रधान मंत्रियों को भी उसने हमें दिया है और महामना मालवीय जी भी वहीं के प्रोडक्ट थे, इसलिये उसके बड़े महत्व को मैं मानता हूं और ऐसी महत्वपूर्ण महानगरपालिका का चुनाव भी कराया जाना चाहिये। चार महानगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाने की बात थी और उसके सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है, इस पर विचार हो रहा है कि डाइरेक्ट इलेक्शन हो या इनडाइरेक्ट इलेक्शन हो, इस पर विचार नहीं हो पाया, इसी बीच एक साल हुए इस महानगरपालिका को भंग करके उसी लाइन पर ले आये जिस से और 4 महानगरपलिकाओं में जिस तरह से चुनाव हो वैसे ही यहां भी हो।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जान-बूझ कर सुबह मैंने फीगर्स का जिक्र नहीं किया था और अभी भी उनका जिक्र करते हुए मुझे कोई सुख नहीं है। मैं समझता हूं कि जो स्वायत्तशासी निकायें हैं उनमें अगर खराब भी इन्तजाम हो तो उसको मैं बेहतर मानता हूं बनिस्बत ऐडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेसी द्वारा इन्तजाम के। यों तो एक आदमी अपने राज्य का संचालन कर ले और अच्छा कर ले तो भी मैं उसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में गलती भी करें तो उसको मैं अच्छा मानता हूं।

मान्यवर, सदन की सूचना के लिये मैं बताता हूं कि हमारे जो 5 कवाल टाउन्स हैं उनकी फीगर्स हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन समय की परिधि से मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। इन पांचों कवाल टाउन्स में जहां पहले घाटा था वहां अब हम नफे की तरफ बढ़े हैं, हर तरफ हमने तरक्की की है जो काफी सन्तोषजनक है। पीछे से कुछ मित्रों ने ऐसी बात बतलायी कि कानपुर नगर महापालिका में चौधरी चरण सिंह जी का राज्य है और वहां उनका कोई अधिकारी है। मैं इस बात में नहीं जाता कि वहां कोई चौधरी चरण सिंह जी का कृपा-पात्र है या श्री नारायण दत्त तिवारी जी का कृपा पात्र है, मैं तो इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि वहां कोई आदमी ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा है जो देश के हित में और जनहित में नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसमें हमें सहयोग दें और विस्तृत सहायता दे सकें तो दें। केवल जनरल, किसी के खिलाफ व्यापक बात कह देना डेमोक्रेसी के हिसाब से उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की गयी है, बराबर नालियां बहती हैं और मेन होल के ढक्कन खुले रहते हैं तो क्या स्वायत्त शासन का अभियन्त्रण विभाग इस की ओर ध्यान देगा ? . . . .

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

मैंने शाही इनक्वायरी कमीशन के सम्बन्ध में जो कहा था और जो चौधरी साहब के शासन काल में बना था, उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें गिर कर मर गये थे। तब मान्यवर, गवर्नमेंट ने यह आदेश प्रसारित किया था कि सीवर और ड्रेनेज के जो होल हैं उन पर ढक्कन हों। पर मान्यवर, आज जितनी नगरपालिकायें हैं, उनमें से 70 प्रतिशत नगरपालिकाओं में जो होल हैं, उनके ढक्कन खुले पड़े हैं। उन होलों पर ढक्कन नहीं है। इसके बारे में आप कुछ बतलायेंगे ?

(हंसी तथा शोर)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं न जाने कौन से बिन्दु पर था पर इन्होंने मुझे सीवर में ले जाकर डाल दिया।

(सदन में व्यापक हंसी)

एक बात उन्होंने कही, अगर वह लिखकर दे दें तो इसका निराकरण हो सकता है। सदन का समय रोकने की यह बात नहीं है। तो मैं तो कह रहा था कि यह सीमित बात है। मान्यवर, इसके अलावा चूंकि आखिर में 5 मिनट रह गये हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ और बातें कहता। जैसा माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने कहा कि 480 फीट के अन्तर पर पानी का पाइप होना चाहिये। जो सुझाव उन्होंने दिया यह मुझे अच्छा लगा मैं एक निवेदन करूंगा कि जहां गरीबों की बस्ती है वहां ऐसा करने से बहुत फायदा हो सकता है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह का प्रयास करूंगा, इसका एक्जामिनेशन करूंगा और यदि संभव हो सका तो करूंगा। मान्यवर, इस तरह से और सारी बातों को मैं छोड़ता हूं।

एक सदस्य---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(माननीय सदस्य ने स्थान ग्रहण कर लिया)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

अभी एक माननीय सदस्य ने मोदी नगर के बारे में बताया। मोदी नगर के बारे में हाई कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा मोदी नगर के बारे में 5 मिनट की परिधि में मैं नहीं बता सकता। अगर माननीय सदस्य चाहें तो पूरा ब्योरा दे सकता हूं। मैंने पूरी पत्रावली का अध्ययन किया है। मैंने 3-4 निरंतर मुख्य मंत्रियों के आदेश देखे और उसी आधार पर मोदी नगर की स्थिति के बारे में जो आदेश हैं उनके पक्ष में मैंने व्यवस्था भी दी। एक साही रिपोर्ट के बारे में जिक्र हुआ। उसको मैं देखूंगा। मैं मान्यवर, केवल इतना निवेदन करते हुये सारे माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उनको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये हैं उनका मैं आदर पूर्वक अध्ययन करूंगा और जो संभव होगा अवश्य करूंगा।

मैं माननीय मालवीय जी से इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें और एक नये अध्याय का सूत्रपात करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, आप मेरे प्रस्ताव को मान लें, यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना हो जायगी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9---भूमि और भवन कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सरदार जी वोट का वक्त है। वोट के समय बात नहीं करना चाहिये वोट करना चाहिये। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,89,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,99,90,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम---स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,25,55,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे---

आवाज बड़ी जोरदार रही।

श्री अध्यक्ष---

आवाज चाहे जोरदार हो या कम हो। आप चाहते हैं तो आपके अनुसार, हृदय की आकांक्षाओं के अनुसार निर्णय देते हैं। जो आपकी इच्छा होती है वह निर्णय होता है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

विरोधी दलों को बड़ा अच्छा है कि आप दिल की बात जान जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप दिल के पक्ष में नहीं हैं, दिमाग पर जोर देते हैं। लेकिन दिल तो अपना स्थान रखता ही है।

इलाहाबाद में क्रिकेट मैच में पुलिस द्वारा लाठी, आंसू गैस व गोलियों की वर्षा के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की सूचनायें बाद में लेंगे। पहले इलाहाबाद के बारे में लेते हैं। इलाहाबाद में 7 फरवरी, 1975 को हुए क्रिकेट मैच में पुलिस द्वारा जनता एवं छात्रों पर गोली, लाठी और आंसू गैस की वर्षा के संबंध में दिनांक 13 मार्च, 1975 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (नत्थी 'ख') के विषय में सर्वश्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा मुहम्मद असरार अहमद द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, क्रिकेट मैच के खिलाड़ी श्री सी0 एस0 नायडू बीमार रहते हैं इसलिये कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये क्रिकेट बेनीफिट मैच इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भीड़ वहां पर जरूरत से ज्यादा हो गयी क्योंकि जो सरकार से प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि दर्शकों की संख्या काफी थी जबकि स्टेडियम में 15 हजार लोगों के बैठने का स्थान था। वहां पर कुछ गड़बड़ी हुयी और उसके बाद बहुत ही बुरी तरह से निर्मम लाठी प्रहार वहां के छात्रों पर और नागरिकों पर किया गया। यही नहीं हुआ बल्कि वहां से कुछ दूर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक होस्टल मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कालेज के अन्दर पुलिस ने घुस कर अश्रु गैस के गोलों से प्रहार किया, लाठी चलाई, कमरों में घुसकर छात्रों पर प्रहार किया, दरवाजों के शीशों को तोड़ा। जब इस प्रश्न को उठाया गया था तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है और इस आरोप को निराधार बतलाते हुए सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरे दिन मैं स्वयं इलाहाबाद गया और चार अन्य विधायक, सर्वश्री हर प्रताप सिंह यादव, अठई राम, जंग बहादुर सिंह पटेल, बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा संसद सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र के साथ हिन्दू होस्टल में गया और वहां के छात्रों से सम्पर्क स्थापित किया, होस्टल के वार्डन डाक्टर कृष्ण लाल से भी सम्पर्क स्थापित किया। हिन्दू होस्टल में कमरा नं0 106 में एक लड़का महेश सिंह था जो एम0 ए0 प्रीविय्स इन पोलिटिकल साइंस का छात्र था, उसका हार्निया का आपरेशन हुआ था, चार दिन पहले महेश सिंह छूट कर आया था लेकिन पुलिस वालों ने कमरे में घुसकर उसे निर्ममता पूर्वक लाठियों से मारा और उसके सर तथा हाथ पर चोटें आ गईं तथा फ्रैक्चर भी हुआ। दूसरा एक लड़का था वी0 के0 राव उसको भी होस्टल के कमरे में घुसकर पुलिस वालों ने मारा तथा डाक्टर कृष्ण लाल जो वार्डन थे हिन्दू हौटस्ल में उनका स्पष्ट आरोप था, उस सम्बन्ध में लिखित सूचना भी उन्होंने उपकुलपति को भेजी थी कि पुलिस ने उनको भी पीटा था बुरी तरह से होस्टल में घुसकर और उनके हाथ, गर्दन तथा कनपटी पर चोट आई थी।

वहां पर एक दुकानदार था विजय कृष्ण अग्रवाल, उसे भी पुलिस वालों ने पीटा, एक दूध वाला था सुन्दर लाल उसे भी पीटा और एक लड़का था अनिल मलिक जो टेगौर टाउन में रहता है उसको भी पीटा गया। इस सबके होने पर भी जो जिलाधिकारी इलाहाबाद के थे और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिये जो रपट माननीय मंत्री को भेजी थी उसी आधार पर उन्होंने सदन में वक्तव्य पढ़ कर सुना दिया था। मेरी निश्चित राय है कि हिन्दू होस्टल के प्रांगण में घुसकर पुलिस ने छात्रों, वार्डन को मारा, शीशे तोड़े और दो अश्रु गैस के गोले स्वयं डाक्टर कृष्ण लाल ने दिये जिनको मैं सदन में इसके पूर्व दिखा भी चुका हूं और उन गोलों पर लिखा हुआ था "मेड इन यू0एस0ए0"। इसी बात को छिपाने के लिये जो वक्तव्य पढ़ा गया है उसमें यह कहा गया है कि हिन्दू होस्टल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर से गोली चलाई गयी, हथगोले फेंके गये। शासन की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रावास के लड़कों ने पुलिस पर हथगोले फेंके और पुलिस के ऊपर गोली चलाई। हम लोगों का यह कहना है और हमारी यह निश्चित जानकारी है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आंसू गैस के गोलों का मिलना जिसमें कि मेड इन 0 यू 0 एस 0 ए 0 लिखा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये और उसके पूर्व इस बात की आवश्यकता है कि बार-बार यह कहा जाता है कि होस्टल के अन्दर या विश्वविद्यालय प्रांगण के अन्दर पुलिस तभी जाती है जब वहां के उप-कुलपति या प्राक्टर पुलिस को बुलाते हैं। इस मामले में इन अधिकारियों ने पुलिस को नहीं बुलाया। सबूत इस बात का है कि होस्टल के अन्दर घुसकर छात्रों को मारा गया, अश्रु गैस के गोले फेंके गये जिनको कि मुझे और मेरे अन्य साथियों को होस्टल के वार्डन श्री कृष्ण लाल ने दिया। वहां पर इसकी वजह से स्थिति खराब है और उसके संदर्भ में वहां के अधिकारी अकर्मण्य हो गये हैं। इनका काम केवल यह रह गया है कि छात्रों को पीटना, गरीबों को पीटना, छोटे-छोटे दुकानदारों को पीटना, छात्रों को मीसा और गुंडा ऐक्ट में रखना, यह सब इनका काम रह गया है। मैं जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये। कहा जाता है कि आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। अपनी निजी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मेरा निश्चित आरोप है कि पुलिस ने अन्दर घुस करके छात्रों को मारा, आंसू गैस के गोले फेंके।

मान्यवर, इसी सरकार ने केवल एक देवरिया के विधायक का वहां के इंजीनियर से झगड़ा होने की वजह से ही न्यायिक जांच बैठाई है लेकिन जब मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था तो सरकार ने यह उत्तर दिया कि चूंकि घटना के सम्बन्ध में आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं इसलिये डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच करवाई जा रही है। मैं चाहूंगा कि यह मामला बहुत गम्भीर है, बड़ा महत्वपूर्ण है और वहां के अधिकारियों ने अपने कुकृत्यों के ऊपर परदा डालने की कोशिश की है। वहांपर रोज डकैती पड़ रही है। अभी हाल ही में 1 लाख रुपया की सरकारी डाकखाने में डकैती पड़ी है। वहां पर जिलाधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं और जो वर्तमान ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं वे भी ध्यान नहीं देते है। केवल छात्रों को पीटने में इनका सारा दिमाग लगा हुआ है। मैं इस बात की जोरदार मांग करता हूं कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनको तत्काल निलम्बित किया जाय और मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की जाय।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, माननीय सदस्य इलाहाबाद ने जो इस चर्चा को प्रस्तुत किया है उसके कुछ तथ्य तो निर्विवाद हैं और उनका उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में भी किया है। यह सही है कि महान क्रिकेटियर श्री सी 0 एस 0 नायडू की सहायतार्थ इलाहाबाद क्रिकेट एसोसियेशन की ओर से तारीख 7 फरवरी को मदन मोहन स्टेडियम एलफ्रेड पार्क, इलाहाबाद में एक बेनिफिट क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। सम्मानित माननीय सदस्य ने भी स्वीकार किया है कि यह श्री सी 0 एस 0 नायडू के सहायतार्थ बेनिफिट क्रिकेट मैच था जिससे कुछ धन उनके लिये जुटाया जा सके। इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने इस पर टिकट लगाये हुये थे। श्रीमन्, स्टेडियम की सूचना के अनुसार उसमें 15 हजार आदमियों के बैठने का स्थान है लेकिन जो सूचना आयी है उसके अनुसार उस दिन 40 हजार लोग स्टेडियम के अन्दर थे उनके अलावा कुछ बाहरी भी एकत्रित हो गये थे और उसमें छात्र भी होंगे ही और इस तरह से काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। उसमे कुछ अवांछनीय तत्व भी आ गये जो बिना टिकट खरीदे स्टेडियम के अन्दर जाना चाहते थे। श्रीमन्, यह सम्भव नहीं था कि इलाहाबाद क्रिकेट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एसोसियेशन उनको बिना टिकट अन्दर बैठने दे ।। नतीजा यह हुआ कि वहां पर शुरू से ही दो प्रकार के तत्व बैठे हुये थे—एक टिकट वाले और दूसरे बिना टिकट अन्दर जाना चाहते थे। आधे घंटे में गड़बड शुरू हो गयी, बाहर के लोग अन्दर जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के अधिकारियों ने उनको रोका कि आप बिना टिकट के अन्दर नहीं जा सकते। इतने में विश्वनाथ जो मशहूर खिलाडी हैं क्रिकेट में उन्होंने एक छक्का लगाया और उनका छक्का लगते ही बड़ा हंगामा हुआ और जो बाहर लोग थे वे जबरदस्ती अन्दर घुस गये और सब जगह अस्तव्यस्तता हो गयी। जहां हर प्रकार के दर्शक हों स्टेडियम के अन्दर वहां इस के कारण खेल बन्द हो गया। तो पुलिस ने कोशिश की कि खेल बन्द न हो क्योंकि हजारों लोग वहां टिकट लेकर मैच देखने के लिये आये थे तो यह हुआ कि मैच चले, लेकिन नहीं चल सका।

आखिरकार वहां एक हल्का लाठी का प्रयोग हुआ और उसके बाद जो भीड़ बाहर निकली तो उसके नजदीक ही हिन्दू हास्टल है, जो चारों तरफ से भीड़ निकली तो हिन्दू हास्टेल के पास जो पुलिस के लोग ट्रकों पर थे उन पर पथराव शुरू हो गया। मैं नहीं कहता कि छात्रों ने ही पथराव किया, अवांछनीय तत्वों ने ही पथराव किया होगा क्योंकि आजकल हर जगह अवांछनीय तत्व छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही है कि खेल अधूरा ही रहा और इसलिये वह भी नाराज होंगे लेकिन यह भी सही है हिन्दू हास्टल के पास पथराव शुरू हो गया। मैंने शुरू में स्वीकार किया इसके बाद गोली पुलिस द्वारा चलाई गयी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पथराव हो रहा था, जो ईंट और पत्थर जहां फेंके जा रहे हों उस समय मेरी इत्तिला जो है वह यह है कि भीड़ में से किसी ने छुरे चलाये। अब इसकी जांच वगैरह की बात तो मैं बाद में कहूंगा कि जब वह चले तो पुलिस ने अवश्य अश्रुगैस चलाई। इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मिनिमम फोर्स, जैसा कि आदेश है, वहां पर इस्तेमाल किया गया। पुलिस को भी वहां पर अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा और मेरी सूचना के अन्दर 39 पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आईं। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद जी भी घायल हुये, विद्यार्थी भी कुछ घायल हुये और यह सही है कि श्री अनिल मलिक, श्री महापात्र और श्री शंकरलाल घायल हुये और प्राप्त सूचना के अनुसार मैं अदालत की तरह तो नहीं कह सकता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस की जांच के अनुसार अदालत में जो कार्यवाही हो रही है उसमें ये लोग अभियुक्त भी नामजद हैं और यह भी अपराधी हैं

अब एक नयी बात मालवीय जी ने कही है कि वार्डेन ने उन्हें कुछ बयान दिये हैं कि वार्डेन को कुछ चोटें आयीं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना इस पत्रा-वली में नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिन्दू हास्टल के वार्डेन के द्वारा भी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है। हमने कलेक्टर की रिपोर्ट को देखा कि वार्डेन ने कोई शिकायत की। कोई जिक्र नहीं है। अब मालवीय जी ने चार पांच सदस्यों का नाम भी लिया जो उनके साथ गये थे माननीय अठई राम जी और कई माननीय सदस्य गये थे और आपने स्वयं भी जांच की। तो अगर उस रिपोर्ट की एक कापी भेज देते तो हमारे लिये ज्यादा सहूलियत होती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर कोई बात कहें तो जांच न हो। अगर कोई बात उस सम्बन्ध में उनके पास हो वह कृपा कर के अपनी रिपोर्ट हमें दे दें। जो लिखित बयान दिया है उसमें कोई बात उनकी समझ से रह गई है तो वह मेरे पास भिजवा दें। जो नये तथ्य उन्होंने बतलाये हैं उनकी अवश्य जांच करवा लूंगा।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह बात सही नहीं है कि जिलाधिकारी इलाहाबाद ने मैच शुरू होने से 3, 4 रोज पहले शासन को लिखा था कि यह मैच इलाहाबाद में न कराया जाय क्योंकि यहां पर

बहुत बड़ा छात्रों का आन्दोलन चल रहा है तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो शासन ने उनको मजबूर किया। और वहां पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां पर भीड़ घुस रही थी वहां पर पुलिस ने जिलाधिकारी और शासन के आदेशों का पालन नहीं किया। पुलिस की व्यवस्था होते हुये भी लोग वहां बगैर टिकट के जा रहे थे। जहां पर लाठी चार्ज हुआ मैं उस घटना के पास स्वयं मौजूद था और अंत तक वहां पर रहा। यह बात सही है कि वहां पर गोली भी चलाई गई और वह मैं जानता हूं कि कहां से चली मैं सदन में वह नहीं रखना चाहता हूं। पुलिस ने उनको पकड़ कर मारा मदनमोहन पार्क से लाकर मैंने हास्पिटल में उनको भेजा। मेरे को छात्रों ने टेलीफून किया कि साहब यहां पर गोली चली है.....

श्री अध्यक्ष---

आधे घंटे का समय हो रहा है आप इतनी लम्बी बात न करें.....

श्री तीरथ राम कोहली---

बहुत सी चीजें मालवीय साहब की रह गई हैं उनको मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें। आधे घंटे का समय समाप्त हो रहा है।

श्री तीरथ राम कोहली---

क्या जिला अधिकारी ने ऐसा लिख कर दिया कि यहां मैच नहीं होना चाहिये, छात्रों का आन्दोलन चल रहा है? शासन ने वहां पर पूरा प्रबन्ध नहीं किया तो इसके बारे में उनका क्या ख्याल है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, मेरे पास जो पत्रावली है उसमें कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कलेक्टर ने मना किया था और शासन ने दबाव डाला। यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, अभी मालवीय साहब ने बताया कि जो हथगोला मिला है उसमें यू0 एस0 ए0 का मार्क था क्या यह.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

वह हथगोला मेरे पास रखा हुआ है। मैं सदन में उसे नहीं लाया कि कहीं आसाम की तरह खाली हथगोला रखने पर पकड़ न लिया जाऊं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यू0 एस0 ए0 का हथगोला मलिक साहब बता रहे हैं और कोहली साहब भी वह मौजूद थे। तो उसमें यू0 एस0 ए0 की मार्किंग थी तो क्या वह पुलिस का हथगोला था या जो असामाजिक तत्व कहते हैं उनका हथगोला था?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी हथगोले पुलिस के पास हैं वह यू0 एस0 ए0 के बने हुए हैं। 1966 में जब मैं छात्र था तो उस समय के सोविनियर मेरे घर में हैं। तो वह पैनसिलवानियां के बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि दो चीजें प्रदेश के अन्दर नुकसानदेह हैं जो व्यवस्था को खराब कर रही हैं, गड़बड़ी फैला रही हैं। तो यह एक जो फिल्म के हीरो हीरोइन का शो मैच करवाते हैं इससे और यह जो दूसरा क्रिकेट का मैच बड़े घरों का ग्लेमराइज गैम है उसको मामूली लड़के फिल्म की तरह देखने

[श्री सत्यपाल मलिक]

के लिये जाते हैं। तो इन दोनों चीजों पर मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वह इन दोनों पर पाबंदी लगा दें तो प्रदेश को बहुत फायदा होगा और शांति व्यवस्था सुधरेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं पुलिस के ऊपर छात्रों ने हथगोले फेंके या कुछ किया गया। वहां पर गोली भी चलाई गई और पुलिस ने अश्रुगैस भी चलाई, पुलिस के द्वारा गोली भी चलाई गई तो यह बहुत सी बातें हैं। आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती हैं और न्यायिक जांच की मांग होती है। तो इसमें भी वह न्यायिक जांच अगर नहीं करायेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं कि इस सदन के तीन सदस्यों की या 5 सदस्यों की एक समिति बना दें जो सारे मामले की जांच करे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जहां तक विद्वान सदस्य ने पहली बात कही मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा बहुधा देखने में आता है कि जहां इस प्रकार का कार्यक्रम होता है या खेल का आयोजन होता है वहां पर अवांछनीय तत्व छात्रों में घुस कर हुड़दंग करते हैं तो यह अवश्य सोचना पड़ेगा कि ऐसे आयोजन सावधानी से हों, तनावपूर्ण वातावरण में न हों। क्योंकि अवांछनीय तत्व पहले से गुंडा गर्दी छात्रों के नाम पर करते हैं। तो ऐसी जगहों पर सावधानी से कार्य करना पड़ेगा।

दूसरा जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि एक ब्लैंकेट रूल बना दिया जाय कि मैच या सांस्कृतिक कार्यक्रम न किये जायं यह न तो वह चाहेंगे और न सदन चाहेगा। आज स्पोर्ट की दुनियां में हमारे युवक आगे बढ़े यह सभी चाहेंगे। तो इसलिये हम जहां वातावरण ठीक हो, वहीं पर इस प्रकार के प्रयास करने की आज्ञा दें, यह उचित होगा। स्पोर्ट्स जो कि कांस्ट्रक्टिव हैं, उनके लिये जहां पहले से वातावरण बना हो, वहां यह बिगाड़ी का काम करे, तो ठीक नहीं होगा। ऐसी जगहों के बारे में हमें अवश्य सोचना पड़ेगा। जहां तक उन्होंने दूसरी बात कही कि न्यायिक जांच हो या सदन के सदस्यों की समिति द्वारा कोई जांच हो, मैंने स्वयं इस बात को कहा कि माननीय सदस्यों ने जो स्वयं जांच की है और जो उन्होंने वार्डेन का उल्लेख किया है, मैं चाहूंगा कि वह रिपोर्ट और वार्डेन का बयान मुझे मिल जाए। सदन के सदस्यों की समिति, सदन तो गवर्नमेंट को बनाने वाला है, माननीय सदस्यों की रिपोर्ट में प्रायः देखा यह गया है कि नोट आफ डिसेंट इतने हो जाते हैं कि निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एक्जीक्यूटिव टाईप जो जांच है, उसको करने में समिति को दिक्कत होती है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने जांच की है, उसको मेरे पास भेज दें और जो उन्हें वार्डेन ने दिया है, उसे भी मेरे पास भेज दें, सब देख लिया जाएगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अभी जैसा मंत्री जी ने कहा 15 हजार लोगों के लिये सीट थीं और यह जानकर कि इस प्रकार का मैच हो रहा है वहां 40-50 हजार लोग जुट गये। क्या इससे यह परिलक्षित नहीं होता है कि ऐसा वातावरण देश और प्रदेश में व्याप्त है कि चन्द लोग अपनी सुख-सुविधा के लिये, मनमाने ढंग से कमाए गये अपने पैसे का अनाप-शनाप उपयोग करते हैं, जो कि सामान्य और अधिकांश जनता के लिये सम्भव नहीं है और वह जनता उसे स्वीकार नहीं कर सकती है ? मंत्री जी क्या परिस्थिति को देखकर इस बात का निर्णय लेंगे कि इस प्रकार के आयोजन नहीं होने दिए जाएं ? क्या मंत्री जी भविष्य में इस बात का ख्याल रखेंगे कि जहांपर घनी आबादी है, कानपुर और इलाहाबाद ऐसे नगरों में जहां गरीब लोग ज्यादा बसते हैं वहां पर इस प्रकार के आयोजन न किए जाएं ? सुनने में तो यह भी आया है कि वहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी की भी वारदातें हुई ? तो इस प्रकार के जब कारनामें हों तो वहां पर पुलिस जूरिस्डिक्शन आ ही जाता है एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी को समझता है। तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार का वातावरण पैदा

न होने दिया जाए ? मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि चन्द सुविधा प्राप्त लोगों के लिये कोई प्रोग्राम न हों कल्चरल या अन्य किस्म के ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य से सिद्धान्ततः सहमत हूं कि ऐसे प्रयास या आयोजन जो एक्सक्लूसिव प्रकार के हो जाते हैं उनसे सामान्य जनता को शिकायत हो जाती है। तो इस बात का प्रयास पहले भी किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश भी दिए हैं कि इस प्रकार से खामख्वाह ट्रबुल न इन्वाईट किया जाए और विशेष वर्ग की सहूलियत के कार्य बहुत ठीक नहीं हैं। बिना किसी कारण अपने पर बवाल देना ऐसे आयोजन करके जिसमें चन्द लोगों को सुविधा होती है और बहुसंख्यक लोग चिढ़ जाते हैं, ठीक नहीं है। माननीय सदस्य वड़ौत और वह यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कई ऐसी परिस्थितियों में अशान्ति का शमन किया है। हमें आशा है कि हम उनके अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मैं यही आपसे आशा करता था सुबह से कि आप मेरा नाम लेंगे। इसीलिए उठता बैठता रहा हूं। मालवीय जी ने जो बात व्यक्त की है और जो उधर से कहा गया है, उससे यह जाहिर होता है कि शुरूआत पहले पुलिस की ओर से की गई। आपने यह वर्णन किया कि छात्रों के नाम मुकदमें कायम कर दिए गये हैं। तो मैं यह जानना चहता हूं कि जो छात्र मारे गये, पीटे गये, उनकी ओर से कोई मुकदमें लिखाए गये या नहीं और वे किस धारा में लिखे गये ? तथा इस सम्बन्ध में जो छात्र गिरफ्तार किए गये, क्या आप उन्हें छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी यह मामला चल रहा है। वक्तव्य में भी इसका उल्लेख किया था। करीब 29 छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से तीन चार अभी फरार हैं, बाकी सभी जमानत पर छूट चुके हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय---

किस दफा में गिरफ्तार किये गये ? 395, 392 जरूर होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दफाएं इतनी हैं लम्बी चौड़ी, 147/148/149/332/336/435/436/427/337/307।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही, सांस्कृतिक समारोह होता है, जो अश्लील, वासनात्मक, व्यभिचार के कार्य हैं उन्हें सांस्कृतिक समारोह का नाम दे रहे हैं। कलकत्ते में रवीन्द्र सरोवर में जो कांड हुआ जिसमें सैकड़ों महिलाओं का शील भंग किया गया, कांग्रेसी हुकूमत में इस प्रकार के कांड होते हैं। इन्हें सांस्कृतिक समारोह मत कहिए। "सांस्कृतिक" जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग मत कीजिये, कि उसका व्यवहार बड़ा खराब होने लगे।

श्री अध्यक्ष--

उसके स्थान पर क्या कहें ? जैसे उन्होंने कहा अभिनेता अभिनेत्रियों का जहां समारोह हो, उसे "सांस्कृतिक" उन्होंने अच्छे ढग से कहा।

श्री पुरुषोतम कौशिक--

दूसरा जो मूल प्रश्न है उसके बारे में कहना चाहता हूं। ढाई वर्ष से उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थिति ऐसी हो गयी है.....

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इस प्रदेश की प्रतिष्ठा गिर रही है, क्या इस निरंकुश आचरण पर अंकुश लगाएंगे ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

तिवारी जी के बयान से स्पष्ट हो गया, छात्रों के ऊपर एकतरफा मुकदमा कायम कराया। मालवीय जी ने जो मांग की है, लगता है कि पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा करके मारा है, लेकिन एकतरफा कार्यवाही की गयी है लड़कों पर। मैं मालवीय जी की भावना से सहमत हूं, क्या वह जुडिशियल इनक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि यही दिखायी पड़ रहा है सब जो काम किया एकतरफा कार्यवाही की है कि लड़के ही जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष--

समय देखिए एक मिनट है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या जुडीशल इनक्वायरी की मांग को मान कर इस इनक्वायरी को ठप करेंगे और किसी जुडीशल मैजिस्ट्रेट से इनक्वायरी कराएंगे आप ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं पहले ही अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुका हूं। साथ में यह भी निवेदन किया है कि जो आपने जांच की है कृपया मेरे पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष---

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय के खड़े होने पर) अब आध घंटा समाप्त हो गया।

फर्रुखाबाद जनपद की मन्डी में विभिन्न प्रकार के आलू की कीमतों में भारी मन्दी के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो इस समय फर्रूखाबाद जिले के ही नहीं प्रदेश के तमाम आलू उत्पादकों के सामने जो विषम परिस्थिति आयी है, उसके सम्बन्ध में कुछ बात रखना चाहता हूं। दिनांक 13 मार्च को मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था जिस पर आपने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न करने की स्वीकृति दी थी, जो 21 मार्च को आया था। उस समय माननीय मंत्री ने जो उसका उत्तर दिया था, उसको चार हिस्सों में बांटा गया था। (1) फर्रूखाबाद जनपद में अधिक से अधिक मात्रा में रेल द्वारा आलू अन्य प्रदेश को भेजने के लिये प्रचुर मात्रा में रेल के खाली डिब्बे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। (2) प्रदेश के उन सभी शीतगृहों को जो राजविद्युत परिषद 'सब स्टेशन से सीधी फीडर लाइन से जुड़े हैं, 18 घंटे प्रति दिन विद्युत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करा दी गयी है। उन शीतगृहों को जो सीधी फीडर लाइन पर नहीं हैं सीधी फीडर लाइन पर लाने में प्राथमिकता देने का प्रबन्ध करा दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा फर्रुखाबाद मंडी से आलू के क्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशों को आलू का निर्यात करने पर विचार किया जा रहा है।

मान्यवर, यह बड़े खेद की बात है कि सारे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक भयंकर मन्दी का शिकार रहे सिवाय इसके कि यह प्रयास हो रहा है वह प्रयास हो रहा है और कुछ नहीं हो सका जिससे किसानों को राहत मिल सकती। प्रदेश के किसानों ने कड़ी मेहनत के साथ आलू का उत्पादन किया और उसको उसकी लागत मूल्य तक नहीं मिला।

पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारियों ने अपने कानों में तेल डाल लिया। उत्पादकों की कराहट तथा हम लोगों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच सकी। उनकी वही हालत थी जैसे कि रोम जलता रहा और नीरो सितार बजाता रहा।

1972-73 में आलू का उत्पादन काफी अच्छा हुआ था और इस बार और भी अच्छा हुआ है। फर्रुखाबाद, कमालगंज तथा फतेहगढ़ से आलू का लदान होता है। 1972-73 में मार्च के अन्त तक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इन स्टेशनों पर 5106 बैगन दिए गए थे। इस साल 21 जनवरी, को मैंने और एक मेरे साथी विधायक माननीय राजेन्द्र सिंह जी यादव ने रेलवे अधिकारियों, रेलमन्त्री तथा रेलवे बोर्ड को टेलीग्राम दिए कि यदि रेल अधिकारियों ने समय पर वैगन सप्लाई नहीं किए तो किसान बुरी तरह से तबाह हो जायगे। लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। मार्च के अन्त तक केवल 3919 वैगन्स पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मिल सके। इससे किसान बुरी तरह से पिस गया और उसका आलू भूसे से भी कम दाम पर बिका। आलू के उत्पादन की लागत 40 रुपए क्विन्टल आई थी और उसको केवल 17 रुपए क्विन्टल के दाम मिले। इस तरह से 15 करोड़ रुपए की क्षति फर्रुखाबाद के आलू उत्पादकों को हुई। इसके अलावा 5 लाख व्यक्ति जो इसमें लगे हुए थे वे तबाह हो चुके हैं।

टाइम्स आफ इन्डिया में खबर निकली कि हमारे मन्त्री जी लाइब वायर हैं। हमारें प्रदेश को गौरव है कि हमारे मन्त्री जी लाइब वायर हैं। इसका फायदा आलू उत्पादक भी पा जाते तो बड़ा अच्छा होता। कोल्ड स्टोरेज को 18 घन्टे बिजली देने के आदश दिए गए वह भी कागजी आदेश हैं। मैंने एक फीडर लाइन का मन्त्री जी को चार्ट 10 मार्च, 1975 से लेकर 5 अप्रैल तक का दिया है कि इस फीडर लाइन से कोल्ड स्टोरेज को कितने घंटे और कितनी बिजली मिली। किसी भी दिन औसतन 14 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली। यह आदेश केवल कागज पर ही रह गया है और उसका कार्यान्वियन नहीं हो रहा है। कृषकों को फायदा नहीं हो रहा है। दूसरे, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदेश भर में 6.50 लाख टन की है और आलू बहुत ज्यादा लेकिन फिर भी जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। इसके लिए मन्त्री जी ने डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स 114 के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज आर्डर संशोधन करके 12 रुपए 50 पैसे क्विन्टल का रेट कोल्ड स्टोरेज का फिक्स कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्री जी लाइब वायर हैं। वह अपने आदेशों का कार्यान्वियन भी कराना जानते हैं। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि यह रेट कागज पर ही है और मालिक लोग 15 रुपए से 18 रुपए क्विन्टल के रेट से ले रहे हैं। लेकिन इस आदेश में भी एक डिफेक्ट है कि इसमें एक्सट्रा चार्जेज डिफाइन नहीं है। इसलिए मालिकन एक्सट्रा चार्ज की शकल में लेते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि भारतीय खाद्य निगम तथा दूसरी अन्य संस्थाओं के द्वारा आलू खरीद कराने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली दफा जब मन्दी आई थी तो एफ 0 सी 0 आई 0 ने 30 हजार टन आलू खरीदा था और दूसरे प्रदेशों में भेजा था और उसको आठ लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। यह दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश में आप इसको प्रारम्भ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट आफ इन्डिया के 21 मार्च के एक प्रेस नोट के अनुसार पंजाब में नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा परचेज शुरू कर दी गयी है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन पंजाब की मारकेट में परचेज शुरू कर दिया और पंजाब आलू उत्पादक तबाही से बच गया। आज भी मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और आसाम में आलू का भाव 65 और 75 के बीच में है। अगर आप प्रयास करें तो अब भी आलू उत्पादकों को बचाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी खरीद की व्यवस्था करें 80 फीसदी आलू उत्पादक तबाह हो चुके हैं। लेकिन जो 20 प्रतिशत बाकी हैं उनको बचाने के लिए आवश्यक है कि अविलम्ब व्यवस्था की जाय। सपोर्ट प्राइस तय करके किसी भी एजेन्सी द्वारा अविलम्ब खरीद प्रारम्भ करायी जाय। यही एक मात्र समस्या का हल है।

[श्री बिमल प्रसाद तिवारी]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि यह असंगत मालूम होता है कि एक तरफ तो आप कहें कि उत्पादन बढ़ाया जाय और दूसरी तरफ 106 रुपए रेट की खाद खरीद कर किसान उत्पादन बढ़ाए और वह उसके बाद मिट्टी के मोल बिके बाजार में आलू को कोई पूछ भी नहीं रहा है। इसलिये एक सुझाव और देना चाहता हूं कि लम्बे अर्से में इसकी रक्षा के लिए आप पोटेटो डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना करें, जो लम्बे-लम्बे किराये किसानों के लेकर उनका शोषण करते हैं। उनकी क्षमता पर गन्ना संघ की भांति सेस लगा कर इस पोटेटो डेवलपमेंट कारपोरेशन को कायम करें, जो आलू उत्पादकों की रक्षा के काम करे। आप कोई ऐसी इन्डस्ट्री डलवाने की भी व्यवस्था करें जो आलू पर आधारित हो, कोई ऐसी एग्रो इन्डस्ट्री कायम करें जैसे चिप्स की हो या और किसी चीज की हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रदेश के और विशेष कर फर्रुखाबाद जिले में आलू उत्पादकों के मायूस होने की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है उससे अधिकांशतः सत्यता है। प्रदेश की सरकार ने निरन्तर पहली मार्च से इस प्रकार का प्रयास किया है कि किसी प्रकार कुछ व्यवस्था में सुधार आ जाय। यह हो सकता है कल माननीय तिवारी जी ने यही बात बतायी थी और मैंने राज्य विद्युत परिषद के चेयरमैन साहब को बुलाया था, उनके सामने भी यह बात रखी गई। विद्युत परिषद कोशिश में है कि अधिक से अधिक विद्युत कोल्ड स्टोरेज को दिया जाय। गत वर्ष के मुकाबिले इस वर्ष सुधार हुआ है। तमाम विद्युत गृहों से जानकारी मंगाई है कि किस-किस कोल्ड स्टोरेज को किस-किस फीडर का कितनी-कितनी बिजली मिलती है। यह सूचना आ जायगी तो मालूम हो जायगा कि कितनी और सुधार की आवश्यकता है। बुलन्दशहर जिले में जहांगीराबाद का मामला जब मेरा नोटिस में लाया गया तो 31 मार्च को यहां आते ही मैंने आदेश दिया और मुझे कल ही बताया गया है कि चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आदेश दे दिया है तथा वहां की लाइन खींची जा रही है और भी जो हैं, उनको भी विद्युत दी जा रही है, जैसे कसिया में तथा और भी दो एक जगहों पर बिजली दी जा चुकी है जिनका निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त मैं पहली मार्च को इसी काम के लिए दिल्ली गया था और वहां जाकर रेजीडेंट कमिश्नर से इस बात की कोशिश की कि दूसरी स्टेट्स से और विदेशों से इस बात की जानकारी हासिल करें कि कहां-कहां आलू की आवश्यकता है जहां हम अपने प्रदेश से भेज सकते हैं। मान्यवर, वह निरन्तर कोशिश करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हमारे निदेशक हैं उद्यान के वह 2 बार दिल्ली भेजे गए और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। मैं 16 मार्च को पुनः दिल्ली गया और श्री जगजीवन राम जी से बातचीत की और रेजीडेन्ट कमिश्नर से भी बातचीत की कि एफ0 सी0 आई0 मैदान में आ जाए और वह आलू खरीदना आरम्भ कर दे। मैंने माननीय मौर्य साहब से और शिन्दे साहब से भी बातचीत की है और नेफेड के अधिकारियों से भी बातचीत की। सभी ने एक ही बात बतायी कि उत्तर प्रदेश की कोई एजेन्सी आलू खरीदकर उसको दे तो स्वीटजरलैंड खरीद सकता है मलेशिया और ईराक से भी मांग आयी है। आसाम में मान्यवर, और आपके बाम्बे में यहां के मुकाबले में दाम अच्छे हैं। लेकिन कौन एजेन्सी भेजे ? प्रदेश में खाद्य निगम की मीटिंग की और उसके चेयरमैन दिल्ली गए ताकि सुपर मार्केट दिल्ली की आवश्यकता को देख लें और यहां से आलू खरीद कर वहां भेजे जा सकें।

श्री दिवाकर देव बम्बई गए हैं वह वहां इसकी मांग को देखेंगे। मैंने मुख्य मन्त्री जी से बातचीत की है। 5 लाख का आलू उत्तर प्रदेश खाद्य निगम भेज सके तो उसके लिए भी बातचीत हो रही है। 28 मार्च को मान्यवर, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव श्री ओ0 पी0 सिंह साहब यहां पर आए थे। उनकी मुख्य मन्त्री जी की बातचीत हुई। वह भी

निरन्तर इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं कि आलू खरीद कर दूसरे प्रदेशों में भेजा जा सके। इसीलिए इस तरह की कोशिश हो रही है। विलम्ब का कारण यह है कि कोआपरेटिव फाइनेन्शियल फेडरेशन है वह भी तैयार नहीं हुआ और न एफ0 सी0 आई0 ही तैयार हुआ।

जहां तक रेलवे वैगन का सम्बन्ध है, 1972 और 1973-74 के मुकाबले में इस वर्ष रेलवे वैगन जरूर ज्यादा मिले हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता छोटी लाइन के वैगनों की थी वह नहीं मिल पाए। रेलवे मन्त्री, भारत सरकार को लिखा गया है कि वह हमें अधिक रेलवे वैगन उपलब्ध करावें। मान्यवर, यह सब बातें स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी एजेन्सी तैयार नहीं है जो आलू को खरीद कर उसको दूसरे प्रदेश में भेज सके। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि पोटेटो डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जाए। यह प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है जिससे कि उसका विकास किया जा सके। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आलू खरीदने की एजेन्सी को बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैंने यह आदेश दिया है कि 4 बातों की तरफ हम ध्यान रखेंगे, एक तो उत्पादन बढ़े और दूसरे भन्डार की व्यवस्था हो। भन्डार में इस समय 6 1/2 या पौने सात लाख टन की स्टोरेज की व्यवस्था है। इसलिए उसके अतिरिक्त स्टोरेज की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा। मारकेटिंग की व्यवस्था पर भी विचार करना होगा प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन और चिप्स बनाने के कार्य की ओर भी विचार करना होगा। और बोडका बनाने या और कोई चीज बनाने की ओर भी विचार करना होगा। हम इन 4-5 बातों को साथ-साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उन पर भी विचार कर लिया जायगा।

इस समय हमने शीत गृहों में आलू रखने का भाव 12 1/2 रुपया प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है लेकिन बहुत सी जगहों में इसके खिलाफ 18 और 21 रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं। सभी शीतगृहों का निरीक्षण हमारे एस0 डी0 एम0 और डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर कर रहे हैं। कानपुर में 4 आदमी पकड़े गए हैं, जिनको डी0 आई0 आर0 में बन्द किया गया है 2-3 शीतगृह इलाहाबाद के भी हैं जिन्होंने 13 रुपए के हिसाब से चार्ज किया है। इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आई हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे लिख कर दे सकें, शहादत और सबूत दिलवा सकें तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस प्रकार के कानून का उल्लघंन करने वालों में से एक भी आदमी बच नहीं सकेगा जिससे प्रदेश के किसान और उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सके। इस सिलसिले में माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहता हूं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

प्रश्न पूछने के पहले मैं एक किस्सा माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि कोई चूड़ी बेचने वाला अपने सिर पर चूड़ी का गट्ठर रख कर बेचने जा रहा था। रास्ते में 2-3 बदमाशों ने उसे रोका और उसकी गठरी पर लाठी मार कर पूछा कि इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि एक और लाठी मार दो, फिर पूछिए कि इसमें क्या है? तो माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में केवल यह कहा है कि फलां अफसर फलां जगह गया है और हमारा यह इरादा है प्रश्न यह है कि आज फर्रुखाबाद जिले में आलू की बंटाई पर लोग खुदवाना चाहते हैं लेकिन कोई खोदने वाला नहीं है जितनी लागत आती है वह मजदूरी में लग रही है, वहां के उत्पादक लोग परेशान हैं। वे लोग अपना खेत खाली करवाना चाहते हैं लेकिन कोई खोदने के लिए तैयार नहीं होता है? तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई अविलम्ब कदम उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या नहीं आपने जो बातें कही हैं, ये तो लांग रेन्ज पालिसी की बातें हैं। वह तो अगले वर्ष तक होती रहे तो अच्छा है लेकिन तुरन्त आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने अभी बताया कि एक तो अतिरिक्त रेलवे वैगन्स की छोटी लाइन से फर्रुखाबाद से 100 वैगन्स प्रति दिन के हिसाब से हमने मांग की है। हमें केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि वे मिलेंगे। तो एक तो हम आसाम और कटिहार आदि स्थानों को इन वैगनों द्वारा आलू भेज सकेंगे, इससे यहां पर भाव में वृद्धि भी होगी और वहां के उपभोक्ताओं को लाभ भी होगा। दूसरा विदेशों जैसे ईराक, स्विटजरलैन्ड और मलेशिया से भी बात की जा रही इस सम्बन्ध में श्री दिवाकर देव, जो उत्तर प्रदेश खाद्य निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बम्बई गए हैं और माननीया खाद्य मन्त्री जी आज दिल्ली गयीं हैं। दूसरे श्री गोपीनाथ दीक्षित जो चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश खाद्य निगम के, वे भी दिल्ली गए हुए हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं में यह व्यवस्था कर रही है कि वे तुरन्त 10-15 लाख रुपए लगाकर आलू खरीदेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने बताया कि आज ही मुख्य मन्त्री जी की उपस्थिति में यह चर्चा हुई थी कि 5 लाख रुपए लगाए जायं। उसके लिए श्री दिवाकर देव बम्बई गए हुए हैं और इधर गोपी नाथ दीक्षित दिल्ली गए हैं यह देखने के लिए कि कहां-कहां आवश्यकता है और कहां-कहां पर आलू भेजा जा सकता है। इस बात को देखकर जल्द से जल्द खाद्य निगम इसको खरीदने की कोशिश करेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

चिड़ियाघरों में आलू की बहुत खपत होती है। सरकार चिड़ियाघरों के लिए आलू खरीदे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

यह आलू का संकट फर्रुखाबाद तक ही नहीं है पहाड़ों में भी यह संकट हमारे सामने है जबकि हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश का आलू वहां की सरकार कोशिश करके उसकी मारकेटिंग कर रही है और हमारे पहाड़ का आलू हिमाचल जा कर वहां ग्रेडिंग हो कर मार्केट में बिक रहा है। तो जो आप बाहर आलू भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं तो इन पहाड़ों का जो बेहतरीन आलू है क्या आप उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

इस प्रदेश में ज्यादा पैदा हो जाय तो मुश्किल न पैदा हो तो मुश्किल। मैं एक प्वाइन्ट लेता हूं। कोल्ड स्टोरेज में रखने का गवर्नमेंट रेट साढ़े 12 रुपए है। कृषि मन्त्री जी ने यह भी कहा कि अगर कोई सूचना देगा तो मैं कार्यवाही करूंगा। यह हमारी जानकारी है कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज साढ़े 12 रुपए पर नहीं रख रहा है, सब ज्यादा पर रख रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए कि आलू का उत्पादन बढ़ाया जाय और उसके रखने की उचित व्यवस्था भी की जाय क्या माननीय कृषि मन्त्री और सरकार इस प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सुविधा शीतगृहों की करेगी और मौजूदा शीतगृहों के राष्ट्रीयकरण की बात सोचेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

राष्ट्रीयकरण करने की बात तो नीति का प्रश्न है, मैं कह नहीं सकता लेकिन वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की जो उत्तर प्रदेश में ब्रांच है उससे भी बातचीत की थी कि वह भी बनवायें, एग्रो से भी बातचीत की है कि वह भी बनवायें और कोशिश करूंगा कि अगर कोआपरेटिव बेसिस पर बनवा सकूं तो वह भी करूंगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय मन्त्री ने जो बयान दिया कि प्रदेश में 428 शीतगृह हैं और राज्यपाल ने 20 मार्च को एक आर्डिनेन्स निकाला कि साढ़े 12 रुपए प्रति क्विन्टल चार्जेज होंगे। यह अखबार की कटिंग है, 26 जिलों की कटिंग की है.....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें आप।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं प्रश्न कर रहा हूं। जो आपने यह कहा कि खाली इलाहाबाद और कानपुर के कोल्ड स्टोरेज को बन्द किया गया है, तो जो इन अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ है माननीय मन्त्री जी को यह जरूर मिला होगा, तो क्या इस बात को सही मान कर कि उत्तर प्रदेश के कोई भी कोल्ड स्टोरेज में लोग आलू नहीं रख रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बात को सही मान कर कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा मूल्यों पर आलू रखा गया है इन कोल्ड स्टोरेजेज के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए डी0 एम0 को आदेश देंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं अगर कोई माननीय सदस्य या प्रदेश का कोई आदमी तथ्यों के साथ लिख कर दे सके।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

25 लाख टन आलू की पैदावार है और साढ़े 6 लाख टन की कोल्ड स्टोरेज में जगह है। तो गवर्नमेंट जानती थी कि इतनी पैदावार होगी फिर भी कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से उसके रखने का नहीं किया गया। तो क्या जिस तरह से गेहूं की लेवी प्राइस 105 रुपये क्विन्टल है यह सम्भव होगा कि 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट निकाल कर 40 रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से आलू खरीद कर आसाम और गुजरात जहां 70 रुपए क्विन्टल का भाव है वहां भेजेगी और किसानो को जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए कोई प्रयत्न करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने तो बताया कि हम प्रयत्न कर रहे हैं और 2-3 दिन के अन्दर शायद कुछ खरीद सकेंगे।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

मैं कमालगंज जिले से आता हूं और वहां पर सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। मैंने एक प्रश्न भी किया था कि वहां पर ड्राई चिप्स, डी-हाइड्रेशन तथा ग्लूकोस सेलाइन का एक कारखाना लगाने की कृपा की जाय। तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा है तथा कोल्ड स्टोरेज वाले अगर चार्जेज के नाम पर ढाई रुपया फी क्विन्टल चार्ज कर रहे हैं और उसकी रसीद नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिये क्या प्रबन्ध करेंगे ? क्योंकि वे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, इस अदर चार्जेज वाली बात को क्या आप खत्म करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अदर चार्जेज वाली बात के सम्बन्ध में तो आज कल मे ही निर्णय हो जाएगा। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, मैं स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 3 माह पहले इसके लियें व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वह क्यों नहीं की गयी ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

प्रदेश भर में मान्यवर, इसका क्रय पी0 सी0 एफ0 करता रहा है। प्रयास निरन्तर यह रहा कि वह क्रय करे। नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव्ज ने भी यही कहा। लेकिन पी0 सी0 एफ0 एक बनिए की दुकान हो गयी है। वह केवल मुनाफे की दृष्टि से क्रय करता है। कहीं भी नुकसान होगा तो वह क्रय नहीं करेंगे। तो आज भी मेरी माननीय मुख्य मन्त्री जी से बातचीत हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या उपाय किया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, 173 कोल्ड स्टोरेज वालों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि बैंक गारेन्टी ली जाय। उनका निर्णय मैं पढ़ता हूं --

"The Petitioners are permitted to charge at the agreed rate but in respect of excess amount charged over that fixed by the order they should furnish a bank guarantee. The initial bank guarantee should be for an amount of Rs. 10,000/- . . ."

10 हजार की बैंक गारेन्टी देने की इजाजत हाई कोर्ट ने दी है। लाखों रुपया कोल्ड स्टोरेज वालों का आप के पास होगा, तो क्या आप हाई कोर्ट के आदेश कार्यान्वित करेंगे? एक दूसरा प्रश्न यह है कि उन्होंने बतलाया है कि हम रेलवे वैगन्स ज्यादा दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में 1972-73 में जितना आलू का प्रोडक्शन था उससे ज्याया प्रोडक्शन इस वक्त है। 1972-73 में 5106 वैगन्स मिले थे। और अभी तक ये दे पाए हैं 3901; श्री विमल प्रसाद तिवारी ने जब मार्च में प्रश्न दिया था कि माननीय मन्त्री जी ने बड़ी तेजी की और मार्च महीने में 1500 वैगन्स दिया, 50 वैगन्स रोज के हिसाब से। और अभी उन्होंने कहा कि 100 वैगन्स रोज दे रहे हैं, तो इसमें कहां तक सत्यता है?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

मेरे पास जो फीगर्स हैं उनके अनुसार यह बतला देना मुनासिब होगा कि सन् 1972-73 में 2134 वैगन्स फर्रुखाबाद जनपद को प्राप्त हुए, 1973-74 में 1726, 1974-75 में 2058, फरवरी, 1972-73 में 1966, 1973-74 में 1166, 1974-75 में 2054 वैगन्स। (मार्च 1976)।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप अपने उत्तर में कह चुके हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं तो एन0 ई0 रेलवे का पूछ रहा हूं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो खरीद फरोख्त की बात हुई केवल फर्रुखाबाद में पैदा हुए आलू की ही बात है, लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी अन्य जिलों में पैदा हुए आलू के बारे में भी आश्वासन देंगे कि उनका भी उचित प्रबन्ध किया जाएगा?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

मैं श्री हिम्मत सिंह जी की बात से सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कौशिक जी, आप दूसरे के सवाल का जवाब देने से मन्त्री जी को रोक रहे हैं। उनको पहले जवाब तो दे लेने दें?

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

मेरा यह प्रयास होगा कि दूसर दुकानदारों का माल न जाय। अगर विदेश जाएगा, ईराक, मलेशिया या और जगह तो इस बात की चेष्टा की जाएगी कि किसानों का ही माल जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। आज सुबह कानपुर डी0 ए0 वी0 कालेज और डी0 जी0 कालेज के बारे में जो सर्व श्री ओम प्रकाश सिंह, मोहन लाल कपूर, मीखालाल और सजीवन लाल ने नियम 56 के अन्तर्गत दिया था, उसे मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

अब एक श्री मुहम्मद अशरार साहब ने दिया है---"लखनऊ गुलिस्तां कालोनी के बंगले पर सी0 आई0 डी0 द्वारा छापा।"

इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

एक और है जो श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी ने दिया है---"इलाहाबाद कचहरी स्थित डाकघर में एक लाख की डकैती।"

तो इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न करें। यह कोई अविलम्बनीय तो है नहीं, डकैती तो पड़ गयी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मैंने कल इसे 56 में दिया था। तो इसको आप 56 में स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष---

जब एक दल के 4-5 आ जाते हैं तो कठिनाई होती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

हमारा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उसे कल दीजिए।

एक और है श्री जफर आजमी, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी और श्री रामचन्द्र बक्श सिंह जी का---"सिद्दीपुरवा, जनपद बहराइच के ईदगाह में कटा सुअर लटकाने से साम्प्रदायिक तनाव।" दूसरी श्री त्रिवेणी सहाय की सूचना है।

तो इनको साम्प्रदायिक वाले सवाल में जोड़ देते हैं।

एक सदस्य---

मान्यवर, मैंने थाना हुजूरपुर के बारे में आपको दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसको अस्वीकार किया है। आप उसको फिर दोहराइए।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 अप्रैल, 1975।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 555 पर)

जिस ठेकेदार को रिवर साइड पावर हाउस में ब्वायलर की राखी हटाने का ठेका रु0 5,551.00 प्रति एक हजार टन प्रयुक्त कोयला की दर पर 11 सितम्बर, 1974 से एक मास के लिए दिया गया उसने जनवरी, 1975 से निर्धारित रकम का भुगतान नहीं किया। इन परिस्थितियों में ब्वायलर की राखी की बिक्री उस ठेकेदार को जारी नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए 7 फरवरी, 1975 से उपर्युक्त ठेकेदार को राख की बिक्री बन्द कर देनी पड़ी। चूंकि राख हटाने का काम अल्प काल के लिए भी स्थगित नहीं किया जा सकता था अतएव यह काम एक दूसरे ठेकेदार को 4051 रुपए प्रति एक हजार टन प्रयुक्त कोयला की दर से एक माह के लिए देना पड़ा। इसके लिए अल्पकालिक निविदा उन ठेकेदारों से लिए गए जिन्होंने मूल निविदा के समय अपना प्राक्कथन दिया था तथा इस बीच में प्रेस में विज्ञापन प्रकाशित करा करके एक साल के लिए नए निविदा आमंत्रित किए गए। सबसे अधिक रेट 3,333 रुपए प्रति हजार टन प्रयुक्त कोयले का मिला। अत: जिस ठेकेदार ने यह रेट प्रस्तावित किया उसका टेन्डर स्वीकृत किया गया।

जिस ठेकेदार को 4051 रु0 के हिसाब से अन्तरिम काल के लिए एक माह का ठेका दिया गया था वह ठेकेदार उस दर पर साल भर तक राखी हटाने के काम के लिए तैयार नहीं हुआ।

जिस ठेकेदार ने एक साल के लिए 5551 रुपए प्रति हजार टन प्रयुक्त कोयले की दर से राखी हटाने का ठेका दिनांक 11 सितम्बर, 1974 को लिया और बाद में भुगतान देना बन्द कर दिया उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 557 पर)

प्रश्न 1 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-सं०	वस्तु का नाम	संख्या	अनुमानित मूल्य
1	2	3	4
			रु०
1	अलमारी लोहे की	1	150.00
2	स्केल लोहा	1	300.00
3	लोहका वांट तौल	6	
4	घड़ी	1	25.00
5	कुर्सी हत्थेदार	2	50.00
6	बेंच	1	50.00
7	लकड़ी का काउन्टर	1	15.00
8	लकड़ी की डेस्क	2	10.00
9	दरी	1	10.00
10	लकड़ी का छोटा कैश बाक्स	1	5.00
11	लकड़ी की मेज	1	30.00
12	लकड़ी का तख्त	1	40.00
13	लालटेन	1	5.00
14	लकड़ी का बड़ा बक्स	1	50.00
15	छोटा सीलिंग फैन	1	150.00

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 565 पर)

प्रेषक

आयुक्त,
कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

(1) समस्त आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण, केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (पर्वतीय जनपदों के अतिरिक्त)।

पत्रांक सी-104/पी-1(4)एस0ई0/पु0स्वी0/72, दिनांक लखनऊ, सितम्बर 3, 1974

विषय---उर्दू दैनिक समाचार-पत्र "कौमी आवाज" का क्रय।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू भाषा भाषियों को समाचार-पत्र पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के निमित्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रों पर लखनऊ से प्रकाशित होने वाले उर्दू दैनिक समाचार-पत्र "कौमी आवाज" की एक प्रति अनिवार्य रूप से क्रय की जाय।

यह समाचार-पत्र 1 सितम्बर, 1974 से आगामी 6 माह तक क्रय किया जाय, जिसका अर्द्धवार्षिक शुल्क डाक व्यय सहित रुपया 51.50 पैसा है। इस पत्र के प्राप्त होते ही आचार्य/खन्ड विकास अधिकारी रु0 51.50 पैसा की अग्रिम धनराशि सरकुलेशन मैनेजर, "कौमी आवाज", कैसरबाग, लखनऊ को भेज दें।

भवदीय,
(ह0) कैलाश स्वरूप श्रोतिय,
सहायक विकास आयुक्त (प्रशिक्षण),
कृते आयुक्त।
दिनांकित।

पत्रांक सी-104/पी-1(1)/74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/जिला नियोजन अधिकारी (पर्वतीय जनपदों के अतिरिक्त) को इस आशय से कि ये कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद के अन्तर्गत सभी विकास खन्ड अधिकारियों एवं आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र ने उपरोक्त अग्रिम धनराशि सरकुलेशन मैनजर, "कौमी आवाज" को भेज दी है।
(3) सरकुलेशन मैनेजर, "कौमी आवाज", कैसरबाग, लखनऊ को इस आशय से कि अग्रिम धनराशि प्राप्त होते ही दैनिक पत्र की एक प्रति सम्बन्धित विकास खंड/प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र को 6 माह तक निरन्तर भेजने की व्यवस्था करें।

(ह0) कैलाश स्वरूप श्रोतिय,
सहायक विकास आयुक्त (प्रशिक्षण),
कृते आयुक्त।

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 566 पर)

पंचायती राज कर्णिक संघ की 9 सूत्री-मांगें

मांग

1---पंचायत राज सहायकों को पूर्व प्राप्त उनके अधिकार जिसके अन्तर्गत वह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर 25 प्रतिशत पदोन्नति पाने के अधिकारी थे जिसे शासन ने कुछ समय पूर्व समाप्त कर दिया है, पुन : प्रदान की जावे ।

2---सहायक अंकिक (पंचायत) का पदनाम अंकिक (पंचायत) कर उसको 350–500 रु0 का वेतन-मान दिया जावे।

3---अभिलेखाकार सहायक को 230–380 रु0 का वेतन-मान दिया जाए।

4---लेखा लिपिक का वेतनमान 230–380 रु0 होना चाहिए।

5---अभिलेखागार में एक चपरासी या बन्डल लिफ्टर का पद जो समाप्त कर दिया गया है तुरन्त दिया जाना चाहिए।

6---पंचायत राज विभागों में कार्यरत सभी सहायकों की एक प्रान्तीय स्तर पर ज्येष्ठता सूची बनाई जाय और होने वाली पदोन्नतियों पर इसी ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नतियां दी जायें।

7---पंचायती राज वित्त निगम में सामान्य अधीनस्थ प्रशासकीय एवं सहायक वर्गीय पदों पर उच्च वेतन मानों में पदोन्नतियां पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों में से ही की जायें।

8---निदेशालय में उच्च वेतन-क्रम के रिक्त स्थानों की पूर्ति पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों में से ही पदोन्नति देकर की जायें।

9---विभाग के विभागीय मन्डलीय कार्यालय स्थापित किए जायें।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 573 पर)

सघन पशु विकास प्रायोजना हल्द्वानी (नैनीताल) के भीमताल विकास खंड में पशु विकास सम्बन्धी कार्य-विवरण

वर्ष	चिकित्सा	वंधिध्याकरण	टीका	गर्भित पशु	उत्पन्न बच्चे
1	2	3	4	5	6
1970-71	7,082	260	5,077	110	53
1971-72	12,690	691	11,383	224	101
1972-73	23,512	1,173	15,129	259	100
1973-74	27,033	1,663	18,087	431	109
1974-75 (दिसम्बर, 74 तक)	21,189	1,107	7,043	407	130

भीमताल विकास खन्ड में 3 पशु चिकित्सालय, 16 पशु सेवा केन्द्र, 14 कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र तथा 1 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र कार्यरत हैं।

नत्थी "च"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 581 पर)

दिनांक 1 मार्च, 1975 को जेल में परिरुद्ध छात्र बन्दियों की शैक्षिक योग्यता की सूची

क्रम संख्या	छात्रबन्दी का नाम	शैक्षिक योग्यता अथवा किस कक्षा के विद्यार्थी हैं
1	2	3
1	श्री रमेश चन्द्र खत्री	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–1
2	श्री के0 सरन ..	.. एम0ए0 प्रीवियस
3	श्री सालिग राम ..	.. एम0ए0, एम0 एड0, एल-एल0 बी0, एल-एल0 एम0 पार्ट–1
4	श्री विन्दवासिनी कुमार	.. एम0ए0, बी0 एड0, एल-एल0 बी0 पार्ट–1
5	श्री विजय कुमार ..	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–3
6	श्री राम बस ..	.. बी0ए0 पार्ट–1
7	श्री सुधाकर वर्मा ..	.. बी0एस-सी0 पार्ट–2
8	श्री शशि कान्त मिश्रा	.. एम0ए0 प्रीवियस
9	श्री सुरेश खन्ना ..	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–1
10	श्री दिनेश प्रताप सिंह	.. बी0ए0 पार्ट–1
11	श्री सुरेश पाल सिंह	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–2
12	श्री जमुना प्रसाद द्विवेदी	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–3
13	श्री मानवेन्द्र सिंह ..	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–3
14	श्री गिरेन्द्र नरायन शर्मा	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–1
15	श्री कृष्ण रंजन दीक्षित	.. बी0एस-सी0, बी0ए0 (आनर्स)
16	श्री राज कुमार जायसवाल	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–2
17	श्री विजय कुमार सिंह	.. एम0 काम0 फाइनल
18	श्री अवध कुमार सिंह	.. बी0ए0 पार्ट–2
19	श्री के0 पी0 सिंह	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–2
20	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	.. एल-एल0 बी0 पार्ट–1
21	श्री सुरेश बहादुर सिंह	.. एल-एल0 बी0पा

नत्थी "छ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीठे पृष्ठ 584 पर)

शहरी क्षेत्र के उन राजकीय चिकित्सालयों के नाम जहां एक्स-रे मशीनें उपलब्ध नहीं हैं

1--जेल अस्पताल, देवरिया
2--पुलिस अस्पताल, देवरिया

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम जहां एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं हैं

1--दुधई
2--फाजिलनगर
3--गौरी बाजार
4--हाटा
5--कसिया
6--कुबेर नाथ
7--खड्डा
8--कोटबा
9--लार
10--मझगवां
11--मोतीचाक
12--पथरदेवा
13--रामकोला
14--रुद्रपुर
15--सलेमपुर
16--तरइया सुजान
17--सुकरौली
18--रामपुर कारखाना
19--तमकुही
20--बनकटा
21--बरहज बाजार
22--बेतालपुर
23--भागलपुर
24--भलवनी
25--भटनी
26--भाटपार रानी
27--विशुनपुर
28--कैप्टनगंज
29--देसई देवेरिया।

जिले के अन्य राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों के नाम जहां एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं हैं

1--महिला अपस्ताल, छितौनी
2--महिला औषधालय, बरहज
3--चकिया औषधालय, देवरिया
4--टी0 बी0 क्लीनिक (जी0आई0 पी0एन), पडरौना।
5--महिला औषधालय तमकोही
6--मेल चिकित्सालय, तमकोही
7--पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय, पडरौना।
8--खेतान महिला चिकित्सालय, पडरौना।
9--शिवरही महिला औषधालय, देवरिया
10--शिवरही औषधालय, देवरिया
11--समऊ बाजार औषधालय, देवरिया
12--संरौरा औषधालय, देवरिया
13--बिकवाल दूबे औषधालय, देवरिया
14--महोई संग्राम औषाधालय, देवरिया
15--धौला पंडित औषधालय, देवरिया
16--मोबाइल औषधालय, देवरिया

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 589 पर)

क्रम-सं0	जिला	ब्लाक का नाम	व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो	पद नाम	शिकायत की तिथि	किस स्तर पर शिकायत की गई	कृत्त कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर	ब्रह्मपुर	श्री राम प्रताप सिंह	सेनेटरी इन्सपेक्टर	16-11-1974	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, गोरखपुर को की गई।	जांच की कार्यवाही उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जा रही है।
2	,,	,,	,, विन्ध्याचल प्रसाद शुक्ल।	बेसिक हेल्थ वर्कर	,,	संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, गोरखपुर को की गई।	उक्तानुसार

खोराबार ब्लाक के सम्बन्ध में उक्त अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
प्रान्त स्तर पर कोई शिकायत प्रश्नगत अवधि में प्राप्त नहीं हुई।
सरदार नगर ब्लाक के सेनेटरी इन्सपेक्टर, श्री तारा चन्द्र गुप्ता की शिकायत स्वास्थ्य मन्त्री जी को दिनांक 4 मई, 1974 को की गई किन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में दिनांक 28 जनवरी, 1975 को प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 591 पर)

मेरठ के हस्तिनापुर एवं मवाना ब्लाकों में पेय जल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिए निर्मित कुंए की सूची

जिला मेरठ

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कूप की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5
1	हस्तिनापुर ..	1--रानी नंगला ..	1	पूर्ण
		2--अलीपुर मोरना ..	1	पूर्ण
		3--शाहपुर ..	1	पूर्ण
		4--ऐदलपुर ..	1	पूर्ण
		5--अकबरपुर गढ़ढ़ी ..	1	निर्माणाधीन
2	मवाना ..	1--मैंसा ..	1	पूर्ण
		2--कौल ..	1	पूर्ण
		3--निलोहा ..	1	पूर्ण
		4--खड़ेकी जदीप ..	1	पूर्ण
		5--अटोरा ..	1	पूर्ण
		6--ढिकौली ..	1	पूर्ण
		7--नंगला हरेरू ..	1	पूर्ण
		8--नंगला राजदी ..	1	पूर्ण
		9--पहाड़पुर ..	1	पूर्ण
		10--सटला ..	1	पूर्ण

पी०एस०यू०पी०--एल० 119 वि० सभा (534)--1976--840।